न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर, जिला जबलपुर म.प्र.
समक्ष : इरशाद अहमद

KATNI	JABALPUR
Registration No.- **ST/132/2017**	Registration No.- ST/574/2024
Filing No.- 132/2017	Filing No.- 3757/2024
CNR No.- MP21010067292017	CNR No.- MP 20010534172024
Filing Date-**05-07-2017**	Filing Date- 26-12-2024

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी, श्री कपिल भारद्वाज के न्यायालय के दांडिक प्रकरण (CNR No- MP21010031632017, RCT/823/2017)''म.प्र. राज्य विरूद्ध संदीप बर्मन एंव अन्य'' (आरक्षी केन्द्र कोतवाली, जिला कटनी के अपराध क्रमांक 738/2016, अंतर्गत धारा 420,467,468,471,423,424,120B भा.दं.सं. 1860) में उपार्पण आदेश दिनांक 30.10.2017 तत्पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी, श्री नदीम जावेद खान के न्यायालय के दांडिक प्रकरण (CNR No- MP21010068402023, RCT/2061/2023)''म.प्र. राज्य विरूद्ध मो. यासीन'' में उपार्पण आदेश दिनांक 08.07.2023 से उद्भूत सत्र प्रकरण।

अभियोजन	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा थाना प्रभारी, आरक्षी केन्द्र कोतवाली जिला कटनी म.प्र.।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री अनिल तिवारी प्रभारी लोक अभियोजक।
अभियुक्तगण	1. संदीप बर्मन पिता प्यारेलाल बर्मन उम्र 41 साल, निवासी–संजीवनी नगर, गली नंबर 1 पुलिस थाना कोतवाली जिला कटनी म.प्र.
	2. सतीश सरावगी पिता ओमप्रकाश सरावगी उम्र 45 साल, निवासी–घंटाघर, पुलिस थाना कोतवाली जिला कटनी म.प्र.
	3. मानवेन्द्र मिस्त्री पिता काली प्रसाद मिस्त्री उम्र 35 साल, निवासी–शवनगर बालाजी गेट के पास, पुलिस थाना कोतवाली जिला कटनी म.प्र.
	4. मनीष सरावगी पिता ओमप्रकाश सरावगी उम्र 42 साल, निवासी–घंटाघर, पुलिस थाना कोतवाली जिला जबलपुर म.प्र.
	5. दस्सू पटेल पिता किशोरीलाल पटेल उम्र 32 साल, निवासी–लालबहादुर शास्त्री वार्ड थाना कुठला जिला कटनी मप्र.
	6. नरेश पोद्दार पिता शंकर लाल पोद्दार उम्र 61 साल,

	निवासी– महात्मा गांधी वार्ड, थाना कोतवाली जिला कटनी म.प्र.
	7. नरेश कुमार बर्मन पिता दसईराम बर्मन उम्र 40 साल, निवासी,इंद्रा ज्योति कॉलोनी, थाना माधवनगर जिला कटनी म.प्र.
	8. मो. यासीन पिता स्व. मुनीर अहमद उम्र 41 साल, निवासी– बंगला नंबर 5, मकान नंबर 14, नर्मदा रोड कटंगा पुलिस थाना केंट, जिला जबलपुर
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री शोएब एंव निशांत केशरवानी अधिवक्ता।

प्रारूप–ड

अपराध की तारीख	30.03.2016 से 12.07.2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	12.07.2016
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	मूल अभियोगपत्र दिनांक 03.04.2017 एवं पूरक अभियोगपत्र क्रमशः दि. 11.05.2017, 29.05.2017, 24.10.2017 एवं 15.06.2023
आरोपों के विरचना की तारीख	22.08.2017, 22.05.2019, 8.11.2017, 08. 11.2017, 08.11.2017 एवं 20.07.2023
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	03.09.2021
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	16.01.2026
निर्णय की तारीख	**24.01.2026**
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	....निरंक....

अभियुक्त का विवरण

1	2	3	4	5	6	7	8
अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा करने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धी	अधिरोपित दंडा देश	धारा 428 द.प्र.सं. /468 भा.ना.सु. सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	संदीप बर्मन	04.01. 2017	11.08. 2017	भा.द.सं.की धारा420 अथवा	दोषमुक्त	–	दिनांक 05.01.17 से दिनांक 11.08.

				420 / 34, 467 अथवा 467 / 34, 468 अथवा 468 / 34,471, 120बी अथवा 120बी / 34,423 अथवा423 / 34 एवं 424 अथवा 424 / 34			2017 तक
2.	सतीश सरावगी	16.03. 2017	25.07. 2017	भा.द.सं. की धारा 120बी, 420 / 120 बी, 465 / 120 बी, 467 / 120 बी, 468 / 120 बी, 471 एवं 201	दोषमुक्त	—	दिनांक 17.03.17 से दिनांक 25.07. 2017 तक
3.	मानवेन्द्र मिस्त्री	11.02. 2017	27.09. 2017	भा.द.सं.की धारा420 अथवा 420 / 34, 467 अथवा 467 / 34, 468 अथवा 468 / 34,471, 120बी अथवा 120बी / 34,423 अथवा423 / 34 एवं 424 अथवा 424 / 34	दोषमुक्त	—	दिनांक 11.02.17 से दिनांक 27.09. 2017 तक
4.	मनीष सरावगी	12.10. 2017	13.10. 2017	भा.द.सं.की धारा420 अथवा 420 / 34, 467 अथवा 467 / 34, 468 अथवा 468 / 34,471, 120बी अथवा 120बी / 34,423 अथवा423 / 34	दोषमुक्त	—	दिनांक 12.10.17 से दिनांक 13.10. 2017 तक

				एवं 424 अथवा 424/34			
5.	दस्सू पटैल	12.10. 2017	13.10. 2017	भा.द.सं.की धारा420 अथवा 420/34, 467 अथवा 467/34, 468 अथवा 468/34,471, 120बी अथवा 120बी/34,423 अथवा423/34 एवं 424 अथवा 424/34	दोषमुक्त	—	दिनांक 12.10.17 से दिनांक 13.10. 2017 तक
6.	नरेश पोद्दार	12.10. 2017	13.10. 2017	भा.द.सं.की धारा420 अथवा 420/34, 467 अथवा 467/34, 468 अथवा 468/34,471, 120बी अथवा 120बी/34,423 अथवा423/34 एवं 424 अथवा 424/34	दोषमुक्त	—	दिनांक 12.10.17 से दिनांक 13.10. 2017 तक
7.	नरेश कुमार बर्मन	12.10. 2017	13.10. 2017	भा.द.सं.की धारा420 अथवा 420/34, 467 अथवा 467/34, 468 अथवा 468/34,471, 120बी अथवा 120बी/34,423 अथवा423/34 एवं 424 अथवा 424/34	दोषमुक्त	—	दिनांक 12.10.17 से दिनांक 13.10. 2017 तक

8.	मोहम्मद यासीन	29.11. 2022	17.01. 2023	भा.दं.सं. की धारा 120बी (काउंट 2), 420/120 बी (काउंट 2), 467/120 बी (काउंट 2), 468/120 बी (काउंट 2), 471 (काउंट 2), 423 अथवा 423/120 बी एवं 424 अथवा 424/120 बी	दोषमुक्त	—	दिनांक 29.11.22 से दिनांक 17.01. 2023 तक

—:: निर्णय ::—

24 जनवरी 2026

01. अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता (जिसे एतस्मिन पश्चात् भा.दं.सं. से उल्लेख किया जायेगा) की विभिन्न धाराओं का **निम्नानुसार दण्डनीय अपराध का अभियोग है**:—

(i) अभियुक्तगण **संदीप बर्मन, मानवेन्द्र मिस्त्री, मनीष सरावगी, दस्सू पटेल, नरेश पोद्दार, नरेश कुमार बर्मन** के विरुद्ध धारा 420 या 420/34, 467 या 467/34, 468 या 468/34, 471, 120बी या 120बी/34 423 या 423/34, 424 या 434/34 भा.दं.सं. के अधीन यह आरोप है कि उन्होंने घटना दिनांक 30.03.16 से 12.07.16 के मध्य, समय 12 बजे से 23:30 बजे के मध्य स्विस बैंक, फारेस्टर प्लेग्राउंड के सामने सिविल लाईन कटनी में अन्य सह—अभियुक्तगण के साथ मिलकर कूटरचना करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसर में फरियादी रजनीश तिवारी के वोटर आई.डी. ड्राईविंग लाईसेंस के प्रयोग से आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक एकाउण्ट व फर्जी कंपनी खोलने में उसके कूटरचित हस्ताक्षर किये और छल के प्रयोजन से कूटरचना करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसे अग्रसर करते हुये फरियादी रजनीश तिवारी के नाम पर बैंक एकाउण्ट फार्म व फर्जी कंपनी खोलने व संचालित करने संबंधी दस्तावेज इस आशय से कूटरचित किया कि उसे छल के प्रयोजन से उपयोग में लाया जायेगा एंव कूटरचित दस्तावेज का असली के रूप में उपयोग में लाये जाने का सामान्य आशय निर्मित कर उसे अग्रसर करते हुये अभियुक्तगण ने यह जानते हुये कि रजनीश तिवारी के नाम का बैंक अकाउण्ट

व खोली गई फर्म व कंपनियां कूटरचित हैं, को बेईमानीपूर्वक असल के रूप में उपयोग कर पैसों का लेनदेन किया तथा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपराधिक षडयंत्र करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसे अग्रसर करते हुये अभियुक्तगण ने फरियादी रजनीश तिवारी की सहमति के बिना उसके नाम के कूटरचित फर्जी बैंक एकाउण्ट तथा कंपनियां खोलकर अपराधिक षडयंत्र कारित किया।

(ii) अभियुक्त **सतीश सरावगी** के विरूद्ध धारा 120बी, 420/120बी, 465/120बी, 467/120बी, 468/120बी, 471, 201 भा.दं.सं. के अधीन यह आरोप है कि उसने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर अवैध कार्य/अपराध (**दस्तावेजों की कूट रचना कर कूट रचित दस्तावेजों से फर्जी फर्मों** शिव आराधना इंटरप्राईजेस, प्रभु वंदना इंटरप्राइजेस, बाहुबली ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स व्यापार ट्रेडिंग, यूनिक ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स श्री लक्ष्मी इंटरप्राइजेस, मेसर्स हरिओम इंटरप्राइजेस, मेसर्स अंकुर इंटरप्राइजेस, मेसर्स आदिनाथ सर्विसेस, रामा इंटरप्राइजेस, एस.के. मिनरल्स, शुभम ट्रेडिंग कंपनी, श्री मिनरल्स, मेसर्स श्वेता इंटरप्राइजेस, मां शारदा इंटरप्राइजेस, राधास्वामी इंटरप्राइजेस आदि का गठन करके विभिन्न बैंकों (एक्सिस बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक, आंध्रा बैंक आदि) में छल करने के प्रयोजन से दस्तावेजों की कूट रचना कर विभिन्न खाते खोले उनके माध्यम से लाखों करोड़ों रूपये के अवैध संव्यवहार किये और अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में **संजय तिवारी एवं रजनीश तिवारी** आदि के साथ छल कारित करने के आशय से उनसे कपट पूर्वक उनके विभिन्न दस्तावेज परिचय पत्र/फोटो/चालन अनुज्ञप्ति आदि प्राप्त करके उनके नाम से उक्त दस्तावेजों का दुरूपयोग किया है, उनमें कूटरचना कर उनका उपयोग कर छलपूर्वक विभिन्न फर्जी फर्मों (एस. के. मिनरल्स, रामा इंटरप्राइजेस आदि) का गठन किया तथा उक्त फर्जी फर्मों के नाम से विभिन्न बैंकों (एक्सिस बैंक आदि) में फर्जी खाते खोलकर उनके माध्यम से पैसों का लेन देन कर उनके साथ छल कारित किया और उक्त विभिन्न फर्जी फर्मों का गठन उनके नाम से उक्त विभिन्न बैंकों में विभिन्न फर्जी खाते खोलने एवं उक्त फर्जी बैंक खातों के माध्यम से विभिन्न राशियों के संव्यवहार करने/विभिन्न राशियां प्राप्त करने हेतु विभिन्न मूल्यवान दस्तावेजों (चैक, पे इन स्लिप आदि) की कूट रचना की तथा उस अपराध के किये जाने की साक्ष्य का विलोपन, नदी पार, मरघटाई के पास अपने स्कूल में उक्त अपराध से संबंधित दस्तावेजों को छिपाने एवं दि.06.01.17 को अपने उक्त स्कूल से उक्त दस्तावेजों को लोडर आटो क्रमांक MP-21M/0522 के माध्यम से हटाया।

(iii) अभियुक्त **मो. यासीन** के विरूद्ध धारा 120बी(**2 काउंट**), 420/120बी (**2काउंट**), 467/120बी (**2काउंट**), 468/120बी (**2काउंट**), 471(**2काउंट**), 423 या 423/120बी, 424 या 424/120बी भा.दं.सं. के

अधीन यह आरोप है कि उसने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र करके उसके अनुसरण में अवैध कार्य/अपराध (**दस्तावेजों की कूट रचना कर कूट रचित दस्तावेजों से फर्जी फर्मों** शिव आराधना इंटरप्राईजेस, प्रभु वंदना इंटरप्राइजेस, बाहुबली ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स व्यापार ट्रेडिंग, यूनिक ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स श्री लक्ष्मी इंटरप्राइजेस, मेसर्स हरिओम इंटरप्राइजेस, मेसर्स अंकुर इंटरप्राइजेस, मेसर्स आदिनाथ सर्विसेस, रामा इंटरप्राइजेस, एस.के. मिनरल्स, शुभम ट्रेडिंग कंपनी, श्री मिनरल्स, मेसर्स श्वेता इंटरप्राइजेस, मां शारदा इंटरप्राइजेस, राधास्वामी इंटरप्राइजेस आदि का गठन करके विभिन्न बैंकों (एक्सिस बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक, आंध्रा बैंक आदि) में दस्तावेजों की कूटरचना कर कूट रचित दस्तावेजों से विभिन्न खाते खोले एवं कूट रचित दस्तावेजों से लाखों करोड़ो रूपये के अवैध संव्यवहार किये और **संजय तिवारी एवं रजनीश तिवारी** आदि के साथ छल कारित करने के आशय से उनसे कपट पूर्वक उनके विभिन्न दस्तावेज परिचय पत्र/फोटो/चालन अनुज्ञप्ति आदि प्राप्त किये एंव छल कारित करने के आशय से उनके नाम से उक्त दस्तावेजों का दुरूपयोग किया है तथा उनके विभिन्न दस्तावेज परिचय पत्र/फोटो/ चालन अनुज्ञप्ति में कूट रचना कर एवं अन्य कूट रचित दस्तावेजो का उपयोग कर छल पूर्वक विभिन्न फर्जी फर्मों (एस. के. मिनरल्स, रामा इंटरप्राइजेस आदि) का गठन करके उक्त फर्जी फर्मों के नाम से विभिन्न बैंकों (एक्सिस बैंक आदि) में फर्जी खाते खोलकर उनके माध्यम से पैसों का लेन देन कर किया। उक्त विभिन्न फर्जी फर्मों का गठन करने/उक्त फर्जी फर्मों के नाम से उक्त विभिन्न बैंकों में विभिन्न फर्जी खाते खोलने एवं उक्त फर्जी बैंक खातों के माध्यम से विभिन्न राशियों के संव्यवहार करने/विभिन्न राशियां प्राप्त करने हेतु विभिन्न मूल्यवान दस्तावेजों (चैक, पे इन स्लिप आदि) की कूट रचना की एंव उस अपराध के किये जाने की साक्ष्य का विलोपन, नदी पार, मरघटाई के पास अपने स्कूल में उक्त अपराध से संबंधित दस्तावेजों को छिपाने एवं दि.06.01.17 को अपने उक्त स्कूल से उक्त दस्तावेजों को लोडर आटो क्रमांक MP-21M/0522 के माध्यम से हटाया।

02. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि :–

(i) प्रकरण के व्यथितगण रजनीश कुमार तिवार एंव संजीव तिवारी तथा अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण धारा 359 भा. ना.सु.सं. एवं धारा 359(2) भा.ना.सु.सं. का आवेदन स्वीकार कर अभियुक्तगण संदीप बर्मन, मानवेन्द्र मिस्त्री, मनीष सरवगी, नरेश पोद्दार एवं नरेश कुमार बर्मन को **धारा 420 या 420/34, 423 या 423/34, 424 या 434/34, भा.दं.सं. के आरोप के अपराध से, अभियुक्त सतीश सरावगी को धारा 420/120बी भादसं के आरोप के अपराध से एंव अभियुक्त मो. यासीन को धारा 420/120बी (2काउंट), 423 या 423/120बी (2काउंट), 424 या 424/120बी(2 काउंट) भा. दं.सं.** के **आरोप के अपराध से दोषमुक्त किया जा चुका है।**

(ii) इस प्रकरण के अपराध क्रमांक 738/2016 के साथ ही समान अपराध में फरियादी विनय कुमार जैन की लिखित शिकायत पर भी थाना कोतवाली में **अपराध क्रमांक 739/2016** दिनांक 13.07.2016 अंतर्गत धारा 420, 467, 468 एवं 471 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसकी विवेचना में अभियुक्तगण सतीष सरावगी, नरेश बर्मन तथा दस्सु पटेल के विरूद्ध समान अभियोग पाया गया कि एक्सिस बैंक कटनी के महादेव ट्रेडिंग कंपनी के खाते से श्री लक्ष्मी इंटरप्राईजेस, बाहूबली ट्रेडिंग कंपनी, प्रभूवंदना कंपनी, व्यापार ट्रेडिंग कंपनी आदि के साथ कुल 21746500 रूपये का लेनदेन किया गया है और मेसर्स महादेव ट्रेडिंग कंपनी का पंजीयन होना नहीं पाया गया और उक्त दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1743/2017 में **तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी श्री अरूण कुमार गोयल द्वारा दिनांक 13.08.2022 को आदेश पारित करते हुये अभियुक्तगण पर प्रथमदृष्टया धारा 419 भा.द.सं. के अंतर्गत दायित्व पाकर** राजीनामा आवेदन स्वीकार कर अभियुक्तगण **सतीष सरावगी पिता ओमप्रकाश सरावगी, नरेश बर्मन पिता दसई बर्मन तथा दस्सु पटेल पिता किशोरीलाल पटेल** को दोषमुक्त कर दिया और प्रकरण में जप्त खाते के मूल दस्तावेज संबंधित बैंक को वापस भेजकर छायाप्रति नष्ट करा दी। **उक्त दोषमुक्ति के विरूध अभियोजन अथवा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।**

(iii) अभियुक्तगण **संदीप बर्मन, मानवेन्द्र मिस्त्री, मनीष सरावगी, दस्सू पटेल, नरेश पोद्दार, नरेश कुमार बर्मन** के विरूध विरचित धारा 423 या 423/34, 424 या 434/34 भा.दं.सं. के आरोप, **अभियुक्त सतीश सरावगी** के विरूध विरचित धारा 201 भा.दं.सं. के आरोप एंव **अभियुक्त मो. यासीन** के विरूध विरचित धारा 423 या 423/120बी, 424 या 424/120बी भा.दं.सं. के आरोप से संबधित लोडर आटो क्रमांक एम.पी. 21 एम/0522 में जप्त दस्तावेज जोकि अपराध के किये जाने की साक्ष्य के विलोपन की श्रेणी में बताये गये थे, को विवेचक एंव **थाना प्रभारी श्री शैलेष मिश्रा द्वारा दिनांक 04.12.2017 को तत्कालीन श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय कटनी के समक्ष जप्तशुदा दस्तावेज विवेचना में आवश्यकता नहीं होने और सुपुर्दगी में दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होने की लिखित तहरीर देने पर** उक्त दस्तावेजों सुपुर्दनामे पर दे दिये गये।

03. प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि :–

(i) माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय ने CRIMINAL REVISION (CRR) No. 155/2018 **में दिनांक 20/11/2018 को मुख्य अभियुक्त सतीश सरावगी** के संबध निम्न आदेश पारित किया– After having heard learned counsel appearing on behalf of both the parties and upon giving an opportunity in reference to the charge sheet to learned Government

Advocate to show the connection of opening of the account of Rajneesh Tiwari by the present applicant in the Axis Bank in the name of S.K.Minerals, it appears that there is no transaction in the name and account of the petitioner thereby he has defrauded Rajnesh Tiwari to the allegation as alleged. Considering the documents collected by the prosecution, **learned Government Advocate is not in a position to demonstrate the allegation as alleged in the charge that he either himself or in association with the co-accused persons opened the account**. In absence thereto the framing of the charge under Section 420 & 420/34 primarily do not subsist, however, framing of the charge against the petitioner for the said offence as well as for other offence under Sections 467, 468, 471 & 120/34 of the IPC that included Sections 423 & 424/34 of the IPC stands set aside.

(ii) अभियोजन ने उक्त आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी परंतु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत याचिका **SLP (Criminal)-No. 1012-2019** आदेश दिनांक 08.02.2019 से माननीय उच्चतम न्यायालय में निरस्त हो चुकी है और उक्त आदेश यथावत रखा गया है।

(iii) मूल सत्र प्रकरण क्रमांक 132/2017 म.प्र. राज्य विरूद्ध संदीप बर्मन व अन्य का विचारण माननीय सत्र न्यायालय कटनी के समक्ष चला और इसके पश्चात प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धारा 44 प्रिएमएलए के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने पर उक्त प्रकरण अंतरण से इस न्यायालय को प्राप्त हुआ जिस कारण से प्रवर्तन निदेशालय को भी इस प्रकरण में अभियोजन के पक्ष में अंतिम तर्क प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था **परंतु प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उक्त अधिसूचित अपराध के प्रमाणित होने के संबध में अभियोजन के समर्थन में कोई तर्क या आधार प्रस्तुत नहीं किये गये।**

04. **अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि** प्रार्थी रजनीश कुमार तिवारी ने पुलिस अधीक्षक कटनी को प्रार्थी के नाम से बैंक में एकाउंट खोलकर एवं व्यवसाय करने के संबंध में लिखित शिकायत दिया था कि, प्रार्थी अमीरगंज वार्ड नंबर 45 का निवासी है। प्रार्थी को आयकर विभाग कटनी से दिनांक 30.03.2016 को नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसमें एस.के. मिनरल्स के नाम से व्यापार करना बताया गया तथा वर्ष 2009–10 में टैक्स बकाया निकाला गया, जबकि प्रार्थी द्वारा किसी भी विभाग में अपने नाम से व्यवसाय के लिये कहीं भी कोई पंजीयन नहीं कराया है तथा न ही प्रार्थी के नाम का पेन कार्ड जारी है। आयकर विभाग द्वारा प्रार्थी को बताया गया कि प्रार्थी के नाम से एक्सिस बैंक कटनी में खाता संचालित हो रहा है, जिसमें से पैसा भी ट्रांसफर होता है, जबकि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त बैंक में एवं किसी भी अन्य बैंक में कोई खाता नहीं

खोला गया है। प्रार्थी का सिर्फ प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत यूनियन बैंक इंडिया सुभाष चौक शाखा कटनी में बचत खाता है। प्रार्थी के नाम से जो भी व्यक्ति एक्सिस बैंक कटनी में खाता खोलकर पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तथा एस.के.मिनरल्स के नाम से जो व्यवसाय कर रहे हैं, उनके सबके विरूद्ध कार्यवाही करने का निवेदन किया था।

05. उक्त शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली जिला कटनी के सहायक उपनिरीक्षक द्वारा थाना कोतवाली जिला कटनी में अभियुक्तगण के विरूद्ध **अपराध क्रमांक 738/2016** अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468 व 471 भा.दं.सं. का पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनका मेमोरेंडम कथन लेखबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त संदीप बर्मन, सतीश सरावगी एवं मानवेन्द्र मिस्त्री के विरूद्ध धारा 173 (8) दं.प्र.सं. के अंतर्गत विवेचना लंबित रखते हुये अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके पश्चात अभियुक्त मनीष सरावगी, दस्सू पटेल, नरेश पोद्दार एवं नरेश कुमार बर्मन के विरूद्ध पूरक अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया एवं आरोपी मोहम्मद यासीन की गिरफ्तारी हो जाने पर मोहम्मद यासीन के विरूद्ध भी संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के विचारण की अनन्य क्षेत्राधिकारिता सत्र न्यायालय को होने से प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय में उपार्पित किया गया, और इसके पश्चात प्रर्वतन निदेशालय के धारा 44 प्रिएमएलए के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर दिनांक 20.12.2024 को उक्त प्रकरण अंतरण से इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

06. प्रकरण में दिनांक 22.08.2017 को तत्कालीन मान्नीय सत्र न्यायाधीश महोदय कटनी **श्री अनिल मोहनिया** द्वारा अभियुक्त संदीप बर्मन, मानवेन्द्र मिस्त्री, मनीष सरवगी, नरेश पोद्दार एवं नरेश कुमार बर्मन पर धारा 420 या 420/34, 467 या 467/34, 468 या 468/34, 471, 120बी या 120बी/34 423 या 423/34, 424 या 434/34, भा.दं.सं. का आरोप पत्र विरचित किया गया था। दिनांक 22.05.2019 को तत्कालीन मान्नीय सत्र न्यायाधीश महोदय कटनी **श्री ए.के. पालीवाल** द्वारा अभियुक्त सतीश सरावगी पर धारा 120बी, 420/120बी, 465/120बी, 467/120बी, 468/120बी, 471, 201, भा.दं.सं. का आरोप पत्र विरचित किया गया था। इसी प्रकार दिनांक 20.07.2023 को तत्कालीन मान्नीय प्रधान सत्र न्यायाधीश महोदय कटनी **श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़ द्वारा दो व्यथित व्यक्ति(रजनीश कुमार तिवारी एवं संजय तिवारी)** के आधार पर अभियुक्त मो.यासीन पर धारा 120बी (2काउंट), 420/120बी (2काउंट), 467/120बी (2काउंट), 468/120बी (2काउंट),471(2काउंट), 423 या 423/120बी, 424 या 424/120बी भा.दंसं. का आरोप विरचित किया गया और अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाने जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार करके विचारण चाहा। अभियुक्तगण ने धारा 313 दण्ड

प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत् अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष और झूंठा फंसाया जाना बतलाया है। अभियुक्तगण ने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

07. प्रकरण में **व्यथित व्यक्ति (रजनीश कुमार तिवारी एवं संजय तिवारी)** द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आलोक में अभियुक्तगण संदीप बर्मन, मानवेन्द्र मिस्त्री, मनीष सरवगी, नरेश पोद्दार एवं नरेश कुमार बर्मन पर अधिरोपित आरोप में से धारा 420 या 420/34, 423 या 423/34, 424 या 434/34, भा.दं.सं. के आरोप से दोषमुक्त किये जाने एंव अभियुक्त सतीश सरावगी को धारा 420/120बी भादसं के आरोप से दोषमुक्त किये जाने तथा अभियुक्त मो. यासीन को धारा 420/120बी (2 काउंट), 423 या 423/120बी, 424 या 424/120बी भा.दं.सं. के आरोप से दोषमुक्त किये जाने के कारण **अब प्रकरण के उचित निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं–**

1. **क्या** अभियुक्त संदीप बर्मन, मानवेन्द्र मिस्त्री, मनीष सरवगी, नरेश पोद्दार एवं नरेश कुमार बर्मन ने घटना दिनांक 30.03.16 से 12.07.16 के मध्य समय 12 बजे से 23:30 बजे के मध्य स्विस बैंक, फारेस्टर प्लेग्राउंड के सामने सिविल लाईन कटनी में अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर कूटरचना करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसे अग्रसर करते हुये फरियादी रजनीश तिवारी के वोटर आई.डी. ड्राईविंग लाईसेंस के प्रयोग से आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक एकाउण्ट व फर्जी कंपनी खोलने में उसके कूटरचित हस्ताक्षर किये?

2. **क्या** अभियुक्त संदीप बर्मन, मानवेन्द्र मिस्त्री, मनीष सरवगी, नरेश पोद्दार एवं नरेश कुमार बर्मन ने इसी घटना दिनांक समय एवं स्थल पर अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर छल के प्रयोजन से कूटरचना करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसे अग्रसर करते हुये फरियादी रजनीश तिवारी के नाम पर बैंक एकाउण्ट फार्म व फर्जी कंपनी खोलने व संचालित करने संबंधी दस्तावेज इस आशय से कूटरचित किया कि उसे छल के प्रयोजन से उपयोग में लाया जायेगा?

3. **क्या** अभियुक्त संदीप बर्मन, मानवेन्द्र मिस्त्री, मनीष सरवगी, नरेश पोद्दार एवं नरेश कुमार बर्मन ने इसी घटना दिनांक समय एवं स्थल पर अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज का असली के रूप में उपयोग में लाये जाने का सामान्य आशय निर्मित कर उसे अग्रसर करते हुये अभियुक्तगण ने यह जानते हुये कि रजनीश तिवारी के नाम का बैंक अकाउण्ट

व खोली गई फर्म व कंपनियां कूटरचित है, को बेईमानीपूर्वक असल के रूप में उपयोग कर पैसो का लेनदेन किया?

4. **क्या** अभियुक्त संदीप बर्मन, मानवेन्द्र मिस्त्री, मनीष सरवगी, नरेश पोद्दार एवं नरेश कुमार बर्मन ने इसी घटना दिनांक, समय एवं स्थल पर अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपराधिक षडयंत्र करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसे अग्रसर करते हुये अभियुक्तगण ने फरियादी रजनीश तिवारी की सहमति के बिना उसके नाम के कूटरचित फर्जी बैंक एकाउण्ट तथा कंपनिया खोलकर अपराधिक षडयंत्र कारित किया?

5. **क्या** अभियुक्त सतीश सरावगी एंव मो. यासीन ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अवैध कार्य/अपराध (**दस्तावेजों की कूटरचना कर**) **कूट रचित दस्तावेजों से फर्जी फर्मों** शिव आराधना इंटरप्राईजेस, प्रभु वंदना इंटरप्राइजेस, बाहुबली ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स व्यापार ट्रेडिंग, यूनिक ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स श्री लक्ष्मी इंटरप्राइजेस, मेसर्स हरिओम इंटरप्राइजेस, मेसर्स अंकुर इंटरप्राइजेस, मेसर्स आदिनाथ सर्विसेस, रामा इंटरप्राइजेस, एस. के. मिनरल्स, शुभम ट्रेडिंग कंपनी, श्री मिनरल्स, मेसर्स श्वेता इंटरप्राइजेस, मां शारदा इंटरप्राइजेज, राधास्वामी इंटरप्राइजेस आदि का गठन किया ?

6. **क्या** अभियुक्त सतीश सरावगी एंव मो. यासीन ने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर विभिन्न बैंकों (एक्सिस बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक, आंध्रा बैंक आदि) में दस्तावेजों की कूट रचना कर कूट रचित दस्तावेजों से विभिन्न खाते खोले उनके माध्यम से लाखों करोड़ो रूपये के अवैध संव्यवहार किया?

7. **क्या** अभियुक्त सतीश सरावगी एंव मो. यासीन ने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में **संजय तिवारी एवं रजनीश तिवारी** आदि के साथ छल कारित करने के आशय से उनसे कपट पूर्वक उनके विभिन्न दस्तावेज परिचय पत्र/फोटो/चालन अनुज्ञप्ति आदि प्राप्त किये और उनके नाम से उक्त दस्तावेजों का दुरूपयोग किया है ?

8. **क्या** अभियुक्त सतीश सरावगी एंव मो. यासीन ने आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में संजय तिवारी एवं रजनीश तिवारी आदि के साथ छल कारित करने के आशय से उनके विभिन्न दस्तावेज परिचय पत्र/फोटो/चालन अनुज्ञप्ति में कूट रचना कर एवं अन्य

कूट रचित दस्तावेजो का उपयोग कर छल पूर्वक विभिन्न फर्जी फर्मों (एस. के. मिनरल्स, रामा इंटरप्राइजेज आदि) का गठन किया और उक्त फर्जी फर्मों के नाम से विभिन्न बैंकों (एक्सिस बैंक आदि) में फर्जी खाते खोलकर उनके माध्यम से पैसों का लेनदेन कर उनके साथ छल कारित किया ?

9. **क्या** अभियुक्त सतीश सरावगी एंव मो. यासीन ने आपराधिक षड्यंत्र के अनुसरण में उक्त विभिन्न फर्जी फर्मों का गठन करने/उक्त फर्जी फर्मों के नाम से उक्त विभिन्न बैंकों में विभिन्न फर्जी खाते खोलने एवं उक्त फर्जी बैंक खातों के माध्यम से विभिन्न राशियों के संव्यवहार करने/विभिन्न राशियां प्राप्त करने हेतु विभिन्न मूल्यवान दस्तावेजों (चैक, पे इन स्लिप आदि) की कूट रचना की?

10. **क्या** अभियुक्त सतीश सरावगी ने उस अपराध के किये जाने की साक्ष्य का विलोपन, नदी पार, मरघटाई के पास अपने स्कूल में उक्त अपराध से संबंधित दस्तावेजों को छिपाने एवं दिनांक 06.01.17 को अपने उक्त स्कूल से उक्त दस्तावेजों को लोडर आटो क्रमांक MP-21 M/0522 के माध्यम से हटाकर किया?

11. दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय प्रश्न क्र.1 लगायत 9

08. विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 9 परस्पर संबंधित होने से सुविधा की दृष्टि से उनका एक साथ निराकरण किया जा रहा है ताकि साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो।

09. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत **फरियादी रजनीश कुमार तिवारी (अ.सा.4)** ने साक्ष्य दी है कि वह वर्ष 2016 एवं 2017 में बिजली ठेकेदार के अण्डर में मजदूरी का काम करके 100 रूपये प्रतिदिन एवं माह में करीब डेढ़ से दो हजार रूपये कमा लेता था, वर्ष 2016 में उसके पिता गोविंदप्रसाद को इंकम टैक्स विभाग का नोटिस दिनांक 30.03.2016 उसके नाम से मिला, जो उसके पिता ने उसे दिया था। वह नोटिस लेकर आयकर कार्यालय कटनी गया था, तब इंकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने उससे एस.के. मिनरल्स के बारे में पूछा था कि यह कंपनी किसकी है। इंकम टैक्स विभाग ने उससे दो तीन घंटे तक पूंछताछ की थी और इसके बाद वह वापस घर आ गया था। उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक कटनी को एक टाईपशुदा शिकायतपत्र प्रपी 51 दी थी, जिस

पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने घटना के संबंध में मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष धारा 164 द.प्र.सं. के कथन प्रपी 52 दिया था। जप्तीपत्रक प्र.पी. 5 के अनुसार जप्त आर्टिकल ए के बैंक फार्म, आर्टीकल बी के फार्म पर उसके हस्ताक्षर हैं, एच. डी.एफ.सी. बैंक का फार्म प्रपी 53, आयकर विभाग के कार्ड की फोटोप्रति प्रपी 54 व ड्राईविंग लाईसेंस की फोटोप्रति प्रपी 55 पर उसके हस्ताक्षर हैं, जप्तीपत्रक प्रपी 10 के अनुसार आर्टिकल आई. एक्सिस बैंक के फार्म पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10. रजनीश कुमार तिवारी (अ.सा.4) ने यह भी साक्ष्य दी है कि पुलिस ने उससे प्रपी 48, प्रपी 49 एंव प्रपी 50 के अनुसार नमूना हस्ताक्षर अंग्रेजी व हिन्दी, लिखावट अंग्रेजी तथा हिन्दी में नमूने के तौर पर दिये थे। उसने भारतीय स्टेट बैंक में अपना पर्सनल खाता 500 रूपये जमा करके खुलवाया था, बैंक फार्म प्रपी 56 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने यूको बैंक में भी 500 रूपये या 1000 रूपये जमा करके अपना खाता खोला था, बैंक फार्म प्रपी 57 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने भारतीय स्टेट बैंक के खाते से संबंधित प्रपी 2 का चैक संजय मिश्रा के नाम से जारी किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तीपत्रक प्रपी 18 से जप्त प्रपी18ए के फार्म, जप्तीपत्रक (प्र.पी.19) से जप्त (प्र. पी.19ए) के फार्म एवं एक्सिस बैंक के फार्म (प्र.पी.19बी), जप्ती पत्रक (प्र.पी.8) के अनुसार जप्त बैंक ऑफ बड़ौदा का फार्म प्रपी 8ए पर उसके हस्ताक्षर हैं। जनधन योजना से संबंधित उसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जीरो बैलेंस पर अपना खाता खोला था। जप्तीपत्रक प्रपी11 के अनुसार जप्त यूनियन बैंक का फार्म आर्टिकल प्रपी 11ए पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तीपत्रक (प्र.पी.3) से जप्त चैक आर्टिकल(प्र.पी.3ए), आर्टिकल (प्र.पी.3बी), आर्टिकल(प्र.पी.3सी), आर्टिकल(प्र. पी.3डी), आर्टिकल(प्र.पी.3ई), आर्टिकल(प्र.पी.3एफ) पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तीपत्रक प्रपी 3 के अनुसार नमूना हस्ताक्षर (प्र.पी.3आई), बैंक का फार्म आर्टिकल(प्र.पी.3जे), जमा पर्ची आर्टिकल (प्र.पी.3के) पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तीपत्रक (प्र.पी.7) से जप्त एच.डी.एफ.सी. बैंक के खाता नंबर 7322560000537 आर्टिकल (प्र.पी.7ए) पर उसके हस्ताक्षर हैं। फार्म के साथ संलग्न स्टेटमेंट की फोटोकॉपी एंव उक्त फार्म के साथ संलग्न कस्टमर अण्डरटेकिंग फार्म पर लगी श्री मिनरल्स प्रो. की सील पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. रजनीश कुमार तिवारी (अ.सा.4) ने यह भी साक्ष्य दी है कि नोटिस मिलने के बाद वह कलेक्ट्रेट के पास आयकर विभाग के कार्यालय गया था और प्रपी 118–सी का नोटिस दिनांक 30.03.2016, इंकम टैक्स अधिकारी को दिखाया, तो उन्होनें कहा कि एफ.आई.आर कर दो तो टैक्स से बच जाओगे, तब उसने पुलिस को शिकायत की थी, पुलिस ने उसकी शिकायत लिखी थी, उसने उस पर हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने उससे पूंछतांछ की थी

कि कहाँ–कहाँ एकाउण्ट खोले हो, तो उसने पुलिस को बयान दिया था। जप्तशुदा आर्टिकल बी के अनुसार खाता नंबर 317010200009324 एंव जप्तशुदा आर्टिकल ए के अनुसार खाता नंबर 317010200010007 खोला है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सुभाष चौक शाखा कटनी में उसका बचत खाता था। वर्ष 2016 के टैक्स नोटिस की बकाया राशि 58,50,471/–रूपये है और उक्त इंकम टैक्स की राशि वर्तमान में भी उसके विरूद्ध बकाया है। उसने संजय मिश्रा को 15000/– रूपये का चैक मोटर साइकिल के संबंध में दिया था, जिस पर उसने उसे एक पुरानी मोटरसाईकिल खरीद कर दी थी, उसने संजय मिश्रा को उक्त मोटरसाईकिल वापस नहीं की है।

12. **गोविंद प्रसाद तिवारी (अ.सा.19)** ने भी इस बात की पुष्टी की है कि रजनीश तिवारी उसका पुत्र है, वर्तमान में किराये की आटो चलाता है। वर्ष 2006–07 में उसे रजनीश तिवारी के नाम का सेल टैक्स का नोटिस मिला था, रजनीश उस समय उसके पास नहीं रहता था, पाठक कॉलोनी में रहता था, उसने अपने लड़के रजनीश को नोटिस के बारे में बताकर उसे दे दिया था, उसने यह भी बता दिया था कि सेल टैक्स का ऑफिस पन्ना मोड़ कुठला में हैं, वहां चले जाओ, तब रजनीश सेल टैक्स आफिस गया था।

13. आरोप पत्र में उल्लेखित पीड़ित व्यक्ति **संजय तिवारी (अ.सा.24)** ने साक्ष्य दी है कि वह आरोपी सतीश सरावगी के यहां 15 साल पहले नौकरी करता था, इसलिये उसे जानता है। लगभग 8–10 साल पहले पुलिस उसके घर आई थी और घर की तलाशी लेकर कुछ दस्तावेज उसके घर से जप्त कर जप्ती पत्रक (प्र.पी.26) बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं जप्ती उपरांत उसे थाने चलने के लिये कहा था, पुलिस वालों ने शिकायत पत्र आर्टिकल प्रपी 26ए पर उससे हस्ताक्षर कराये थे, जिसके अनुसार ड्राईविंग लाईसेंस की फोटोकॉपी आर्टिकल प्रपी 26ए के फ से फ भाग पर भी उसके हस्ताक्षर हैं, उसने धारा 164 द.प्र.सं. के कथन (प्र.पी.85) न्यायालय के समक्ष दिये थे, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने जनसुनवाई शिकायत पत्र एवं धारा 164 के कथनों में सतीश सरवागी व मनीष सरावगी के यहां नौकरी करने वाली बात बताई था।

14. अभियोजन साक्षी **अमित अधिकारी (अ.सा.37)** ने साक्ष्य दी है कि लगभग 12–13 वर्ष पूर्व मानवेन्द्र से उसकी मुलाकात अनिल सिंह ने कराई थी। मानवेन्द्र उसकी क्लीनिक पहरूआ मण्डी में आता था। वर्ष 2009–10 में उसे मोटरसाईकिल की आवश्यकता थी, तब मानवेन्द्र से उसकी बात हुई थी, तो मानवेन्द्र कहा था कि फाईनेंस करवा देंगें, तुम अपना पैन कार्ड बनवा लो और

मानवेन्द्र ने पैन कार्ड बनवाने हेतु उससे 10वीं व 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी ली थी, उसका पैन कार्ड बनकर आ गया था, तब आरोपी मानवेन्द्र ने उसे पैन कार्ड की फोटोकॉपी दी थी, मूल नहीं दिया था। आरोपी मानवेन्द्र ने उसे आन्ध्रा बैंक ले जाकर कई कागजों पर और दो तीन खाली चैकों पर हस्ताक्षर कराये थे, इसके बाद उसने टी.व्ही.एस. अपाचे मोटरसाईकिल, जो उस समय करीब 80 हजार रूपये की थी, फाईनेंस में ली थी और गाड़ी की किश्तें अदा करता था, वर्ष 2016 और 2017 में आयकर विभाग का नोटिस मिला था, जिसमें उसका पता सागर का होना लिखा था, जबकि वह कटनी का रहने वाला है, जिसके बाद वह अपने वकील विजय सिंह से मिला और उनके साथ आयकर विभाग कटनी के कार्यालय गया था। वकील साहब के मोबाईल में मानवेन्द्र की फोटो थी, जिसे उन्होने आयकर विभाग को दिखाया, तो आयकर विभाग के अधिकारी ने बताया कि यही अमित है और यह व्यक्ति ही अमित अधिकारी के नोटिस लेकर जाता है। इसके बाद भी उसे आयकर विभाग के नोटिस प्राप्त होते रहे, इसके बाद उसके द्वारा थाने में एक टाईपशुदा शिकायत (प्र.पी.36) दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आयकर विभाग का नोटिस भी पुलिस को दिया था। शिकायत में उसने वही खाता नंबर लेख किया है, जो इंकम टैक्स के नोटिस में लिखा था।

15. अमित अधिकारी (अ.सा.37) ने यह भी साक्ष्य दी है कि उसके आंध्रा बैंक कटनी के खाता नंबर 170111100001060 में वर्ष 2010–2011 में 218.56 लाख का लेनदेन किया गया है, जबकि उक्त खाते के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है, उसके द्वारा वर्ष 2009 में बचत खाता नंबर 170110100004261 मानवेन्द्र के द्वारा मोटरसाईकिल की किश्त जमा करने के लिये खुलवाया था। शिकायत पत्र में उसने आयकर विभाग द्वारा नोटिस में पेन कार्ड नंबर ए.पी.आर.पी.ए.0665एच. का उल्लेख किया था, उक्त पेनकार्ड की फोटोकापी उसे मानवेन्द्र के द्वारा दी गई थी। बैंक मैनेजर द्वारा मानवेन्द्र की मिलीभगत से खाता खुलवाकर 218.56 लाख का लेनेदन उसकी जानकारी के बिना अक्टूबर 2010 से दिसंबर 2010 के बीच में किया है, उसने एम.आई.जी.30 दीनदयाल नगर मकरोनिया सागर का उल्लेख है, जबकि उक्त पते पर उसने कभी निवास नहीं किया है, आयकर विभाग से प्राप्त नोटिस उसने पुलिस को जांच हेतु दिया था।

16. **साक्षी अनिल सिंह (अ.सा.38) ने** यह साक्ष्य दी है कि वर्ष 2007–08 में वह मानवेन्द्र के पास काम की तलाश में गया था और बोला था कि उसे कुछ काम दिला दो, तब मानवेन्द्र ने ड्राईवरी के कार्य एवं अन्य घरू कार्य के लिये उसे रख लिया था, मानवेन्द्र उसके खाते में कभी तीन चार हजार रूपये डाल देता था और कभी नगद दे देता था, मानवेन्द्र ने उसका एक्सिस बैंक में खाता खुलवाया था और बोला था कि आने वाले समय में मानवेन्द्र

उसकी पेमेंट खाते में डालेगें, खाता खुलवाने के लिये उसने उसका पैन कार्ड बनवाया था तथा उसका परिचय पत्र भी उससे लिया था, मानवेन्द्र ने उसका खाता सद्भावना मूवर्स के नाम से खुलवाया था, खाता खुलने के दो–तीन साल बाद उसे आयकर विभाग से दो चैक की राशि कमशः 68 हजार और 69 हजार रूपये सद्भावना मूवर्स के नाम से आई थी, तब वह मानवेन्द्र के पास और मित्तल इंडस्ट्री माधवनगर में, जो दो दादा बैठते थे, के पास गया था, तो मानवेन्द्र लोगों ने उससे चैक उन्हें देने को कहा था, इसके बाद उसने एक्सिस बैंक में जाकर खाता बंद करा दिया था, मानवेन्द्र के पास उसका मूल पैन कार्ड और वोटर आई.डी. की छायाप्रति है एवं उक्त खाते की राशि के संबंध में उसकी मानवेन्द्र से बुराई हो गई है।

17. प्रथम सूचना लेखक **दिनेश कुमार कुरोसिया (अ.सा.33)** ने यह कथन किया है कि वह दिनांक 12.07.2016 को थाना कोतवाली कटनी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रार्थी रजनीश तिवारी पिता श्री गोविंद प्रसाद तिवारी के द्वारा बैंक में अकाउंट खोलकर व्यवसाय करने के संबंध में शिकायत की गई थी, शिकायत पत्र प्र.पी. 51 के अनुसार उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर थाना कोतवाली जिला कटनी के अपराध क.738/2016 धारा 420, 467, 468, 471 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्र.पी.92** लेखबद्ध की गई थी, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

18. **मुख्य विवेचक साक्षी एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2)** ने यह साक्ष्य दी है कि वह थाना कोतवाली कटनी में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। आवेदक रजनीश कुमार तिवारी पिता गोविंद प्रसाद तिवारी निवासी अमीरगंज रविन्द्रनाथ वार्ड नंबर 45 द्वारा पुलिस अधीक्षक कटनी के समक्ष एक शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदन पत्र के साथ आयकर विभाग के नोटिस दिनांक 30.03.2016 की फोटोकॉपी भी संलग्न थी। आवेदन पत्र पर थाना कोतवाली कटनी में अपराध क. 738/2016 धारा 420, 467, 468, 471 भा.द.वि. के तहत सहा. उपनिरीक्षक दिनेश कुरोसिया के द्वारा दिनांक 12.10.2016 को मामला कायम किया गया था। गवाह संजय मिश्रा के पेश करने पर रजनीश तिवारी के नाम का एक भारतीय स्टेट बैंक का चैक क्रमांक 126813, खाता नंबर 30733843977 राशि रूपये 15,000/–जिसमें रजनीश कुमार तिवारी के हस्ताक्षर हैं, को उसके द्वारा गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक (प्र.पी.1) तैयार किया था।

19. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह भी साक्ष्य दी है कि दिनांक 09.03.17 को रामकुमार सिंह, शाखा प्रबंधक एक्सिस बैंक कटनी के पेश करने पर शुभम ट्रेडिंग कंपनी का खाता नंबर 317010200006989 खोलने का

फार्म मूल प्र.पी.5ए, श्री मिनरल्स कंपनी का खाता नंबर 317010200009324 खोलने का फार्म मूल (प्र.पी.5बी), को जप्त कर जप्तीपत्रक (प्र.पी.5) तैयार किया और दिनांक 01.05.2017 को क. (1) से (4) मानवेन्द्र मिस्त्री का खाता नंबर 317010100039677, खाता नंबर 317010200011820, खाता नंबर 31701010011954, खाता नंबर 3170 10100102537 खोलने का फार्म,(5) नरेश बर्मन का खाता नंबर 317010200011079 खोलने का फार्म, (6)नरेश बर्मन, मनीष सरावगी का खाता नंबर 317010200008785 खोलने का फार्म, (7) नरेश पोद्दार, मनीष सरावगी का खाता नंबर 3170102000 11024 खोलने का फार्म, (8) राकेश यादव का खाता नंबर 317010200010867 खोलने का फार्म, (9) रजनीश तिवारी का खाता नंबर 317010200013882 खोलने का फार्म, मुताबिक जप्तीपत्रक (प्र.पी.10) के जप्त किया।

20. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह भी साक्ष्य दी है कि जप्तीपत्रक (प्र.पी.10) में जप्त किये गये–क्र.1 मानवेन्द्र मिस्त्री के खाते का फार्म (प्र.पी.10ए), क्र.2 राधास्वामी इंटरप्राईजेस के नाम का खाता नंबर 3170102000 11820 खोलने का फार्म (प्र.पी.10बी), क्र.3 के अनुसार जप्त श्वेता इंटरप्राईजेस के नाम का खाता नंबर 31701010011954 खोलने का फार्म (प्र.पी.10सी), क. 4 लक्ष्मी इंटरप्राईजेस के नाम का खाता नंबर 317010100102537 खोलने का फार्म (प्र.पी.10डी), क. 5 नरेश बर्मन का मेसर्स श्री लक्ष्मी इंटरप्राईजेस के नाम का खाता नंबर 317010200011079 खोलने का फार्म (प्र.पी.10ई), क. 6 नरेश बर्मन, मनीष सरावगी के हरिओम इंटरप्राईजेस के नाम का खाता नंबर 317010200008785 खोलने का फार्म (प्र.पी.10एफ), क.7 नरेश पोद्दार, मनीष सरावगी के मेसर्स अंकुर इंटरप्राईजेस के नाम का खाता नंबर 317010200011024 खोलने का फार्म (प्र.पी.10जी), क. 8 राकेश यादव का मेसर्स आदिनाथ सर्विसेज के नाम का खाता नंबर 317010200010867 खोलने का फार्म (प्र.पी.10एच), क्र.9 रजनीश तिवारी का श्वेता इंटरप्राईजेस के नाम का खाता नंबर 317010200013882 खोलने का फार्म (प्र.पी.10आई) है, जिसमें रजनीश तिवारी की फोटो लगी है।

21. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह भी साक्ष्य दी है कि दिनांक 14.07.2016 को उक्त रामकुमार सिंह के ही पेश करने पर (1) रजनीश कुमार तिवारी का एकाउंट नंबर 317010200013378 से संबंधित ओपनिंग फार्म, मूलप्रति (प्र.पी.18ए) (2) एक्सिस बैंक के एकाउंट नंबर 317010200010007 का स्टेटमेंट (3) पैन कार्ड नंबर AFMPT3294E की छायाप्रति (4) यूको बैंक एकाउंट नंबर 272 स्टेटमेंट की छायाप्रति को जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी 18 तैयार किया था। दिनांक 17.08.2016 को (1) एस. के. मिनरल्स का एकाउंट नंबर 3170102000 10007 का करेंट एकाउंट ओपनिंग फार्म, प्र.पी.19ए, (2)

रजनीश तिवारी का पैन नंबरAFMPT3294E की छायाप्रति, (3) स्टेटमेंट, यूको बैंक की छायाप्रति एवं यूको बैंक का चैक नंबर 120294, 100/–रूपये की छायाप्रति (4) रजनीश तिवारी के एक्सिस बैंक, सेविंग एकाउंट ओपनिंग फार्म एकाउंट नंबर 317010100089511, प्र.पी.19बी (5) रजनीश तिवारी के आयकर विभाग का पैन नंबर AFMPT3294E की छायाप्रति, (6) एकाउंट नंबर 317010200009324 के स्टेटमेंट की छायाप्रति, जप्त कर जप्तीपत्रक प्र.पी.19 तैयार किया था।

22. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह भी साक्ष्य दी है कि दिनांक 27.01.2017 को खाता खोलने के फार्म व दस्तावेज गवाहों के समक्ष जप्त किये गये थे जिनमें–(1) खाता नंबर 317010200015677 वीना ट्रेडिंग कंपनी, (2) खाता नंबर 317010200014304 शिव आराधना इंटरप्राईजेस,(3)खाता नंबर 317010200013970 प्रभु वंदना इंटरप्राईजेस,(4) खाता नंबर 317010 200013396 श्याम मिनरल्स, (5)खाता नंबर 317010200013369 प्रजापति इंटरप्राईजेस, (6) खाता नंबर 317010200011088 बाहुबली ट्रेडिंग कंपनी, (7) खाता नंबर 3170 10200011741 गणपति ट्रेडिंग कंपनी, (8) खाता नंबर 317010 200014298 व्यापार ट्रेडिंग कंपनी, (9) खाता नंबर 317010 200014146 यूनिक ट्रेडिंग कंपनी, (10) खाता नंबर 317010200011556 लक्ष्मी इंटरप्राईजेस के उपरोक्त सभी मूल दस्तावेज तथा फर्म राधास्वामी ट्रेडिंग कं 11088 एवं महादेव ट्रेडिंग कं 10830 की छायाप्रति गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्तीपत्रक (प्र.पी.27) तैयार किया था। जिसके क्रं.1 के अनुसार वीना ट्रेडिंग कंपनी के दस्तावेज(प्र.पी. 27ए), क्रं.2 के अनुसार शिव आराधना के दस्तावेज (प्र.पी.27बी), क्रं.3 के अनुसार प्रभु वंदना इंटरप्राईजेज के दस्तावेज (प्र.पी.27सी), क्रं.4 के अनुसार श्याम मिनरल्स के दस्तावेज (प्र.पी.27डी), क्रं. 5 के अनुसार प्रजापति इंटरप्राईजेस के दस्तावेज(प्र.पी.27ई), क्रं. 6 के अनुसार बाहुबली ट्रेडिंग कंपनी के दस्तावेज (प्र. पी.27एफ), क्रं. 7 के अनुसार गणपति ट्रेडिंग कंपनी के दस्तावेज (प्र.पी.27जी), क्रं. 8 के अनुसार व्यापार ट्रेडिंग कंपनी के दस्तावेज (प्र.पी.27एच) क्रं. 9 के अनुसार यूनिक ट्रेडिंग कंपनी के दस्तावेज (प्र.पी.27आई),क्रं. 10 के अनुसार लक्ष्मी इंटरप्राईजेज के दस्तावेज (प्र.पी.27जे) है।

23. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह भी साक्ष्य दी है कि दिनांक 25.01.2017 को सुनील कुमार शाखा प्रबंधक यूको बैंक, कटनी के पेश करने पर निम्नानुसार यूको बैंक के फार्म, चैक एवं बाउचर जप्त किये–(1) दिनांक 04.04.08 के न्यू एकाउंट की जमा पर्ची 03 हजार रूपये,(2) दिनांक 08. 04.08 को खाता नंबर 272 का चैक नंबर 120251, राशि 1,50,000–रू, (3) दिनांक 08.04.08 का खाता नंबर 271 का चैक नंबर 120276, रूपये 2,58,609/–,(4) दिनांक 09.04.08 क्रेडिट 272 एस.के. मिनरल्स की पर्ची, 1,50,000/–रूपये, (5) दिनांक 21.04.08 की बचत खाता जमा पर्ची, एस.के.

मिनरल्स, 2,65,200 रूपये, (6)दिनांक 22.04.08 का चैक नंबर 120280 खाता नंबर 272 रूपये 2,65,200,(7) खाता नंबर 272, तत्काल जमा पर्ची दिनांक 03. 05.08 जिसमें चैक नंबर 591857 भा.स्टेट बैंक, राशि रूपये 02 लाख, एस.के. मिनरल्स के नाम की पर्ची, (8) दिनांक 05.05.08 एस.के. मिनरल्स के नाम की जमा पर्ची 1610741, (9) दिनांक 06.05.08 का चैक नंबर 120285 खाता नंबर 272, रू. 1,99,000/–, (10) दिनांक 07.05.08 का चैक नंबर 120277 खाता नंबर 272, रू. 1,60,000/–,(11) यूको बैंक दिनांक 13.05.08 की जमा पर्ची खाता नंबर 272, जो एस.के. मिनरल्स का खाता नंबर 2192981 (12) चैक दिनांक 14.05.08, चैक क्रमांक 120279 खाता नंबर 272 रूपये 2,19,000/–,(13) जमा पर्ची दिनांक 15.05.08 जिस पर एस. के. मिनरल्स राशि रूपये 10,000/–, (14) चैक दिनांक 16.05.08 चैक नंबर 120288 खाता नंबर 272 रूपये 10,000/–रूपये, (15) जमा पर्ची खाता नं. 272 दिनांक 22.05.08 जिसमें एस.के.मिनरल्स, 2,57,478/–रूपये (16)जमापर्ची खाता न. 272 दिनांक 22.05.08 एस.के.मिनरल्स की पर्ची 3 लाख रुपये,(17) दिनांक 23.05.08 खाता नं. 272 चैक नंबर 120278 व राशि 2,57,000/–रूपये, (18) दिनांक 23.05.08 खाता नंबर 272 चैक नंबर 120286 रूपये 2,95,000/– (19) जमा पर्ची दिनांक 23.05.08 खाता नंबर 272. एस.के.मिनरल्स 3,06,528/–रुपये, (20) चैक दिनांक 26.05.08 खाता नंबर 272 चैक नंबर 120287 जिस पर 3,00,000/– रुपये लेख है।

24. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह भी साक्ष्य दी है कि क्रमांक (21) यूको बैंक का चैक दिनांक 29.05.06 खाता नंबर 272 चैक नंबर 120293, रू 13000/–, (22) यूको बैंक की तत्काल जमा पर्ची 19.06.08, रू. 3,13,154/–, एस. के. मिनरल्स का नाम लेख है, (23) यूको बैंक का चैक नंबर 120281 दिनांक 20.06.08 जिस पर 3,13,000/– रूपये लेख है, (24) यूको बैंक की जमा पर्ची दिनांक 02.07.08 जिस पर एस.के. मिनरल्स लेख है, खाता नंबर 272, राशि रूपये 1,59,000/–लेख है, (25) यूको बैंक का चैक दिनांक 04.07. 08 चैक नंबर 120298 जिस पर 1,60,726/– रूपये लेख है, (26) यूको बैंक के नाम से खाता बंद करने का आवेदन जिसमें आर.के. तिवारी के हस्ताक्षर हैं और दिनांक 04.07.08 लेख है, (27) यूको बैंक का खाता खोलने के समय का नमूना हस्ताक्षर फार्म, जिस पर आर.के. तिवारी की फोटो व हस्ताक्षर हैं तथा एस. के मिनरल्स की सील लगी है। (28) यूको बैंक का खाता खोलने का फार्म, जिस पर आर. के. तिवारी की फोटो व दूसरे पृष्ठ पर एस.के. मिनरल्स की सील व हस्ताक्षर, तीसरे पृष्ठ पर अलंकार ट्रेडिंग कंपनी की सील व रवि प्रजापति के हस्ताक्षर हैं, फार्म नंबर 60 पर एस.के.मिनरल्स की सील व हस्ताक्षर, मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड की छयाप्रति, प्रमाणित हस्ताक्षर, गोविंद पी.डी.एम.पी.ई.बी. का बिल तथा पांच– पांच रूपये के दो स्टाम्प, 04ए.ए.633160, 04ए.ए.633161 के शपथ पत्र, जो यूको बैंक के नाम पर हैं, जिस पर एस.के.मिनरल्स की सील

व आर.के.तिवारी के हस्ताक्षर हैं, को गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्तीपत्रक (प्र. पी.3) तैयार किया।

25. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह भी साक्ष्य दी है कि दिनांक 02.05.2017 को सत्यप्रकाश जाटव, उप शाखा प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कटनी के पेश करने पर गवाह के समक्ष मुताबिक जप्तीपत्रक के (1) रजनीश तिवारी के खाता नंबर 325801010050601, जो श्री मिनरल्स के नाम पर खोला गया है, खाता धारक रजनीश तिवारी की फोटो लगी है और परिचयकर्ता के रूप में मानवेन्द्र मिस्त्री के हस्ताक्षर हैं, (2) खाता खोलने के फार्म के साथ निबंधन व शर्तों का फार्म परिशिष्ट ए, जिसमें श्री मिनरल्स प्रोप्राईटर आर.के.तिवारी के दो हस्ताक्षर हैं, (3) रजनीश तिवारी का ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति, जिसे आर.के. तिवारी द्वारा सत्यापित किया गया है, (4) रजनीश तिवारी के पैन कार्ड की छायाप्रति, जिसे आर.के. तिवारी द्वारा सत्यापित किया गया है, (5) श्री मिनरल्स का टिन नंबर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति जिसे आर. के. तिवारी द्वारा सत्यापित किया गया है, (6) रजनीश तिवारी के परिचय पत्र की छायाप्रति, जिसे आर. के. तिवारी द्वारा सत्यापित किया गया है, (7) गोविंद प्रसाद तिवारी के बिजली बिल की छायाप्रति, आर. के. तिवारी द्वारा सत्यापित किया गया है, (8) चैक नंबर 896653 व 896655 दिनांक 24.03.2017 एवं 27.03.2017 के है, जिसमें आर. के. तिवारी के हस्ताक्षर है, को उसके द्वारा जप्त कर जप्तीपत्रक (प्र.पी.11) तैयार किया गया था। दिनांक 02. 05.2017 को रजनीश तिवारी के खाता नंबर 325802010681536, को खोलने के फार्म एवं रजनीश तिवारी के राशन कार्ड व ड्राईविंग लाईसेंस की प्रमाणित छायाप्रति व दस रूपये के स्टाम्प पर राजकुमार गुप्ता एवं रजनीश तिवारी का किरायानामा गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्तीपत्रक (प्र.पी.12) तैयार किया है।

26. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह भी साक्ष्य दी है कि दिनांक 02.05.2017 को के. मोहन बाबू असिस्टेंट मैनेजर आंध्रा बैंक कटनी के पेश करने पर गवाह निखिल सेठिया दफतरी आंध्रा बैंक व अजय सिंह, उपनिरीक्षक, थाना कोतवाली के समक्ष मानवेन्द्र मिस्त्री का खाता नंबर 170110100021514 का बचत खाता खोलने का फार्म, जिसमें मानवेन्द्र मिस्त्री की फोटो लगी है, दूसरे पृष्ठ पर भी फोटो व हस्ताक्षर हैं, तीसरे पृष्ठ पर भी मानवेन्द्र की फोटो व हस्ताक्षर हैं, चौथे पृष्ठ पर मानवेन्द्र के हस्ताक्षर हैं, पांचवे पृष्ठ पर भी मानवेन्द्र के हस्ताक्षर हैं, पृष्ठ क्रमांक 6 पर नामांकन फार्म, जिसमें मानवेन्द्र के हस्ताक्षर हैं, पृष्ठ क्रमांक 7 पर पैन कार्ड व पृष्ठ क 8 पर ड्राईविंग लाईसेंस, जो मानवेन्द्र के नाम पर हैं और इसी के द्वारा प्रमाणित है, क्रमांक 1 से 6 मूल व क्रमांक 7 व 8 की छायाप्रति को जप्त कर जप्तीपत्रक (प्र.पी.13) तैयार किया था।

27. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह भी साक्ष्य दी है कि दिनांक 26.04.2017 को अरविंद कुमार वरिष्ठ प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा के पेश करने पर गवाह के समक्ष रजनीश तिवारी खाता धारक का कार्ड, जिसका खाता नंबर 20014264 है, जिसमें रजनीश तिवारी की फोटो लगी है, खाता खोलने का फार्म, जिसमें परिचयकर्ता के रूप में मानवेन्द्र मिस्त्री के हस्ताक्षर हैं, रजनीश तिवारी के मतदाता परिचय पत्र एवं राशन कार्ड की छायाप्रति, बिजली बिल की मूल प्रति, खाता खोलने का फार्म, बिजली बिल, खाता खोलने का हस्ताक्षर कार्ड मूलप्रति, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड की छायाप्रति जप्त कर जप्तीपत्रक (प्र.पी.8) तैयार किया गया था। दिनांक 08.05.2017 को खाता धारक मानवेन्द्र मिस्त्री का खाता नंबर 20011086 का खोलने का मूल फार्म, हस्ताक्षर नमूना फार्म, खाता खोलने का फार्म, जिसमें मानवेन्द्र मिस्त्री की फोटो लगी है, मानवेन्द्र मिस्त्री के ड्राईविंग लाईसेंस एंव फैमिली कार्ड की फोटोकॉपी की प्रमाणित प्रति, मुताबिक जप्तीपत्रक (प्र.पी.14) के अनुसार जप्त किया था।

28. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने कथन किया है कि दिनांक 19.04.2017 को दीपक तिवारी शाखा प्रबंधक एच.डी.एफ.सी. बैंक के पेश करने पर निम्न दस्तावेज जप्त किये–(1) श्री मिनरल्स के खाता नंबर 07322500000537 खोलने के फार्म की मूल प्रति, एस.डी.एफ.सी. बैंक की दिनांक 16.04.07, दिनांक 19.12.07 की पर्ची, करेंट एकाउंट की पर्ची, कस्टमर अण्डरटेकिंग की पर्ची, रजनीश तिवारी के आयकर कार्ड की प्रति, फार्म नं. 7 वाणिज्य कर अधिकारी के प्रमाण पत्र की प्रति, श्री मिनरल्स का खाता नंबर 325801010050601 का स्टेटमेंट, (2) मानवेन्द्र मिस्त्री के खाता नंबर 07321600003477 खोलने के फार्म की मूल प्रति, पैनकार्ड की छायाप्रति एंव यू. पी.आई. बैंक दिनांक 15.04.07 के चैक 10 हजार रूपये की प्रति, मानवेन्द्र के नाम के सर्विस नंबर 004330932371249 की छायाप्रति, एच.डी.एफ.सी. बैंक का फार्म व सहपत्र (3) रीता मिस्त्री के खाता खोलने का फार्म, पैनकार्ड की प्रति, एच.डी.एफ.सी. बैंक दि. 08.06.09 की पर्ची तथा मतदाता परिचय पत्र की प्रति, एच.डी.एफ.सी. के खाता नंबर 07321000024099 खोलने के फार्म की छायाप्रति (4) रीता मिस्त्री के एच.डी.एफ.सी. में खाता खोलने के फार्म, मानवेन्द्र मिस्त्री के आयकर विभाग के कार्ड की प्रति, खाता नंबर 07321460001521 खोलने के फार्म की प्रति (5) शिवांशी मिस्त्री के खाता नंबर 50100074664382 खोलने के फार्म, 10 हजार रूपये एच.डी.एफ.सी. लेख है, शिवांशी का जन्म प्रमाणपत्र, दिनांक 25.10.14 का रीता मिस्त्री के चैक की छायाप्रति, के.वाई.सी. रिपोर्ट एवं पैन डिटेल, शिवांशी के खाते की डिटेल (6) पूर्णिमा मिस्त्री के खाता नंबर 7321930002106 खोलने का फार्म, फार्म नंबर 60 और पूर्णिमा मिस्त्री के खाते की फोटोकॉपी, राशन कार्ड, मतदाता परिचयपत्र की प्रति, को जप्त कर जप्तीपत्रक (प्र.पी.7) तैयार किया। दिनाक 01.05.2017 को श्वेता इंटरप्राईजेस का खाता नंबर 07322320000891 खोलने का फार्म, खाता नंबर 317010

200013882 का स्टेटमेंट तथा एच.डी.एफ.सी. का फार्म एवं रजनीश तिवारी के ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड व एक्सिस बैंक के 01 लाख रूपये के चैक की प्रति को जप्त कर जप्तीपत्रक(प्र.पी.9) तैयार किया।

29. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह भी साक्ष्य दी है कि दिनांक 04.01.2017 को अभियुक्त संदीप बर्मन के पेश करने पर एक्सिस बैंक के एकाउंट नंबर 3170101000620196 का स्टेटमेंट, आयकर कमिश्नर को दिये गया आवेदन दिनांक 22.11.13, आयकर अधिकारी कटनी द्वारा संदीप बर्मन को दिया गया पत्र दि.06.04.2016 क्रं. एफ नंबर आई.टी.ओ. /डब्ल्यू–1कटनी/पेनाल्टी .ए.टी.टी.पी.ई.789/एन/2015–16, पत्र क. एफ नंबर आई.टी.ओ./डब्ल्यू–कटनी डिमांड/2014–15/94/1543 दिनांक 22.08. 2014, आयकर कमिश्नर का संदीप बर्मन के नाम से जारी पत्र दिनांक 01.01. 2014– 1681/130, पत्र आई.टी.एन.एस. 37 दि. 28.10.2013,पत्र आई. टी.एन.एस.–37 दि. 04.12.13–1617/125 पत्र आई.टी.एन.एस.–37 दिनांक 01. 03.2013– 1050/7, आयकर अधिकारी कटनी का पत्र नं. आई.टी.ओ. /डब्ल्यू–1 कटनी पेनाल्टी/ए.पी.टी.पी.पी.7891/एन/1516, नोटिस डिमाण्ड धारा 156 आयकर अधि. 1961 जारी दिनांक 28.07.2016, आयकर अधि. 1961 की धारा 156 का नोटिस संदीप बर्मन के नाम से जारी, दिनांक 28.07.2016 का, जिसमें आयकर अधिकारी डी.एस. राजपूत के हस्ताक्षर व सील अंकित है एवं संलग्न रकम का डिटेल है। विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह भी साक्ष्य दी है कि एवं आदेश धारा 271–ए,सी आयकर अधि., पत्र एफ. नंबर/आई.टी.ओ./डब्ल्यू/1/कटनी पेनाल्टी ए.पी.पी.बी.7891 .एन/2015–16 दिनांक 06.04.2016, आयकर कमिश्नर का संदीप बर्मन के नाम से जारी आई. टी.एन.एस.–37 दिनांक 05.02.2016 722/2, आयकर पिनसेवा ईकाई का प्रपत्र गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्तीपत्रक प्र.पी.20 तैयार किया था। कंडिका नंबर 11 में वर्णित दिनांक 28.07.2016 का मूल पत्र (प्र.पी.20ए), नंबर 12 के अनुसार आयकर विभाग का मूल पत्र क. 7891 (प्र.पी.20बी),एकाउंट नंबर 317010100062019 के स्टेटमेंट की मूल प्रति (प्र.पी.20सी), इंकम टैक्स के नोटिस (प्र.पी.20ए–1), नोटिस डिमांड 271ए दिनांक 28.07.2016, (प्र.पी.20डी), संदीप बर्मन के नाम से जारी आयकर पैन सेवा ईकाई का पत्र प्रपी 20ई है।

30. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह भी साक्ष्य दी है कि दिनांक 04.01.2017 को उसके द्वारा अभियुक्त संदीप बर्मन को गवाहो के समक्ष गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्रपी 21 तैयार किया गया था, और दिनांक 06. 01.2017 को समय 17.05 बजे थाना कोतवाली में, संदीप बर्मन से गवाहो के समक्ष पूंछतांछ की गई थी, जिसमें उसने सारे कागजात सरावगी स्कूल नदीपार कटनी में छिपाकर रखवा देना बताया था। गवाहो के समक्ष मेमोरण्डम कथन (प्र.पी.22) तैयार किया था। उसके द्वारा दिनांक 17.03.2017 को आरोपी सतीश

सरावगी को अभिरक्षा में लेकर गवाह के समक्ष पूंछतांछ कर उसका मेमोरण्डम कथन (प्र.पी.23) लेखबद्ध किया था, जिसमें उसने बताया था कि कुछ इंकम टैक्स के नोटिस उसके घर में रखे होंगे, जहाँ रखे हैं, वहाँ से निकालकर बरामद करा देता हूँ। तब आरोपी सतीश सरावगी के घण्टाघर स्थित घर से संदीप बर्मन, संजय तिवारी, नरेश बर्मन के आयकर से संबंधित दस्तावेज, जो तलाशी में मिले थे और आरोपी सतीश सरावगी का राशन कार्ड क्रमांक 14178 की फोटोकॉपी गवाहों के समक्ष उसके द्वारा जप्त कर जप्तीपत्रक (प्र.पी.24) तैयार किया था। जप्तीपत्रक (प्र.पी.24) के अनुसार संदीप बर्मन, संजय तिवारी और नरेश बर्मन के इंकम टैक्स को भेजे गये पत्र (प्र.पी.24ए, 24बी, 24सी) है। दिनांक 16.03.2017 को आरोपी सतीश सरावगी को समक्ष गवाहन गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक (प्र.पी.25) तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

31. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह भी साक्ष्य दी है कि दिनांक 06.01.2017 को संजय तिवारी के पेश करने पर (1) संजय तिवारी का गरीबी रेखा के नीचे के परिवार का राशन कार्ड नंबर 95564, वार्ड नंबर 45, खाता कमांक 297 (2) इंकम टैक्स ऑफिस कटनी एवं जबलपुर द्वारा संजय तिवारी को भेजा गया नोटिस (3) इंकम टैक्स ऑफिस जबलपुर का नोटिस (4) संजय तिवारी द्वारा स्टेट बैंक, मार्केट ब्रांच में 10 हजार रूपये का चालान भरने की पावती, (5) संजय तिवारी द्वारा लिखे गये शिकायत प्रतिवेदन (6) संजय तिवारी के ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति उसके द्वारा गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्तीपत्रक (प्र.पी.26) तैयार किया था। जप्ती पत्रक (प्र.पी.26) के क्रमांक 5 के अनुसार कलेक्टर महोदय कटनी, पुलिस अधीक्षक कटनी, आयकर अधिकारी से संबंधित दस्तावेज (प्र.पी.26ए) है। दिनांक 30.03.2017 को कृष्ण कुमार शर्मा अधिवक्ता हनुमानगंज कटनी के पेश करने पर गवाह के समक्ष संजय तिवारी द्वारा वित्त वर्ष 2007–08 का स्टेटमेंट ऑफ इंकम, संदीप बर्मन वित्तीय वर्ष 2007–08 का स्टेटमेंट ऑफ इंकम, राकेश यादव वित्तीय वर्ष 2007–08 का स्टेटमेंट ऑफ इंकम, जगबंधू बेहरा वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 का स्टेटमेंट ऑफ इंकम, मनीष सरावगी वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2012–13 का स्टेटमेंट ऑफ इंकम, नरेश पोद्दार वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं 2013–14 का स्टेटमेंट ऑफ इंकम को उसके द्वारा जप्त कर जप्ती पत्रक (प्र.पी.6) भी तैयार किया गया था।

32. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह भी साक्ष्य दी है कि दिनांक 14.02.2017 को आरोपी मानवेन्द्र मिस्त्री के पेश करने पर गवाह के समक्ष (1) शिवनगर बालाजी नगर स्थित मकान से एक रजिस्टर, जिसमें मानवेन्द्र मिस्त्री की लिखावट है, (2) एक कम्प्यूटर फंडामेंटल्स की पुस्तक, जिसमें मानवेन्द्र ने अपनी हस्तलिपि लिखावट में लिखी है, (3) एक कॉपी जिसमे आरोपी की लिखावट है, कॉपी के उपर किड्स रिकार्ड लिखा है (4) एक

नवोदय विद्यालय समिति, नोयडा का फार्म, जिसके अंदर आरोपी की लिखावट है, उक्त सभी दस्तावेज जप्त कर जप्तीपत्रक (प्र.पी.15) तैयार किया गया था। दिनांक 11.02.2017 समय 6.45 बजे थाना कोतवाली में अभियुक्त मानवेन्द्र मिस्त्री को हिरासत में लेकर गवाहों के समक्ष पूंछतांछ की गई थी, जिसमें आरोपी ने बताया था कि उसने जो रजनीश तिवारी के नाम से एस.के. मिनरल्स का खाता एक्सिस बैंक व यूको बैंक में खोला था। आरोपी का मेमोरण्डम कथन (प्र.पी.16) उसके द्वारा गवाहों के समक्ष तैयार किया था। उसके द्वारा दिनांक 14.02.17 को आरोपी मानवेन्द्र मिस्त्री का मेमोरण्डम कथन (प्र.पी.17) पुनः लिया था, जिसमें आरोपी ने बताया था कि खाते को बंद कराने हेतु उसने दिनांक 04.07.08 को आवेदन यूको बैंक को लिखा था, जिस पर उसने रजनीश तिवारी के हस्ताक्षर लिये थे, जिसकी पूरी जानकारी यूको बैंक से मिल जायेगी। दिनांक 11.02.2017 को आरोपी मानवेन्द्र मिस्त्री को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्र.प्री.28) तैयार किया।

33. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह भी साक्ष्य दी है कि दिनांक 10.03.2017 को प्रबंधक एक्सिस बैंक कटनी को पत्र (प्र.पी.30) प्रेषित कर शिव इंटरप्राईजेस के संबंध में 08 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी और विवेचना के दौरान एस.के. मिनरल्स के खाता नंबर 317010200010007 में हुये संव्यवहारों का विवरण (प्र.पी.31) तैयार किया था, जिसमें सतीश सरावगी एवं मनीष सरावगी से संबधित दस्सू पटेल की कंपनी सम्मिलित है। एस.के. मिनरल्स के खाता नंबर 317010200010078 में हुये संव्यवहारों का विवरण तैयार किया था जिसमें सतीश सरावगी एवं मनीष सरावगी के नौकर संदीप बर्मन, नरेश बर्मन, दस्सू पटेल, नरेश पोद्दार की कंपनियां शामिल हैं। संदीप बर्मन के शिव आराधना इंटरप्राईजेस से 19,50,000/–रूपये, श्री लक्ष्मी इंटरप्राईजेस प्रो. नरेश बर्मन से 1,56,99,900/–रू, व्यापार ट्रेडिंग प्रो. नरेश बर्मन से 76,00,000/–रू, यूनिक ट्रेडिंग कंपनी प्रो नरेश बर्मन से 11,00,000/–रुपये, प्रभुवंदना कंपनी प्रो. दस्सू पटेल से रूपये 42,00,000, बाहुबली ट्रेंडर्स प्रोप्राईटर दस्सू पटेल से 15,00,000/–रू, राधास्वामी इंटरप्राईजेस, प्रोप्राईटर मानवेन्द्र मिस्त्री से 74,50,000/–रूपये, अंकुर इंटरप्राईजेस प्रोप्राईटर नरेश पोद्दार से 1,00,000/–रूपये का लेनदेन किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त संव्यवहारो का विवरण (प्र.पी.32) तैयार किया गया। दिनांक 25.05.2017 को शाखा प्रबंधक आई.डी.बी.आई. बैंक को सुगम होल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड हनुमानगंज रामलीला कटनी के संबंध में (प्र.पी.33) का पत्र लिखा गया।

34. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह भी साक्ष्य दी है कि उसके द्वारा पत्र कमांक 88ए/17 दिनांक 09.01.17 के माध्यम से वाणिज्यिक कर अधिकारी कटनी को लेख कर नीरनिधि मार्केटिंग सुगम एल.डी.गंग कंपनी,

क्लॉक टॉवर कार्पोरेशन, मित्रा एस.के. पावर लिमिटेड, आनंद माईनिंग कार्पोरेशन, फास्ट लारजिस्टिक्स, मिश्रा एस.के. फर्म, समरिया इंटरप्राईजेस, सहारा स्टील प्राईवेट लिमिटेड, पप्पू अग्रवाल, महाराष्ट्र स्मार्ट स्केल इंडस्ट्रीज, मनीष सरावगी, श्री वर्धमान रोड कैरियर, सूरज दीप इंटरप्राईजेस, अमर प्राईवेट रोड लाईस, सांवरिया इंटरप्राईजेस, अनटैक्स्ट मैरी माईस कार्पोरेशन, ग्लाक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी, श्रीओम शांति इंटरप्राईजेस कंपनी, चंदिया इंटरप्राईजेस, बालाजी इंटरप्राईजेस, गाताजी इंटरप्राईजेस, यूरो प्रतीक स्पात, राजा सरावगी सतीश सरावगी, महाकालेश्वर माईस मिनरल्स, श्री बजरंग पावर ट्रासपोर्ट, अमरशक्ति रोड लाईस, महाप्रातेश्वर माईंस मिनरल्स, महाकालेश्वर माईंस, एस. के. शिपिंग छत्तीसगढ़, बुंदेलखण्ड इंटरप्राईजेस, श्री सांई ट्रांसपोर्ट कंपनी, कान्हा कमर्शियल साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स, श्रीबजरंग पावर एण्ड स्पात, बालाजी कोल, ओम आटोमोबाईल, शांति उद्योग, आंकाक्षा मिनरल्स, सांईनाथ इंटरप्राईजेस, चीआर मेटालिक्स के संबंध में जानकारी चाही गई थी। उक्त जानकारी (प्र.पी.41) पत्र क्र. वाणिज्यिक कर अधिकारी/2016/23 दिनांक 10. 01.2017 द्वारा प्राप्त हुई थी।

35. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह भी साक्ष्य दी है कि दिनांक 14.02.2017 को आरोपी मानवेन्द्र मिस्त्री के नमूना हस्ताक्षर (प्र.पी.38) आर. के. तिवारी लिखवाकर लिये गये। जप्तीपत्रक (प्र.पी.15) के अनुसार जप्तशुदा सरल क. 1 के रजिस्टर (प्र.पी.15ए) में मानवेन्द्र मिस्त्री की लिखावट है। दिनांक 19.03.2017 को आरोपी सतीश सरावगी से आर.के.तिवारी लिखवाकर नमूना हस्ताक्षर (प्र.पी.39) एंव दिनांक 11.02.2017 को आरोपी मानवेन्द्र मिस्त्री के नमूना हस्ताक्षर (प्र.पी.40) तथा दिनांक 08.08.2016 को फरियादी रजनीश कुमार तिवारी के नमूना हस्ताक्षर (प्र.पी.48) गवाह के समक्ष लिये गये। दिनांक 20.01. 2007 को फरियादी के नमूना हस्ताक्षर (प्र.पी.49) एंव दिनांक 20.01.2017 को फरियादी के नमूना लिखावट (प्र.पी.50) पुनः लिये गये। पुलिस अधीक्षक कटनी के पत्र कमांक एस.पी/कटनी/123/17 दिनांक 08.05.2017 के द्वारा उक्त नमूना हस्ताक्षर राजकीय विवादग्रस्त दस्तावेज अभिलेख एवं अभिलेख शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल ड्राफ्ट .तैयार कराकर भेजे गये थे।

36. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह भी साक्ष्य दी है कि रिपोर्ट पत्र कमांक सी.आई.डी./क्यू.डी./सी.एक्स–28/17 /56/17 भोपाल दिनांक 08.02.2017 से प्राप्त हुई है। विवादित दस्तावेज (1) प्रार्थी रजनीश तिवारी के नाम एक्सिस बैंक में खोले गये खातों में रजनीश तिवारी के हस्ताक्षर हैं, जिसे क्यू 1 से क्यू–20 तक चिन्हित किया गया, हस्ताक्षर नमूना आरोपी मानवेन्द्र मिस्त्री की गिरफ्तारी के समय उसके द्वारा किये गये रजनीश तिवारी के आर.के. तिवारी के रूप में किये गये नमूना हस्ताक्षर जो एस–19 से एस–24 तक चिन्हित हैं, (2) आरोपी सतीश सरावगी द्वारा गिरफ्तारी के समय

उसके द्वारा किये गये रजनीश तिवारी के नमूना हस्ताक्षर आर.के. तिवारी के जो एस–25 से एस–30 तक चिन्हित हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजा गया ड्राफ्ट (प्र.पी.43) है। दिनांक 12.03.18 को राजकीय विवादग्रस्त दस्तावेज विशेषज्ञ अभिलेख एवं प्रलेख शाखा, पुलिस मुख्यालय भोपाल से प्राप्त रिपोर्ट (प्र.पी. 44) एंव दिनाक 08.02.2017 की प्राप्त रिपोर्ट (प्र.पी.45) है।

37. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह भी साक्ष्य दी है कि एच.डी.एफ.सी. बैंक कटनी से दिनांक 07.05.2017 को पत्र भेजकर रजनीश तिवारी के खाते के संबंध में जानकारी मांगी गई थी, जिसके पालन में बैंक द्वारा पत्र क्रमांक एच.डी.एफ.सी./एम.ए.वाई.8/2017, दिनांक 08.05.2017 (प्र.पी. 115) द्वारा जानकारी भेजी गई थी, जिसके अनुसार उसमें उल्लेखित खाते खेले गये और लेनदेन करके बंद किये गये तथा उक्त खातों से फर्जी फर्मो में कुल 4,83,05,034.44/– रुपये का लेनदेन दर्शित है। उक्त साक्षी ने यह भी कथन किया है कि जप्ती पत्र (प्र.पी.24) के अनुसार सतीश सरावगी का राशन कार्ड कमांक 14178 आर्टिकल डी है। उक्त खाते से अभियुक्तगण ों द्वारा कुल 4,83,05,034.44 .रूपये का लेन–देन फर्जी तरीके से स्टेटमेंट प्रदर्श पी–66 अभियुक्तगण ों द्वारा किया गया है। आरोपी संदीप बर्मन की फर्जी फर्म शिव आराधना इन्टरप्राईजेस का खाता एक्सिस बैंक कटनी में खोला गया था, जिसका अकाउंट नंबर 317010200014340 है, जो दिनांक–24.04.2009 से दिनांक–23.04.2010 तक चालू था। उक्त खाते में आठ करोड़ इन्क्यान्वे लाख अठहत्तर हजार सात सौ रूपये का लेन–देन दर्शित है. जो आरोपी द्वारा बाहुबली ट्रेडिंग कंपनी, प्रभुवंदना व्यापार ट्रेडिंग कंपनी, राधा स्वामी इन्टरप्राईजेस, यूनिक ट्रेडिंग कंपनी, एस. के. मिनरल्स से लेन–देन दर्शित है। उक्त एक्सिस बैंक का स्टेटमेंट प्रदर्श पी–67 है। के.जी.एन.मिनरल्स प्रो. आरोपी मानवेन्द्र मिस्त्री का खाता क्र–317010 200005036 जो विवेचना के दौरान एक्सिस बैंक कटनी से प्राप्त किया गया था, जो प्रदर्श पी 108 के रूप में है।

38. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह भी साक्ष्य दी है कि दिनांक 29.03.2007 को कान्हा कमर्शियल के चैक नंबर 1565 से 07 लाख रूपये, दिनांक 05.04.2007 को श्री ओमशांति से 13 लाख रूपये, दिनांक 10.04.2007 को श्री ओमशांति से 1,20,000/– रूपये, दिनांक 12.04.2007 को श्री ओमशांति इंटरप्राईजेस से 1,20,000/–रूपये, 17.04.2007 को श्री ओमशांति इंटरप्राईजेस से चैक नंबर 1572 द्वारा 8,80,000/–रूपये, दिनांक 18.04.2007 को कान्हा कामर्शियल कटनी/श्री ओमशांति से 09,00,000/– रूपये, दिनांक 21.04.2007 को कन्हा कमर्शियल से चैक नंबर 1578 से 06 लाख रूपये, दिनांक 25.04.2007 को कान्हा कमर्शियल से चैक नंबर 1579 से 1,50,000/– रूपये, दिनांक 25.04.2007 के श्री ओमशांति इंटरप्राईजेस से चैक नंबर 1580 से

6,20,000/–रूपये, दिनांक 08.05.2007 को शुभम ट्रेडिंग कंपनी से 9,90,000/–रूपये का लेनदेन दर्शित है। उक्त खाते में कुल लेनदेन 5,33,89,695 रूपये का है, जो आरोपी मानवेन्द्र मिस्त्री के द्वारा फर्जी फर्म के. जी.एन. मिनरल्स बनाकर किया गया है। उक्त खाते की स्टेटमेंट डिटेल (प्र.पी. 47ए) दिनांक 26.10.2006 से 10.05.2007 है। कान्हा कमर्शियल रामलीला ग्राउण्ड घंटाघर जिसके प्रोप्राईटर आरोपी सतीश सरावगी है, एक्सिस बैंक लिमिटेड के खाता नंबर 317010200002936 में दिनांक 06.01.07 को श्री ओम शांति से 4,00,000/– रूपये, दिनांक 07.02.2007 को के.जी.एन. मिनरल्स प्रोप. आरोपी मानवेन्द्र मिस्त्री से 1,00,000/– रूपये, दिनांक 27.02.2007 को के. जी.एन. मिनरल्स से चैक नबर 28895 से 1,00,000/– रूपये, दिनांक 09.03. 2007 को के.जी.एन. मिनरल्स से चैक नंबर 28506 से 2,00,000 रुपये, दिनांक 21.05.2007 को के.जी.एन. मिनरल्स से 2,00,000/–रूपये, दि. 30.03.2007 को श्रीओम शांति से 10,00,000/–रूपये, दिनांक 11.04.2007 को श्रीओम शांति से 7,00,000/–रूपये, दिनांक 18.04.2007 को के.जी.एन. मिनरल्स से 7,00,000/–रूपये का लेनदेन दर्शित है। उक्त स्टेटमेंट डिटेल दिनांक 01.01. 2007 से 30.12.2007 (प्र.पी.107) है। उक्त स्टेटमेंट अनुसार विभिन्न फर्मों में कुल 18,13,49,670/– रूपये का लेनदेन किया गया।

39. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह भी साक्ष्य दी है कि आरोपी संदीप बर्मन, नरेश बर्मन, दस्सू पटेल, मानवेन्द्र मिस्त्री, सतीश सरावगी, मनीष सरावगी, नरेश पोद्दार द्वारा गवाह अनिल सिंह के नाम से सूर्या ट्रेडिंग कंपनी बनाकर उसका खाता नंबर 317010200012768 एक्सिस बैंक कटनी में खोला गया था जिसमें दिनांक 14.02.2009 को आरोपी मानवेन्द्र द्वारा 2,45,820/–रूपये, दिनांक 07.03.2009 को आरोपी मानवेन्द्र की पत्नी रीता मिस्त्री से चैक नंबर 4,08,803 से 1,98,500/–रूपये, दिनाक 20.03.2009 को मानवेन्द्र मिस्त्री द्वारा चैक नंबर 408805 से 1,89,390/–रूपये, दिनांक 23.09. 2009 कों मां शारदा से 387 रूपये, दिनांक 23.09.2009 को मां शारदा इंटरप्राईजेज से 2107.24 रूपये, कुल 30,92,543.24 रूपये का लेनदेन दिनांक 14.01.2009 से 23.09.2009 तक दर्शित है, जो (प्र.पी.110) है। फर्म शुभम ट्रेडिंग कंपनी का खाता नंबर 317010200006989, खाता नंबर 317010200005371, फर्म श्री मिनरल्स का खाता नंबर 317010200009324 एंव फर्म मां शारदा इंटरप्राईजेस का खाता नंबर 910020020301291 के लेनदेन की जानकारी (प्र.पी. 62) है। एक्सिस बैंक का खाता नंबर 317010200013378 से एस.के. मिनरल्स के नाम से चैक बुक जारी की गयी। खाता नंबर 317010200010007 जो एस.के. मिनरल्स का खाता है, चैक बुक जारी की गई। रजनीश कुमार तिवारी के खाता नंबर 317010100089511 में चैक बुक, फर्म श्वेता इंटरप्राईजेज के खाता नंबर 317010200013882 में चैक बुक जारी की गई थी। फर्म शुभम ट्रेडिंग कंपनी, खाता नंबर 317010200006989 में चैक बुक जारी की गई थी। शुभम ट्रेडिंग

कंपनी के खाता नंबर 317010200005371 में चैक बुक जारी की गई थी। श्री मिनरल्स के खाता नंबर 317010200009324 में चैक बुक जारी की गई थी। मां शारदा इंटरप्राईजेस के खाता नबर 910020020301291 में चैक बुक, जारी की गई थी। उपरोक्त सभी खाते फरियादी रजनीश कुमार तिवारी के नाम से फर्जी तरीके से अभियुक्तगण द्वारा फर्म के नाम से खोले जाकर उनमें फर्जी रूप से लेन–देन किया गया है। उपरोक्त चैक बुक से संबधित दस्तावेज (प्र.पी.64) है।

40. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह भी साक्ष्य दी है कि यूनियन बैंक कटनी से फरियादी रजनीश तिवारी के खातो के संबंध में जानकारी यूनियन बैंक के द्वारा दिनांक 08.05.2017 के द्वारा (प्र.पी.111) के माध्यम से जानकारी प्रदान की गई थी जिसमें फरियादी रजनीश तिवारी के खाता नंबर 325801010050601 फर्म श्री मिनरल्स में राशि 2,58,00,000 रूपये, खाता नबर 325802010681536 में रू.14,316 का लेनदेन होना दर्शित है। आंध्रा बैंक कटनी से पत्र क. कोतवाली कटनी/17 दिनांक 07.05.2017 द्वारा फरियादी रजनीश तिवारी के खातों के संबंध में जानकारी चाही गई थी। उक्त संबंध में आंध्रा बैंक से पत्र कमांक 1701/ए.सी./पुलिस/16/2017 दिनांक 08.05.2017 द्वारा प्रपी 112 के माध्यम से प्रेषित जानकारी में फरियादी रजनीश तिवारी के नाम पर खाता नंबर 170111100000238 जो फर्म में यूके मिनरल्स के नाम पर था, में 4,86,80,920/–रूपये का लेनदेन हुआ। फरियादी रजनीश तिवारी के नाम से खाता नंबर 170111100000070 फर्म मां शारदा इंटरप्राईजेस में 87,22,980 रू. का लेनदेन दर्शित है। रजनीश तिवारी के नाम से खाता नंबर 170110100024441 में 24,876/–रूपये का लेनदेन किया गया था।

41. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह भी साक्ष्य दी है कि आंध्रा बैंक कटनी से आरोपी मानवेन्द्र मिस्त्री के खाता के संबंध में जानकारी बैंक द्वारा पत्र दि. 08.05.2017 (प्र.पी.113) से प्रदान की गई थी, जिसके अनुसार आरोपी मानवेन्द्र मिस्त्री के नाम पर खाता नंबर 170110100021514 में 8,65,811 रू. का डेबिट एवं 8,67,206.92 रूपये का केडिट है। खाता नंबर 170120100020986 में राशि 62,861/–रूपये खाता नंबर 170120100033403 में राशि 1,00,000 रू का लेनदेन है। एक्सिस बैंक कटनी से चाही गयी जानकारी (प्र.पी.60) है, जिसके अनुसार खाता नंबर 317010100039677 में 61,66,852/–रूपये, फर्म राधा स्वामी इंटरप्राईजेस का खाता नंबर 317010200013350 में 48,14,53,508/–रूपये, फर्म राधास्वामी इंटरप्राईजेस का खाता नंबर 317010200011820 में 4,55,34, 495 रूपये, फर्म श्वेता इंटरप्राईजेस का खाता नंबर 317010200011954 में राशि 66,03,445 रू, खाता नंबर 317010100102537 में 8,75,52,284/–रू. का लेनदेन होना दर्शित है। शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कटनी द्वारा दिनांक 08.05.2017 को जानकारी (प्र.पी.

114) प्रदान की गई थी। जिसके अनुसार मानवेन्द्र मिस्त्री के खाता नंबर 20011086 में राशि 1,48,82,833/–रूपये का लेनदेन हुआ। एच.डी.एफ.सी. बैंक कटनी से आरोपी मानवेन्द्र मिस्त्री एवं फरियादी रजनीश तिवारी के खाते के संबंध में दिनांक 07.05.2017 को पत्र भेजकर जानकारी चाही गई थी। मानवेन्द्र मिस्त्री के खाता नंबर 07321600003477 में 2,43,56,560.00 रूपये का जमा हुई एवं राशि 2,43,56,560 निकली एवं फरियादी रजनीश तिवारी के खाता नंबर 07322560000537 फर्म मेसर्स श्री मिनरल्स के नाम से राशि 20400925.00 रुपये जमा हुई एवं निकली। खाता नंबर 07322320000891 फर्म मेसर्स श्वेता इंटरप्राईजेस के नाम से राशि 2,43, 56,560.00 रुपये जमा हुई एवं 2,43,36,560 .00 रूपये निकले। उक्त जानकारी पत्र कमांक एच.डी.एफ.सी./मई/08/2017/1. दिनांक 08.05.2017 के माध्यम से प्रदान की गई थी, जो प्रकरण में संलग्न है।

42. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह भी साक्ष्य दी है कि अभियुक्तगण संदीप बर्मन, मानवेन्द्र मिस्त्री, सतीश सरावगी, दस्सू पटेल, नरेश पोद्दार, नरेश बर्मन, मनीष सरावगी एवं एक्सिस बैंक के कर्मचारी यासीन द्वारा फरियादी रजनीश तिवारी का फोटो, मतदाता परिचय पत्र, चालन अनुज्ञप्ति फोटो, राशन कार्ड आदि दस्तावेज प्राप्त कर फरियादी रजनीश तिवारी के कूटरचित हस्ताक्षर करके एक्सिस बैंक कटनी में एस. के. मिनरल्स के नाम से खाते रजनीश तिवारी को प्रोप्राईटर बनाकर खोले गये थे। यूनियन बैंक ब्रांच कटनी में श्री मिनरल्स नाम की फर्जी कंपनी का प्रोपराईटर बनाकर, दो खाते खुलवाकर 2.58 करोड़ रूपये का लेनदेन किया गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कटनी, आंध्रा बैंक शाखा कटनी में कूटरचित ढंग से धोखाधड़ी करके फर्जी खाता खुलवाकर आंध्रा बैंक कटनी से 34,28,776/–रूपये का ट्रांजेक्शन किया गया। आरोपी संदीप बर्मन, जो आरोपी सतीश सरावगी का नौकर है, के द्वारा एक फर्जी कंपनी शिवआराधना इंटरप्राईजेस बनाकर उसका खाता एक्सिस बैंक कटनी में खुलवाया गया और आरोपी दस्सू पटेल ने फर्जी फर्म बाहुबली ट्रेडिंग कंपनी, प्रभुवंदना इंटरप्राईजेस नाम की फर्जी फर्म का एक्सिस बैंक कटनी में खाता खोला गया था। आरोपी नरेश बर्मन ने लक्ष्मी इंटरप्राईजेस, व्यापार ट्रेडिंग कंपनी, हरिओम इंटर प्राईजेस, यूनिक ट्रेडिंग कंपनी नाम की फर्जी फर्म एक्सिस बैंक कटनी में खुलवाया गया था। आरोपी मानवेन्द्र मिस्त्री के द्वारा राधास्वामी इंटरप्राईजेस, के.जी.एन. मिनरल्स नाम की फर्जी फर्म अपने नाम से खोलकर बैंको में खाता खोला गया। आरोपी नरेश पोद्दार द्वारा अपने नाम से फर्जी फर्म अंकुर इंटरप्राईजेस बनाकर एक्सिस बैंक में खाता नंबर 31701020011024 खुलवाकर फरियादी रजनीश तिवारी के खाते से लेनदेन किया गया है। बैंक कर्मी आरापी यासीन द्वारा एक्सिस बैंक में खाता फर्जी तरीके से खुलवाने में सहयोग किया गया है।

43. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह भी साक्ष्य दी है कि उसके द्वारा विवेचना के दौरान नावेद अख्तर, सोमेश महेश्वरी, अमित कुमार अधिकारी, अनिल कुमार सिंह, दीपक तिवारी, अरविंद कुमार, के. मोहन बाबू के कथन एंव रजनीश तिवारी के पूरक कथन तथा रामकुमार सिंह, शाखा प्रबंधक एक्सिस बैंक कटनी, दिनांक 13.08.2016 को गोविंद प्रसाद तिवारी, संजय मिश्रा के कथन लिये थे। जगबंधु बेहरा के दिनांक 29.03.2017 को, कृष्ण कुमार वर्मा के दिनांक 30.03.2017 को, कबली प्रसाद पटेल के दिनांक 29.02. 2017 को, श्रीमती सरस्वती उर्फ मनीषा पटेल, राधा बर्मन, रंजना बर्मन के दिनांक 20.02.2017 को, दीपक तिवारी, राकेश पटेल के दिनांक 25.05.2017 को, मो० रोशन, लकी तंतुवाय के कथन दिनांक 26.05.2017 को लिये गये थे। विवेचना के दौरान फरियादी रजनीश तिवारी, संजय तिवारी, जगबंधु, कृष्ण कुमार शुक्ला, अनिल सिंह, अमित कुमार अधिकारी, नावेद अख्तर, मो० रोशन, लकी तंतुवाय के कथन संबंधित माननीय न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 164 द.प्र.स. के तहत कराये गये थे। गवाह संजय तिवारी एवं कृष्ण कुमार शर्मा के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन बावत् क्रमशः प्रपी 34 व प्रपी 35 का आवेदन पत्र दिया गया था।

44. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह भी साक्ष्य दी है कि सुगम होल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड के ट्रांजेक्शन की जानकारी आई.डी.बी.आई. बैंक से पत्र के साथ संलग्न कर दी गई थी। खाता नंबर 225105000001496 में 50 लाख रूपये की एफ.डी. खाता नंबर 225105000001489 में 50 लाख रूपये की एफ.डी. खाता नंबर 225105000001502 में 50 लाख रूपये की एफ.डी. का उल्लेख है। विवेचना के दौरान गवाहों के धारा 161 के कथन एवं माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 164 के अंतर्गत कराये गये कथनों, बैंक स्टेटमेंट और जप्त दस्तावेजों से यह सिद्ध है कि फरियादी रजनीश तिवारी, जो मजदूरी करता है, के नाम से अभियुक्तगण संदीप बर्मन, मानवेन्द्र मिस्त्री सतीश सरावगी, दस्सू पटेल, नरेश पोद्दार, नरेश बर्मन, मनीष सरावगी एवं एक्सिस बैंककर्मी मो. यासिन द्वारा कूटरचित दस्तावेजों को असली के रूप में उपयोग कर अवैध लाभ कमाने की नियत से अपराधिक षडयंत्र करके फर्जी फर्म एवं बैंक खाते खुलवाये गये थे। फरियादी रजनीश तिवारी के हैण्डराईटिंग, हस्ताक्षर का मिलान हस्तलेख विशेषज्ञ से कराने पर उक्त हस्ताक्षर कूटरचित पाये गये हैं। उसके द्वारा आरोपी संदीप बर्मन, मानवेन्द्र मिस्त्री एवं सतीश सरावगी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष अपने थाना कोतवाली कटनी में पेश किये गये थे।

45. **अभियोजन साक्षी कृष्ण कुमार शर्मा (अ.सा.15)** ने अपनी साक्ष्य में श्री एस.पी.सिंह बघेल (अ.सा.2) को (प्र.पी.6) के अनुसार दस्तावेज आर्टीकल–ए लगायत आर्टीकल–एफ जप्त कराया जाना बताया है। **अभियोजन साक्षी संजय**

तिवारी (अ.सा.24) ने अपनी साक्ष्य में एस.पी.सिंह बघेल (अ.सा.2) को (प्र.पी.26) के अनुसार दस्तावेज आर्टीकल 26–ए जप्त कराया जाना बताया है। **अभियोजन साक्षी शैलेन्द्र ताम्रकार (अ.सा.3)** शाखा प्रबंधक एक्सिस बैंक, कटनी ने अपनी साक्ष्य में श्री एस.पी.सिंह बघेल (अ.सा.2) द्वारा दस्तावेज जप्त करने की पुष्टी की है।

46. **अभियोजन साक्षी रामकुमार सिंह (अ.सा. 6)** शाखा प्रबंधक एक्सिस बैंक, कटनी ने अपनी साक्ष्य में थाना प्रभारी श्री एस.पी. सिंह बघेल (अ.सा.2) को जप्ती पत्रक (प्र.पी.5) के अनुसार (प्र.पी.5ए), (प्र.पी.5बी) के दस्तावेज, (प्र.पी.10) के अनुसार (प्र.पी.10ए लगायत 10ई) के दस्तावेज, जप्तीपत्रक (प्र.पी.18) के अनुसार (अ.सा.2) के दस्तावेज, जप्ती पत्रक (प्र.पी.19) के अनुसार (आर्टीकल–19ए एवं 19बी) के दस्तावेज एंव जप्तीपत्रक (प्र.पी.27) अनुसार (आर्टीकल ए लगायत जे) के दस्तावेज, जप्त कराने बताया है। खाता नंबर–317010200002936 कान्हा कमर्शियल प्रोप्राईटर श्री सतीश सरावगी के नाम से है। उसके द्वारा मूल खाता फार्म से मिलाकर पुलिस के मांगने पर फार्म को सत्यापित करके पुलिस को दिया था। उक्त खाता प्र.पी.–106 है। फार्म के साथ कान्हा कमर्शियल का पंजीयन प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस और दस हजार रूपये के चैक, आयकर विभाग की पेन कार्ड की फोटोकॉपी उसके द्वारा सत्यापित कर हस्ताक्षर किया गया है।

47. **अभियोजन साक्षी दीपक तिवारी (अ.सा. 18)** शाखा प्रबंधक एच. डी.एफ.सी. बैंक कटनी ने अपनी साक्ष्य में श्री एस.पी.सिंह बघेल (अ.सा.2) को (प्र.पी.7) के अनुसार दस्तावेज आर्टीकल–ए लगायत आर्टीकल–ई जप्त कराया जाना बताया है। दस्तावेज (प्र.पी.9) के अनुसार (प्र.पी.53) का जप्त कराया था। **साक्षी अवस्थी सिंह ठाकुर (अ.सा.10)** ने कथन किया है कि वह दिनांक 08.05. 2017 को बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कटनी में दफ्तरी के पद पर पदस्थ था और जप्ती पत्रक प्र.पी. 14 पर उसके हस्ताक्षर हैं। **अभियोजन साक्षी सत्यप्रकाश जाटव (अ.सा. 22)** उप शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कटनी ने अपनी साक्ष्य में श्री एस.पी.सिंह बघेल (अ.सा.2) को (प्र.पी.11) के अनुसार दस्तावेज आर्टीकल–ए लगायत आर्टीकल–सी जप्त कराया जाना बताया है। जप्ती पत्रक (प्र.पी.12) के अनुसार आर्टीकल ए एवं बी जप्त कराये थे।

48. **अभियोजन साक्षी सुनील कुमार (अ.सा. 28)** शाखा प्रबंधक, यूको बैंक ने अपनी साक्ष्य में थाना प्रभारी श्री एस.पी. सिंह बघेल (अ.सा.2) द्वारा उसके समक्ष जप्तीपत्रक (प्र.पी.3) तैयार किये जाने एंव जप्ती पत्रक अनुसार क्रं. 1 लगायत 28 के दस्तावेज उसके द्वारा जप्त कराया जाना बताया है। **अभियोजन साक्षी के. मोहन बाबू (अ.सा.34)** असिस्टेंट मैनेजर आंध्रा बैंक कटनी ने अपनी साक्ष्य में उसके द्वारा श्री एस.पी.सिंह बघेल (अ.सा.2) को (प्र.पी.13) के

अनुसार दस्तावेज आर्टीकल–ए जप्त कराया जाना बताया है। **साक्षी निखिल सेठिया (अ.सा.31)** ने यह साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 02.05.2017 को आन्ध्रा बैंक शाखा कटनी में सब स्टॉफ (चपरासी) के पद पर पदस्थ था और उस समय आन्ध्रा बैंक के मैनेजर के. मोहन बाबू थे, मानवेन्द्र का खाता नंबर 170110100021514 का बचत खाता खोलने का फार्म आर्टिकल 13ए है, जिसमें मानवेन्द्र मिस्त्री की फोटो लगी है, उक्त दस्तावेज को उसके सामने के. मोहन बाबू के द्वारा पुलिस को दिया जिसे जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 13 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

49. **साक्षी एस.पी. पाण्डेय (अ.सा.40)** ने भी अपनी साक्ष्य में दिनांक 26.04.2017 को बैंक ऑफ बडौदा में शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ होने एंव उक्त दिनांक को अरविंद कुमार वरिष्ठ प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा के पेश करने पर उसके सामने पुलिस द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा परिसर कटनी में खाता धारक रजनीश तिवारी का कार्ड, जिसका खाता नंबर 20014264 जिसमें रजनीश तिवारी की फोटो लगी है, खाता खोलने का फार्म जिसमें परिचयकर्ता के रूप में मानवेन्द्र के हस्ताक्षर हैं, रजनीश तिवारी के मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति एवं राशन कार्ड की छायाप्रति, बिजली बिल की मूल प्रति, खाता खोलने का फार्म, बिजली बिल, खाता खोलने का हस्ताक्षर कार्ड मूलप्रति, जप्त कर जप्तीपत्रक (प्र.पी.8) तैयार किये जाने और जप्त बैंक ऑफ बड़ौदा का फार्म प्र.पी. 8ए है।

50. **साक्षी गोविंद प्रसाद डहेरिया (अ.सा.50)** ने यह साक्ष्य दी है कि वह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा सुभाष चौक कटनी में शाखा प्रबंधक के पद पर जून 2022 से पदस्थ है और वर्ष 2021 में आन्ध्रा बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो चुका है, यूनियन बैंक शाखा के खाता नं. 325801010050601, खाता धारक रजनीश कुमार तिवारी, प्रोप्राईटर श्री मिनरल्स का खाता, दिनांक 11.07.2007 में खोला गया था, जप्तीपत्रक प्रपी 11 के अनुसार खाता खोलने का फार्म प्रपी 11ए है, उक्त खाते में दिनांक 11.07.2007 से दिनांक 27.03.2017 तक कुल राशि 2.58 करोड़ रूपये लेनदेन किया गया है। उसकी शाखा में खाता नंबर 325802010681536, खाता धारक रजनीश तिवारी के नाम से दिनांक 10.09.2014 को खोला गया है, जिसमें कुल राशि 14,316 रूपये का लेनदेन हुआ है, उक्त जानकारी दिनांक 08.05.2016 को तत्कालीन मुख्य प्रबंधक गजेन्द्रनाथ दास के द्वारा थाना कोतवाली कटनी को दी गई थी, जो (प्र.पी.111) है।

51. गोविंद प्रसाद डहेरिया (अ.सा.50) ने यह भी साक्ष्य दी है कि आन्ध्रा बैंक शाखा कटनी में खाता नंबर 170111100000238 खाता धारक रजनीश तिवारी मेसर्स यू.के. मिनरल्स के नाम से दिनाक 17.11.2009 को खोला

गया था और उक्त खाते में दिनांक 04.04.2011 तक कुल राशि 44680920 रूपये का लेनदेन हुआ है। खाता नंबर 170111100000070 खाता धारक रजनीश तिवारी मेसर्स मां शारदा इंटरप्राईजेस के नाम से दिनांक 07.10.2009 को खोला गया था और उक्त खाते में दिनांक 25.01.2010 तक कुल राशि 8722980 रूपये का लेनदेन हुआ है। खाता नंबर 170110100024441 खाता धारक रजनीश तिवारी के नाम से दिनांक 23.06.2011 को खोला गया था और उक्त खाते में दिनांक 24.11.2012 तक कुल राशि 24876 रूपये का लेनदेन हुआ है। खाता नंबर 170110100021514 खाता धारक मानवेन्द्र के नाम से दिनांक 27.01.2011 को खोला गया था और उक्त खाते में दिनांक 08.05.2017 तक कुल राशि 867206.92 रूपये का लेनदेन हुआ है। आर.डी. खाता नंबर 170120100020986 खाता धारक मानवेन्द्र के नाम से दिनांक 02.08.2013 को खोला गया था और उक्त खाते में दिनांक 24.09.2014 तक कुल राशि 62861 रूपये का लेनदेन हुआ है। एफ.डी. खाता नंबर 170120100033403 खाता धारक मानवेन्द्र के नाम से दिनांक 17.10.2014 को खोला गया था और उक्त खाते में दिनांक 11.04.2016 तक कुल राशि 100000 रूपये का लेनदेन हुआ। उपरोक्त जानकारी (प्र.पी.112) एंव (प्र.पी.113) आन्ध्रा बैंक के तत्कालीन ब्रान्च मैनेजर सुजीत कुमार दास के द्वारा पुलिस थाना कोतवाली कटनी को दी गई थी।

52. **साक्षी कपिल कुमार (अ.सा.49)** ने यह साक्ष्य दी है कि वह बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बरही रोड कटनी म.प्र. में चीफ मैनेजर के पद पर माह सितंबर 2022 से कार्यरत हैं, उनकी शाखा में खाता नंबर 20011086, खाता धारक मानवेन्द्र, के नाम से दिनांक 07.09.2005 को खोला गया था, आर्टिकल प्रपी 14ए सिग्नेचर कार्ड है और आर्टिकल प्रपी 14बी, बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खोलने का फार्म है, दिनांक 07.05.2017 को थाना प्रभारी कोतवाली कटनी के अपराध कमांक 738/2016 अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भा.द.वि. के प्रकरण में उक्त खाता नंबर 20011086 एवं उसमें हुये लेनदेन संबंधी जानकारी चाही गई थी, उनकी शाखा द्वारा उक्त पत्र के संबंध में तत्कालीन शाखा प्रबंधक एस.पी.पाण्डेय के द्वारा उक्त खाते में हुये लेनदेन से संबंधित जानकारी पुलिस को दी गई थी, जिसके अनुसार उक्त खाते में कुल राशि 1,48,82,833.00 रूपये का लेनदेन किया गया था, जो प्र.पी.114 है, जिसके ब से ब भाग पर तत्कालीन शाखा प्रबंधक एस.पी.पाण्डेय के हस्ताक्षर है।

53. **साक्षी अभिजीत तिवारी (अ.सा.51)** ने यह साक्ष्य दी है कि एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा बरगंवा कटनी में वर्ष 2017 में कटनी शाखा में तत्कालीन डिप्टी ब्रांच मैनेजर के पद पर श्री सौरभ प्रकाश पदस्थ थे। जप्तीपत्रक प्र.पी. 7 के अनुसार उसके बैंक में खाता नंबर 07322560000537, श्री मिनरल्स खाता धारक रजनीश तिवारी के नाम से दिनांक 22.12.2007 को खाता खोला गया

तथा दिनांक 26.03.2008 को बंद किया गया था। उक्त खाते में कुल राशि 20400925.00 जमा की गई और इतनी ही राशि की निकासी हुई। खाता नंबर 07321600003477 खाता धारक मानवेन्द्र के नाम पर दिनांक 20.04.2007 को खोला गया तथा दिनांक 03.10.2010 को बंद किया गया था। उक्त खाते में कुल राशि 24356560.00 रूपये का लेनदेन किया गया है। उक्त खाते में 2385476.53 रूपये की राशि जमा हुई थी और रूपये 2238186.46 की निकासी हुई थी, दिनाक 08.05.2017 को खाते का क्लोजिंग बैलेंस 148081.72 रूपये और ओपनिंग फार्म आर्टिकल बी है। खाता नंबर 07321460001521 खाताधारक रनीता मिस्त्री पुत्री मानवेन्द्र मिस्त्री के नाम पर दिनांक 27.04.2010 को खोला गया, खाता बंद होने की तारीख 31.10.2013 है, उक्त खाते में 478163.00 रूपये की राशि जमा की गई है तथा 338313.00 रूपये की राशि निकाली गई। दिनांक 08.05.17 को उक्त खाते का क्लोजिंग बैलेंस 139850.00 रूपये है, ओपनिंग फार्म आर्टिकल सी है। खाता नंबर 073211930002106 खाताधारक पूर्णिमा मिस्त्री के नाम पर दिनांक 14.09.2010 को खोला गया था, खाता बंद होने की तारीख 02.12.2016 है, उक्त खाते में कुल 1238485.79 रूपये की राशि जमा की गई है तथा कुल 1028261.79 रूपये की राशि निकाली गई है, दिनांक 08.05.2017 को उक्त खाते का क्लोजिंग बैलेंस 210197.00 रूपये है, ओपनिंग फार्म आर्टिकल ई है। थाना प्रभारी कोतवाली कटनी को उपरोक्त जानकारी (प्र. पी.115) तत्कालीन डिप्टी ब्रांच मैनेजर सौरभ प्रकाश के द्वारा दी गई थी, जिस पर सौरभ प्रकाश के हस्ताक्षर है।

54. **साक्षी नितिन जैन (अ.सा.52)** ने यह साक्ष्य दी है कि वह एक्सिस बैंक शाखा कटनी में ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर लगभग डेढ़ साल से पदस्थ है, जब वह डियूटी पर था, तब करीब 2–3 बजे एक्सिस बैंक के ब्रांच मैनेजर के द्वारा उससे कहा था कि बैंक के फार्म लेकर जा रहे हैं, मानवेन्द्र साईन कर दो, तो उसने अपने हस्ताक्षर कर दिये थे। एक्सिस बैंक के खाता नंबर 317010100061676 खाता धारक श्रीमती सुमत बाई प्र.पी. 131 एवं 317010 100061694 खाताधारक तरूण सरकार की मूल प्रति प्र.पी. 132 उसके एक्सिस बैंक की है और उक्त दोनों खाते आई.डी. डब्लू ओ 590 से खोले गये थे।

55. **अभियोजन साक्षी नंद किशोर अहिरवार (अ.सा.5)** ने यह साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 04.01.2017 को थाना कोतवाली कटनी में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। थाना प्रभारी के द्वारा उसके सामने आरोपी संदीप बर्मन के एक्सिस बैंक के एकाउंट से संबंधित फार्म, आयकर विभाग को संदीप बर्मन के द्वारा दी गई एप्लीकेशन, आयकर विभाग से संबंधित संदीप बर्मन को जारी पत्र व इसके अतिरिक्त आयकर विभाग के द्वारा संदीप बर्मन को जारी किये गये पत्र से संबंधित दस्तावेज जप्तीपत्रक (प्र.पी.20) के अनुसार जप्त किये गये थे। जप्तीपत्रक (प्र.पी.20) के अनुसार जप्त आर्टिकल ए, आर्टिकल बी, आर्टिकल सी,

आर्टिकल डी, आर्टिकल ए–2, आर्टिकल ई के दस्तावेज उसके सामने जप्त किये गये थे। जप्तीपत्रक (प्र.पी.20) के पर उसके हस्ताक्षर है।

56. **आरक्षक दीपक तिवारी (अ.सा. 32)** ने यह साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 25.01.2017 को यूको बैंक शाखा प्रबंधक सुनील कुमार के द्वारा थाना प्रभारी एस पी. सिंह बघेल को एस.के. मिनरल्स से संबंधित खाता, बाउचर, चैक से संबधित जानकारी व दस्तावेज दिये गये थे, जिसे पुलिस ने जप्त कर जप्तीपत्रक प्रपी 3 तैयार किया था। (प्र.पी.3) में जप्त दस्तावेजों को आर्टिकल 3के, आर्टीकल 3एल, आर्टिकल 3ए, आर्टीकल 3एम, आर्टीकल 3एन, आर्टीकल 3बी, आर्टीकल 3ओ, आर्टीकल 3पी, आर्टीकल 3सी, आर्टीकल 3क्यू, आर्टीकल 3आर, आर्टीकल 3एस, आर्टीकल 3टी, आर्टीकल 3यू, आर्टीकल 3व्ही., आर्टीकल 3डब्ल्यू, आर्टीकल 3एक्स, आर्टीकल 3वाई, आर्टीकल 3डी, आर्टीकल 3ई, आर्टीकल 3जेड, आर्टीकल 3एफ, आर्टीकल 3ए–1, आर्टीकल 3जी, आर्टीकल 3एच, आर्टीकल 3आई, आर्टीकल 3जे से चिन्हित भी किया गया है। उक्त साक्षी ने यह भी कथन किया है कि दिनांक 04.01.2017 को थाना प्रभारी एस.पी. सिंह बघेल के द्वारा संदीप बर्मन के पेश करने पर उपरोक्त सभी दस्तावेज क्रमांक 1 लगायत 13 उसके सामने जप्त कर जप्तीपत्रक (प्र.पी.20) तैयार किया गया था। उक्त जप्ती पत्रक में जप्त दस्तावेजो को (प्र.पी.20ए, 20बी, 20सी, 20ए–1, 20डी, 20ए–2 एवं 20ई) के माध्यम से जप्त किया था। आरोपी संदीप बर्मन को पुलिस ने उसके सामने गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्र.पी. 21) तैयार किया था।

57. अभियोजन साक्षी **राजेश चौधरी (अ.सा.36)** ने यह साक्ष्य दी है कि वह दिनाक 06.01.2017 को थाना कोतवाली कटनी में आरक्षक के पद पर पदस्थ था, संजय तिवारी के पेश करने पर एस.पी. सिंह बघेल के द्वारा दस्तावेजो को जप्त कर उसके समक्ष जप्तीपत्रक (प्र.पी.26) तैयार किया था। संजय तिवारी के द्वारा राशन कार्ड की फोटोकॉपी, इंकम टैक्स के नोटिस जो कटनी व जबलपुर कार्यालय से जारी किये गये, ड्राईविंग लाईसेंस संबंधी दस्तावेज, संजय तिवारी के द्वारा की गई शिकायतों के दस्तावेज पुलिस को दिये गये थे, संजय तिवारी के द्वारा जप्त कराये गये थे।

58. **अभियोजन साक्षी मनोज कुमार मिश्रा श्रम अधिकारी (अ.सा.35)** ने अपनी साक्ष्य में उपनिरीक्षक अजय सिंह (अ.सा.1) को जप्ती पत्रक प्र.पी.–4 के अनुसार क्रं. 1 लगायत 6 के दस्तावेज जप्त कराया जाना बताया है। **अभियोजन साक्षी शैलेन्द्र ताम्रकार (अ.सा.3)** शाखा प्रबंधक एक्सिस बैंक, कटनी ने अपनी साक्ष्य में श्री अजय सिंह (अ.सा.1) द्वारा (प्र.पी.130) के अनुसार दस्तावेज जप्त किये जाने की साक्ष्य की पुष्टी की है।

59. **अजय सिंह (अ.सा.1)** ने अपनी साक्ष्य में थाना प्रभारी श्री एस.पी. सिंह बघेल (अ.सा.2) द्वारा जप्तीपत्रक (प्र.पी.1) तैयार किये जाने एंव चैक (प्र.पी. 2) की पुष्टी की है और जप्ती पत्रक (प्र.पी.3) जप्तीपत्रक (प्र.पी.4) तैयार किये जाने एंव प्र.पी.4ए लगायत प्र.पी.4 एफ के दस्तावेज प्राप्त करने, जप्तीपत्रक (प्र. पी.5), जप्ती पत्रक (प्र.पी.6),जप्तीपत्रक (प्र.पी.7), जप्तीपत्रक (प्र.पी.8),जप्तीपत्रक (प्र.पी.9), जप्ती पत्रक (प्र.पी.10), जप्तीपत्रक (प्र.पी.11 व 12) जप्तीपत्रक (प्र.पी. 13) जप्तीपत्रक (प्र.पी. 14) जप्तीपत्रक (प्र.पी. 15) तैयार किये जाने तथा दिनांक 11.02.2017 को थाना कोतवाली, कटनी में आरोपी मानवेन्द्र मिस्त्री का मेमोरण्डम कथन (प्र.पी.16) दिनांक 14.02.2017 को मेमोरण्डम कथन (प्र.पी.17), आरोपी मानवेन्द्र मिस्त्री के नमूना हस्ताक्षर (प्र.पी.38) आर.के. तिवारी के नाम से अंग्रेजी में, आरोपी सतीश सरावगी के नमूना हस्ताक्षर (प्र.पी.39) आरके. तिवारी के नाम से अंग्रेजी में, आरोपी मानवेन्द्र मिस्त्री के नमूना हस्ताक्षर (प्र.पी.40), रजनीश तिवारी के अंग्रेजी में लिये गये नमूना हस्ताक्षर (प्र.पी.49) एवं अंग्रेजी की लिखावट (प्र.पी.50) उसके सामने एस.पी. सिंह बघेल द्वारा लिये जाने का समर्थन किया है।

60. **अजय सिंह (अ.सा.1)** ने यह भी साक्ष्य दी है कि दिनांक 07.05.17 को अधीक्षण यंत्री को पत्र लिखा गया था कि मानवेन्द्र मिस्त्री द्वारा एक्सिस बैंक कटनी में खाता खुलवाले समय खाता नंबर 11820 में बिजली बिल लगाया गया है, उसका सर्विस नंबर 44433093271249 है तथा आई.वी.ए.आर.एस 44433071249 है। आरोपी मानवेन्द्र मिस्त्री ने एक्सिस बैंक में खाता खुलवाते समय खाता नंबर 39677 में बिजली बिल लगाया है, जिसका सर्विस नंबर 44533071463496 एवं आई.वी.आर.एस. नंबर 44533063496 है। वर्तमान में बिजली मीटर चालू है अथवा नहीं यदि चालू है तो कौन उपयोग कर रहा है संबंधी पत्र प्र.पी. 100 दिया था, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त पत्र के संबंध में पत्र क्रमांक 256 दिनांक 08.05.2017 के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि मानवेन्द्र मिस्त्री द्वारा बिजली कनेक्शन 44433093271249 एवं 44533071463496 की बिलिंग के संबंध में चाहा गया विवरण पत्र के साथ संलग्न है। बिलिंग सिस्टम में उपलब्ध रिकार्ड प्र.पी. 101 के अनुसार सर्विस कनेक्शन 44533063496 घासीराम पिता चैना कुशवाहा के नाम से अंकित है। मो. यासीन ने पूंछताछ में यह भी बताया था कि खाता खोलने का फार्म भरकर उसने खाताधारक रजनीश तिवारी के हस्ताक्षर एवं अपने अधिकारी के हस्ताक्षर हेतु बैंक में रख दिया था।

61. **विवेचक शैलेष मिश्रा (अ.सा.44)** ने यह साक्ष्य दी है कि वह माह मई 2015 से वर्ष 2017 तक थाना कोतवाली कटनी में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था और उसने थाना कोतवाली के अपराध कमांक 738/2016 धारा 420, 467, 468, 471, 423, 424, 120बी भा.द.वि. के संबंध में अग्रिम विवेचना की थी।

विवेचना के दौरान उसने दिनांक 12.10.2017 को आरोपी मानवेन्द्र, दस्सू पटेल, नरेश पोद्दार, नरेश कुमार बर्मन को समक्ष गवाहन गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्र.पी.88 लगायत 91) तक तैयार किया था। प्रकरण में अभियुक्त मोहम्मद यासीन पिता मुनीर अहमद उम्र 37 वर्ष, निवासी बंगला नंबर 5, मकान नंबर 14, कैन्ट जबलपुर तलाश करने पर वह उक्त पते पर नहीं मिल रहा था, तस्दीक करने पर आरोपी काफी लंबे समय से फरार था, उक्त संबंध में उसने समक्ष गवाहन फरारी पंचनामा (प्र.पी.102) एंवं फरारी पंचनामा (प्र.पी.103) तैयार किया था। विवेचना के दौरान उसने पप्पू उर्फ प्रहलाद के कथन लेखबद्ध किये थे। अभियुक्तगण के संबंध में विवेचना में यह तथ्य आये थे कि उनके द्वारा फर्जी फर्म खोलकर करोड़ों का लेनदेन किया गया है, शासन व फरियादी के साथ धोखाधड़ी की गई है और चारों अभियुक्तगण द्वारा शासन के साथ धोखाधड़ी करना पाया गया है। फरियादी रजनीश तिवारी ने एक्सिस बैंक में अपना कोई भी खाता नही खोलना बताया था, उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उसने अभियोग पत्र संबंधित माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था, अभियोग पत्र प्रपी 103 है।

62. **विवेचक अजय सिंह (अ.सा.1)** ने अग्रिम विवेचना की पुष्टी करते हुये साक्ष्य दी है कि उसने आरोपी मो. यासीन उसने आरोपी के बताये अनुसार मेमोरेंडम कथन प्र.पी. 152 लेख किया था एवं आरोपी मो. यासीन को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा (प्र.पी.154) बनाया था और दिनांक 30.11.2022 को एक्सिस बैंक से आरोपी मो. यासीन की आई.डी. से खोले गये खाता क्र. 317010200009324 श्री मिनरल्स की जानकारी प्राप्त किया था। आरोपी मो. यासीन के हस्ताक्षर नमूना (प्र.पी.138) एंव लिखावट नमूना (प्र.पी.145) अंग्रेजी में गवाहों के समक्ष लिया था। दिनांक 18.03.2023 को शाखा प्रबंधक एक्सिस बैंक कटनी को धारा 91 दं.प्र.सं. का नोटिस भेजकर मो. यासीन के द्वारा उसकी आई.डी. डब्लू.ओ. 590 से खोले गये बैंक खातों के मूल फार्म प्रस्तुत किये जाने बाबत जानकारी (प्र.पी.156) के माध्यम से चाही गई थी। शाखा प्रबंधक के प्र.पी. 129 के पत्र के अनुसार दिनांक 05.04.2023 को शैलेन्द्र ताम्रकार शाखा प्रबंधक कटनी के द्वारा खाता नंबर 317010100061676 खाता धारक श्रीमती सुमत बाई एवं 317010100061694 खाता धारक तरूण सरकार की मूल फार्म की प्रति प्रदाय की गई गई थी, जिन्हें जप्त कर जप्ती पत्रक (प्र. पी.130) तैयार किया था, जिनके मूल फार्म (प्र.पी.131 व 132) हैं। आयकर अधिकारी को दिनांक 03.03.2023 को खाता धारक रजनीश को टैक्स जमा करने बाबत भेजे गये नोटिस के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रदाय किये जाने हेतु (प्र.पी.157) का पत्र जारी किया था। आयकर अधिकारी श्री आशुतोष चटर्जी द्वारा उक्त दिनांक को (प्र.पी.135) के माध्यम से जानकारी प्रदाय की गई थी कि 58,50,471/—का टैक्स रजनीश कुमार तिवारी के नाम से बकाया है।

63. **विवेचक अजय सिंह (अ.सा.1)** ने यह भी साक्ष्य दी है कि विवेचना के दौरान उसने फरियादी रजनीश कुमार तिवारी के पूरक कथन ए.के. तिवारी आयकर आयुक्त, आशुतोष चटर्जी आयकर अधिकारी के कथन लेखबद्ध किया था। दिनांक 11.03.2023 एवं 11.04.2024 को प्रकरण में जप्तशुदा नमूना हस्ताक्षर, लिखावट मो. यासीन के द्वारा खोले गये बैंक के मूल फार्म(प्र.पी.139, 141, 142 व 143), पुलिस अधीक्षक कटनी के माध्यम से राजकीय विवादास्पद दस्तावेज (प्र.पी.136 व 137) विशेषज्ञ परीक्षण हेतु भोपाल भेजे थे। आरोपी मो. यासीन को समक्ष गवाहान गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्र.पी.147) तैयार किया था। विवेचना के दौरान हस्तलिपि मिलान हेतु मेमोरेंडम की कार्बन प्रति (प्र.पी.146), गिरफ्तारी पत्रक (प्र.पी.147) की मूल प्रति राजकीय विवादास्पद दस्तावेज विशेषज्ञ अभिलेख एवं प्रलेख शाखा पुलिस मुख्यालय जहांगीराबाद भोपाल परीक्षण हेतु भेजा थी, जिसकी पावती (प्र.पी.151) है।

64. अभियोजन साक्षी **विजयशंकर गिरी (अ.सा.56)** ने अपनी साक्ष्य में थाना प्रभारी श्री अजय सिंह (अ.सा.1) द्वारा दिनांक 29.11.2022 को आरोपी मोह. यासीन, जो एक्सिस बैंक कटनी में क्लर्क के पद पर कार्यरत् था, से उसके सामने घटना के संबंध में पूछताछ कर मेमोरेण्डम (प्र.पी.152) लिये जाने, (प्र.पी. 138) के अनुसार आरोपी मोह. यासीन के नमूना हस्ताक्षर 6 पृष्ठों में, (प्र.पी.145) के अनुसार आरोपी मोह. यासीन की स्वाभाविक लिखावट 6 पृष्ठों में उसके सामने लिये जाने, एक्सिस बैंक के शाखा प्रबंधक शैलेन्द्र ताम्रकार के द्वारा दिनांक 05.04.2023 को मोह. यासीन की आई.डी.डब्ल्यू. ओ–590 से खोले गये दो बैंक खाते के फार्म, थाना प्रभारी के समक्ष पेश करने पर जप्ती पत्रक (प्र.पी. 130) तैयार किये जानें का समर्थन किया है।

65. अभियोजन साक्षी **मोतीलाल गोले (अ.सा.54)** ने यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 13.03.2023 को थाना कोतवाली कटनी के अपराध कमांक 738/16 धारा 420, 467, 468, 471, 423, 424 भा.द.वि. के प्रकरण में जप्तशुदा दस्तावेज शीलबंद पैकेट उसे थाने के मुंशी ने राजकीय विवादित दस्तावेज अभिलेख विशेषज्ञ पुलिस मुख्यालय जहांगीराबाद भोपाल ले जाकर उसने दस्तावेज जॉच हेतु दिया था, जिसका ड्रॉफ्ट (प्र.पी.–136) सलंग्न हैं। उसके द्वारा शील बंद पैकेट में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, उसे जैसा प्राप्त हुआ था, उसी हालत में उसके द्वारा विवादित दस्तावेज अभिलेख विशेषज्ञ पुलिस मुख्यालय जहांगीराबाद भोपाल में जमा किया गया था। अभियोजन साक्षी **अनिल गौतम (अ.सा. 55)** ने आरोपी मो. यासिन के संबंध में जप्तशुदा संपत्ति राजकीय विवादास्पद दस्तावेज विशेषज्ञ अभिलेख एवं प्रलेख शाखा पुलिस मुख्यालय जहाँगीराबाद भोपाल, हस्तलिपि जांच हेतु लेकर जाने एंव उसके द्वारा उक्त सीलबंद पैकेट संबंधित कार्यालय में जमा कर पावती (प्र.पी.151) प्राप्त करने का कथन किया है।

66. **हस्तलिपि विशेषज्ञ साक्षी राजेश आहूजा (अ.सा.45)** ने यह साक्ष्य दी है कि थाना कोतवाली कटनी के अपराध कमांक 738/2016 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 423, 424 भा.द.वि. के अपराध के दस्तावेज उसके कार्यालय में प्राप्त हुये थे। विवादित हस्ताक्षरों को उसके द्वारा क्यू–1 लगायत क्यू–22 से चिन्हित किया गया था, जिसमें क्यू–1 लगायत क्यू–8 एवं क्यू–21 एक्सिस बैंक के खाता खोलने के फार्म, जिसका खाता नंबर 317010200013778, जप्तीपत्रक (प्र.पी.18) के (आर्टिकल–18ए) से चिन्हित, क्यू–9 से क्यू–17 एक्सिस बैंक के खाता नंबर 317010 200010007 खोलने के फार्म (प्र.पी.19) (आर्टिकल 19ए) से चिन्हित है। विवादित हस्ताक्षर (क्यू–18 से क्यू–20) एक अन्य तीन अलग अलग खाता खोलने का फार्म, खाता नंबर 89511 (प्र.पी.19) के आर्टिकल बी से चिन्हित है। विवादित हस्ताक्षर क्यू–22 यूको बैंक का एक चेक दिनाक 06.06.2008 छायाप्रति के रूप में है। प्रकरण में विवादित हस्ताक्षरों से मिलान हेतु रजनीश तिवारी के बताये गये नमूना हस्ताक्षर एस–1 लगायत एस–6 से चिन्हित किये गये थे। 06 पृष्ठीय नमूना हस्ताक्षर (प्र.पी.48) है तथा एस–7 लगायत एस–12 से चिन्हित नमूना हस्ताक्षर (प्र.पी.49) 06 पृष्ठों में है। रजनीश तिवारी की बताई गई नमूना लिखावट को एस–13 से एस–18 के रूप में चिन्हित किया गया है, जो 06 पृष्ठों में होकर (प्र.पी.50) है। रजनीश तिवारी के बताये गये व्यवहारिक हस्ताक्षरों को एन–1 लगायत एन–11 से चिन्हित किया गया है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोलने का फार्म है जिनमें खाता खोलने का फार्म एन–1 से एन–5 (प्र.पी.56) के रूप में चिन्हित है। फार्म नंबर 7 एन–6 (प्र.पी.56ए) है। ड्राईविंग लाईसेंस और मतदाता परिचय पत्र एन–7 है। यूको बैंक का खाता खोलने का फार्म (प्र.पी.57) एन–8 है, फार्म नंबर 60 एन–9 (प्र.पी.57ए) है। भारतीय स्टेट बैंक का चैक नंबर 126813 एन–10 एवं एन–11 (प्र.पी.2) है। उक्त सभी विवादित हस्ताक्षरों का परीक्षण मिलान सामग्री में भेजी गई लिखावटों एवं हस्ताक्षरों से किया था।

67. **राजेश आहूजा (अ.सा.45)** ने यह भी साक्ष्य दी है कि परीक्षण उपरांत उसकी राय निम्न है कि– जिस व्यक्ति द्वारा लाल घेरे में घेरे गये मानक हस्ताक्षर एवं लिखावटें जिन्हें एस–1 से एस–18 एवं एन–1 से एन–11 से चिन्हित किया गया है, लेख की गई है, उस व्यक्ति द्वारा, लाल घेरे में घेरे गये विवादित हस्ताक्षर, क्यू–1 से क्यू–21 नहीं लिखे/किये गये हैं, जो कि रजनीश तिवारी द्वारा नहीं लिखा गया है। जिस व्यक्ति द्वारा लाल घेरे में घेरे गये मानक हस्ताक्षर एवं लिखावटें जिन्हें एस–1 से एस–18 एवं एन–1 से एन–11 से चिन्हित किया गया है, लेख की गई है, उस व्यक्ति द्वारा, लाल घेरे में घेरे गये विवादित हस्ताक्षर, जिसका नाम रजनीश तिवारी है, क्यू–22 लिखा गया है, जो कि रजनीश तिवारी के द्वारा लिखे गये हैं। लाल घेरे में घेरे गये विवादित हस्ताक्षर जिसे क्यू–22 से चिन्हित किया गया है, में दी गई राय इस शर्त पर है

कि क्यू–22 का दस्तावेज असल दस्तावेज की सत्यप्रति हो, तभी अभिमत सही माना जायें। उक्त अभिमत (प्रपी104) है तथा उक्त अभिमत के आधार (प्र.पी.45) के माध्यम से प्रेषित है।

68. राजेश आहूजा (अ.सा.45) ने यह भी साक्ष्य दी है कि पुलिस अधीक्षक कटनी के पत्र कमांक एस.पी./कटनी/123/17 दिनांक 08.08. 2017 एंव एफ.एस .एल.डी.एस.ओ./50ए/17 दिनांक 17.02.2018 के पत्रों के माध्यम से पुनः थाना कोतवाली के अपराध कमांक 738/2016 के दस्तावेज प्राप्त हुये थे। प्रकरण में विवादित हस्ताक्षरों क्यू–1 क्यू–21 के लेखन के संबंध में जांच करने के लिये सतीश सरावगी एवं मानवेन्द्र मिस्त्री के नमूना हस्ताक्षर व स्वाभाविक लिखावटें भेजी गई थी। मानवेन्द्र मिस्त्री की बताई गई नमूना लिखावटों को उसके द्वारा .एस–19 से एस–24 के रूप में चिन्हित किया गया जो कि (प्र.पी.38) 06 पृष्ठों में है। मानवेन्द्र मिस्त्री के बताये गये हस्ताक्षरों को उसके द्वारा एस–19ए से एस–24ए के रूप में चिन्हित किया गया। यह भी 06 पृष्ठों में होकर (प्र.पी.40) है। मानवेन्द्र मिस्त्री की बताई गई स्वाभाविक लिखावटें उसके द्वारा लाल घेरे में घेरी जाकर एन–12 से एन–21 तक चिन्हित की गई हैं, यह लिखावटें (प्र.पी.15) एक कॉपी में है। प्रकरण में सतीश सरावगी की नमूना लिखावटों को उसने एस–25 से एस–30 तक चिन्हित किया है, जो 06 पृष्ठों में होकर (प्र.पी.39) है। सतीश सरावगी की बताई गई स्वभाविक लिखावटों (प्र.पी.105) को उसने एन–22 से एन– 34 चिन्हित किया है, यह एक कॉपी में है जिसके उपर विद्या प्रिंटेड है।

69. राजेश आहूजा (अ.सा.45) ने यह भी साक्ष्य दी है कि विवादित हस्ताक्षरों क्यू 1 से क्यू 21 का मिलान मानक लिखावटों एवं हस्ताक्षरों से किया गया था। उसकी राय के अनुसार विवादित हस्ताक्षरों क्यू 1 से क्यू 21 के मिलान के लिये मानवेन्द्र मिस्त्री की बताई गई मानक/स्वाभाविक लिखावटे एस–19 से एस–24, एस–19ए से एस–24ए, एन–12 से एन–21 तथा सतीश सरावगी की बताई गई मानक लिखावटें एस–25 से एस–30 व एन–22 से एन–34 का परीक्षण पृथक पृथक विवादित हस्ताक्षरों क्यू–1 से क्यू–21 तक किया गया तो पाया गया कि मानवेन्द्र मिस्त्री की लिखावटों जिन्हे एस–19 से एस–24, एन–19ए से एस– 24ए एवं एन–12 से एन–21 में उपलब्ध अक्षर 'आर', 'के', 'टी' और 'त' समानतायें दर्शाते है, लेकिन कुछ फीचर पूरी तरह से मानको में उपलब्ध नहीं है। क्यू–1 से क्यू–21 के विवादित हस्ताक्षर नकल से बनाये गये हस्ताक्षरों की श्रृंखला में आते है। जिससे यह पता चलता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने नकल करके किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर अपने सामने रखकर यह हस्ताक्षर बनाये हैं। क्यू 1 से क्यू–21 तक के हस्ताक्षर रजनीश तिवारी के द्वारा नही किये गये थे। इन्हीं हस्ताक्षरो का मिलान सतीश सरावगी

व मानवेन्द्र मिस्त्री से किया गया तो मानवेन्द्र मिस्त्री कुछ अक्षर रजनीश तिवारी के विवादित हस्ताक्षरों से मेल खाये थे। उक्त साक्षी के अभिमतानुसार जब कोई लेखक असल व्यक्ति के हस्ताक्षरों को नकल करता है, तो वह अपने कुछ मानकों से जो हस्ताक्षर मिलाने के लिये आवश्यक हैं, उनसे भिन्नता लिये हुये होता है तथा अपने फीचर उसमें मिला देता है, जिससे यह पता चलता है कि वास्तविक व्यक्ति ने उन हस्ताक्षरों को नहीं किया। क्यू–1 से क्यू–21 तक की लिखावटों का मिश्रण के रूप में है, जिसके संबंध में निश्चित अभिमत नहीं दिया जा सकता है, उसका उक्त अभिमत (प्र.पी.44) है। उक्त अभिमत मय दस्तावेजो के पत्र दिनांक 12.03.2018 (प्र.पी.44ए) के माध्यम से प्रेषित की गई।

70. राजेश आहूजा (अ.सा.45) ने यह भी साक्ष्य दी है कि उक्त अपराध के दस्तावेज प्र.पी.136 एवं 137 के पत्रों माध्यम से भेजे गये थे। विवादित लिखावटों एवं हस्ताक्षरों में क्यू–1 से क्यू–4 एक्सिस बैंक के खाता क. 317010200 009324 के खाता खोलने के फार्म, जप्तीपत्रक (प्र.पी.5) में आर्टिकल बी है। क्यू–1 से क्यू–3 लाल घेरे में घेरी गई लिखावट है एवं क्यू–4 मो. यासीन के बताये गये विवादित हस्ताक्षर हैं, क्यू–5 से क्यू–8 की लिखावटे एक्सिस बैंक के खाता क्र.317010200010007 के खोलने के फार्म जप्तीपत्रक प्रपी19 में आर्टिकल ए है। मो. यासीन के बताये गये नमूना हस्ताक्षरों एवं लिखावटों को उसने 'एस–1 से एस–18', 'एस–7/1 से एस–7/5', 'एस–8/1 से एस–8/5', 'एस–9/1 से एस–9/5', 'एस–10/1 से एस–10 /5 से',एस– 11/1 से एस–11/5', 'एस–12/1 से एस–12/5' से चिन्हित किया है। 'एस–1 से एस–6', (प्र.पी.138) है। एस–7/1.से एस–7/5' (प्र.पी. 139) है। 'एस–8/1 से एस–8/5, (प्र.पी.140) है। 'एस–9/1 से एस–9/5', (प्र.पी.141) है। 'एस–10/1 से एस–10/5, (प्र.पी.142) है। 'एस–11/1 से एस–11/5' (प्र.पी.143) है। 'एस–12/1 से एस–12/5', 04 पृष्ठ (प्र.पी. 144)है। मो. यासीन के बताये गये नमूना लिखावट 'एस–13 लगायत एस–18, 06 पृष्ठों में होकर (प्र.पी.145) है। मो. यासीन के बताये गये स्वभाविक लिखावटें एवं हस्ताक्षर उसके द्वारा लाल घेरे में घेरी जाकर (एन–1 लगायत एन–6) से चिन्हित किये गये हैं, आरोपी मो. यासीन का मेमोरण्डम कथन 'एन–5' (प्र.पी. 146) हैं। मो. यासीन का गिरफ्तारी पत्रक 'एन–6' (प्र.पी.147) है।

71. राजेश आहूजा (अ.सा.45) की साक्ष्य के अनुसार उक्त विवादित लिखावटों एवं हस्ताक्षरों का मिलान एवं परीक्षण मानक लिखावटों एवं हस्ताक्षरों से उसके द्वारा सावधानीपूर्वक एवं समग्रता से किया गया था। परीक्षण उपरांत उसकी राय है कि जिस व्यक्ति द्वारा लाल घेरे में घेरे गये मानक लिखावटें एवं हस्ताक्षर, जिन्हें 'एस–1 से एस–6', एस–7/1 से एस–7/5, एस–8/1 से

एस.8/5. एस–9/1 से एस–9/5, एस–10/1 से एस–10/5, एस–11/1 से एस –11/5 एस–12/1 से एस– 12/5 एस–13 से एस–18 एवं एन–1 से एन–6 चिन्हित किया गया है, लिखी गई हैं, उसी व्यक्ति (मो. यासीन के बताये गये) द्वारा लाल घेरे में घेरी गई विवादित लिखावटें एवं हस्ताक्षर क्यू 1 से क्यू–8 लिखे गये है। उक्त अभिमत (प्र.पी.148) है, उसके के आधार अभिमत के साथ संलग्न है। राज्य परीक्षक के पत्र क्र सी.आई.डी./क्यू–डी/सीएक्स–193/23/541/23 दिनांक 31.05.2023 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक कटनी की ओर भेजा गया अग्रेषण पत्र (प्र.पी.149) था।

<u>निर्णय के समय के लिये सुरक्षित आपत्तियों का निराकरण :–</u>

72. प्रकरण में साक्षी रामकुमार (अ.सा.6) एंव विजयशंकर गिरी (अ.सा. 56) के परीक्षण के दौरान की गयी आपत्तियों को निर्णय के समय के लिये सुरक्षित रखा गया था। अतः सर्वप्रथम उक्त आपत्तियों का निम्नासार निराकरण किया जा रहा है। अभियोजन साक्षी रामकुमार सिंह (अ.सा.6) के मुख्य परीक्षण में प्र.पी.–106 के दस्तावेज की ग्राहयता के कारण उसके प्रदर्शित किये जाने के समय अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की गई थी। उक्त प्र.पी.–106 के दस्तावेज की ग्राहयता के संबध में विचार किया गया। उक्त दस्तावेज को प्रदर्शित करने वाले साक्षी रामकुमार (अ.सा.6) ने स्वंय अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 35 में यह स्वीकार किया है कि **प्र.पी. 106 का खाता खोलने का फार्म बैंकर्स बुक ऑफ एवीडेंस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है**। उक्त आधार पर दस्तावेज स्वंय ही अग्राहय है। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्र.पी. 106 से प्र.पी. 108 तक के दस्तावेज पुलिस ने उससे जप्त नहीं किये थे और इस प्रकरण में उक्त दस्तावेजों को जप्त किये जाने संबंधी कोई जप्ती पत्रक संलग्न नहीं है। उक्त दस्तावेज पुलिस द्वारा मांगने संबंधी पत्र भी प्रकरण में संलग्न नहीं है। अतः प्र.पी.–106 के दस्तावेज का प्रदर्शित करने वाले साक्षी की उक्त स्वीकारोक्ति को दृष्टिगत रखते हुये प्र. पी.–106 के दस्तावेज की ग्राहयता के संबध में अभियुक्तगण की आपत्ति स्वीकार की जाती है।

73. विजयशंकर गिरी (अ.सा.56) की साक्ष्य के दौरान अभियुक्त मो. यासीन के कथन में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की गई थी कि **यह पार्ट की स्टेटमेंट ग्राह्य न होने से नहीं लिखाई जा सकती** जो निर्णय के समय के लिये सुरक्षित रखी गई। चूंकि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी अभियुक्त की पुलिस अभिरक्षा में की गई स्वीकारोक्ति का उतना ही भाग साक्ष्य में ग्राह्य होता है, जितने भाग में किसी तथ्य की खोज या प्रकटीकरण हो रहा हो। उक्त साक्षी ने अभियुक्त मो. यासीन के कथनों के उन भागों को दोहराया है, जो अपराध की विषयवस्तु

हैं, परंतु किसी तथ्य के प्रकटीकरण की श्रेणी में नहीं आती, जिस कारण से उक्त साक्षी के कथनों का मो. यासीन की अपराध की स्वीकारोक्ति की सीमा तक का भाग साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। तदानुसार उक्त आपत्ति का निराकरण किया जाता है।

74. प्रकरण में अभियुक्तगण को व्यथित व्यक्ति **संजय तिवारी एवं रजनीश तिवारी** के **संबध में धारा 420 भा.द.स. के छल कारित करने के अपराध के आरोप सें दोषमुक्त किया जा चुका है**। अब इस तथ्य पर विचार किया जा रहा है कि क्या अभियुक्तगण के विरूध नामजद प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज की गयी है और क्या प्रथम सूचना रिर्पोट लेखबद्ध कराने वाले फरियादी रजनीश कुमार तिवारी ने अभियोजन का समर्थन किया है अथवा नही।

75. उक्त संबंध में प्रकरण का अवलोकन किए जाने पर दर्शित होता है कि प्रकरण के फरियादी **रजनीश कुमार तिवारी (अ.सा.04) जिसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, ने अभियोजन का समर्थन ही नहीं किया है और अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि** वह हाजिर अदालत अभियुक्तगण को नही जानता है। उक्त साक्षी ने न्यायालयीन प्रश्न में भी स्पष्ट किया है कि वह मो. यासीन को नहीं जानता था, क्योंकि उससे कोई वास्ता नहीं था। कंडिका 52 में उक्त साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे जो व्यक्ति एक्सिस बैंक कटनी में खाता खोलकर, पैसा ट्रांस्फर कर रहे हैं तथा एस.के.मिनरल्स के नाम से व्यवसाय कर रहे थे, उन सबके विरूद्ध कार्यवाही हेतु लिखा था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्र.पी. 58 एवं प्र.पी. 153 को भी दिये जाने से इंकार किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करने वाले साक्षी दिनेश कुरोसिया (अ.सा.33) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6 एंव 10 में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्र.पी. 92 की रिपोर्ट/एफ.आई.आर. अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध दर्ज की गई। उक्त एफ.आई.आर. दर्ज करने से पूर्व उसने कोई भी जांच नहीं की थी।

76. प्रकरण के विवेचक **एस.पी. सिंह बघेल (निरीक्षक)** ने भी शिकायत प्र.पी. 51 एंव एफ.आई.आर. प्र.पी. 92 अभियुक्तगण के विरूध पजींबद्ध न होकर, अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध दर्ज होने की पुष्टी करते हुये अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 134 एंव 146 में स्वीकार किया है कि आवेदक रजनीश कुमार तिवारी ने अपने आवेदन पत्र में नामजद शिकायत नहीं की थी। दिनांक 14.07.2016 को लिये कथन में, फरियादी रजनीश तिवारी ने किसी भी अभियुक्त का नाम, उक्त घटना से संबंधित होने के बारे में नहीं बताया था। उक्त विवेचक ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 196 में यह भी स्वीकार किया है कि प्र.पी. 51 की **लिखित शिकायत में इस प्रकरण के किसी भी अभियुक्तगण के नाम का उल्लेख नहीं है**। इसी शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 92 पंजीबद्ध की

गई। प्र.पी. 51 की लिखित शिकायत एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 92 में इस प्रकरण के किसी भी अभियुक्तगण के संबंध में ऐसा नहीं लिखा है कि उनके द्वारा फरियादी रजनीश के साथ कोई धोखाधडी की गई है।

निक्की डेविड, एंव सुमेश(सोमेश) महेश्वरी को प्रकरण में अभियुक्त नहीं बनाने के संबध में विश्लेषणः—

77. फरियादी रजनीश तिवारी (अ.सा.04) ने भी अपने मुख्य परीक्षण में ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि निक्की डेविड, निवासी मानसरोवर कॉलोनी, कटनी ने उसे सुमेश महेश्वरी से मिलवाया था और नौकरी लगवा देगें की बात कहकर उसने आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस और दो फोटो सुमेश माहेश्वरी को दिये थे, सुमेश माहेश्वरी ने उससे एक अंग्रेजी के फार्म व कुछ दस्तावेजो में हस्ताक्षर कराये जाने का भी कथन किया है, और जप्तीपत्रक (प्र.पी.3) के अनुसार जप्त जमा पर्ची आर्टिकल (प्र.पी.3के) पर उसके हस्ताक्षर हैं। निक्की डेविड ने पर्ची पर उसके हस्ताक्षर कराये होंगे का भी कथन किया है। कंडिका 54 में उक्त साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि दिनांक 13.08.2016 को कथन देते समय निक्की डेविड ने, मानवेन्द्र मिस्त्री से उसका परिचय कराया है। उक्त फरियादी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 36 में स्पष्ट किया है कि निक्की डेविड ने बैंक खाता खुलवाते समय यह बताया था कि जो भी बैंक खाता खोले जा रहे हैं, उसमें कोयले की बिक्री से संबंधित पैसों का लेनदेन होगा, जिससे प्राप्त होने वाला कमीशन उसे मिलेगा, खाते में होने वाले लेनदेन के संबंध में जो कमीशन होता था वह उसे प्राप्त होता था।

78. उक्त फरियादी रजनीश तिवारी (अ.सा.04) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 56 में इस सुझाव से भी इंकार किया है कि वह मानवेन्द्र मिस्त्री की सीमेंट दुकान पर काम करता था, उसने मानवेन्द्र मिस्त्री को, जो वोटर आई.डी. ड्राइविंग लायसेंस संबंधी दस्तावेज दिये थे, वापस मांगे तो उसने बोला था कि अच्छी जगह काम पर लगवा देगें। फरियादी रजनीश तिवारी (अ.सा.04) ने श्रीमान सत्र न्यायाधीश महोदय कटनी के द्वारा पूछे गये **न्यायालयीन प्रश्न में भी स्पष्ट किया है कि** उसने निक्की डेविड और सोमेश माहेश्वरी के जरिये कंपनियां रजिस्टर्ड कराई थीं। वह अपना कमीशन काटकर चैक, सोमेश माहेश्वरी को देता था।

79. विवेचक एस.पी. सिंह बघेल (निरीक्षक) ने **निक्की डेविड, एंव सुमेश महेश्वरी के अस्तित्व को भी** अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 147,149 एंव 150 में स्वीकार किया है कि दिनांक 13.08.2016 के फरियादी रजनीश तिवारी के कथन में निक्की डेविड एवं सोमेश माहेश्वरी का नाम भी आया था।

उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये अभियोगपत्र में निक्की डेविड एवं सोमेश माहेश्वरी से पूंछतांछ किये गये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। निक्की डेविड व सोमेश माहेश्वरी के लिये गये कथन अभियोग पत्र के साथ पेश नहीं किये गये हैं। निक्की डेविड माधवनगर क्षेत्र में रहती है और वह निक्की डेविड के घर कभी नहीं गया, इसलिये उसके घर और उसमें रहने वाले लोगों के बारे में नहीं बता सकता। वह सोमेश माहेश्वरी के घर नहीं गया, इसलिये वह उसके घर व उसमें रहने वाले लोगों के बारे में नहीं बता सकता। उक्त विवेचक ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 151 में यह भी स्वीकार किया है कि उसने प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि निक्की डेविड और सोमेश माहेश्वरी का आपस में या अभियुक्तगण से अथवा फरियादी से कोई भी संबंध हो।

80. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 167 में यह भी स्वीकार किया है कि साक्षी गोविंद तिवारी ने अपने पुलिस कथन में सोमेश माहेश्वरी, मानवेन्द्र मिस्त्री एवं मिन्टू परौहा के नाम लिखाये थे, परंतु उनके नाम किस संदर्भ में लिखाये थे, यह उसने अपने कथन में नहीं लिखाया था। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 168 एंव 169 में यह भी स्वीकार किया है कि साक्षी गोविंद तिवारी के कथन में निक्की डेविड का नाम भी आया था। निक्की डेविड से की गई पूछतांछ व कथन, अभियोग पत्र के साथ पेश नहीं किये गये हैं। साक्षी गोविंद तिवारी के कथनों में, सोमेश माहेश्वरी व मिन्टू उर्फ धर्मेश परौहा का नाम आने पर, उसके द्वारा मिन्टू उर्फ धर्मेश परौहा से पूछतांछ नहीं की गई और न ही उसके कथन लेख किये गये थे। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 213 में यह भी स्वीकार किया है कि उसने रजनीश तिवारी के पूरक कथन प्र.पी. 58 में उल्लेखित निक्की डेविड व सोमेश महेश्वरी को आरोपी नहीं बनाया है। उसके द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र में निक्की डेविड व सोमेश महेश्वरी की अपराध में संलिप्तता नहीं पाये जाने का निष्कर्ष नहीं दिया गया है। इस प्रकार वास्तव में फरियादी **रजनीश तिवारी के साथ छल कारित करने के आशय से उसके विभिन्न दस्तावेज परिचय पत्र/फोटो/चालन अनुज्ञप्ति आदि रजनीश तिवारी से निक्की डेविड, एवं सुमेश महेश्वरी ने** प्राप्त किये परंतु प्रकरण में निक्की डेविड, एंव सुमेश महेश्वरी को अभियुक्त के रूप में संयोजित नहीं किया गया, जिस कारण से अभियोजन का मामला प्रारंभ से ही संदेहास्पद हो गया है।

परिचय पत्र/फोटो/चालन अनुज्ञप्ति/बैंक खाता फार्म आदि दस्तावेजों पर रजनीश कुमार तिवारी के कूटरचित हस्ताक्षर के संबंध में विश्लेषणः—

81. न्यायदृष्टांत **ओ.पी. दीक्षित विरूद्ध म.प्र. राज्य आई.एल.आर. 2012. एम.पी. वाल्यूम 3 डी.बी. 90** में अवधारित किया गया है धारा 467 के अन्तर्गत

कूटरचना का अपराध प्रमाणित करने के लिये दो बातें आवश्यक है पहला अभियुक्त द्वारा दस्तावेज में जालसाजी की गई हो दूसरा दस्तावेज उक्त धारा वर्गीकृत किसी वर्ग के अन्तर्गत आना चाहिये परंतु प्रकरण में बैंक एकाउण्ट व फर्जी कंपनी खोलने में फरियादी रजनीश तिवारी के जिन कूटरचित हस्ताक्षर का उल्लेख आरोपपत्र में किया गया है उसी आरोप को ध्वस्त करते हुये फरियादी रजनीश तिवारी (अ.सा.04) ने स्वंय अपने मुख्यपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जप्तीपत्रक(प्र.पी.5) के अनुसार जप्त आर्टिकल ए एंव आर्टिकल बी के बैंक के फार्म के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। एच.डी.एफ.सी. बैंक के फार्म (प्र.पी.53) के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जप्तीपत्रक प्रपी 10 के अनुसार जप्त आर्टिकल आई एक्सिस बैंक के फार्म के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। भारतीय स्टेट बैंक के फार्म प्रपी 56 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। यूको बैंक के फार्म प्रपी 57 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जप्तीपत्रक प्रपी 18 के अनुसार जप्त एक्सिस बैंक में खाता प्रपी 18ए के फार्म के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने एक्सिस बैंक में खाते खोले थे, कितने खाते खोले थे यह आज उसे ध्यान या याद नही है।

82. फरियादी रजनीश तिवारी (अ.सा.04) ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि जप्तीपत्रक प्रपी 19 के अनुसार जप्त प्रपी 19ए के फार्म के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जप्तीपत्रक प्रपी 19 के अनुसार जप्त एक्सिस बैंक के फार्म प्रपी 19बी के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जप्तीपत्रक प्रपी 8 के अनुसार जप्त बैंक ऑफ बड़ौदा का फार्म प्रपी 8ए है जिसके अ से अ व ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जप्तीपत्रक प्रपी 11 के अनुसार जप्त यूनियन बैंक का फार्म आर्टिकल प्रपी 11ए है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जप्तीपत्रक प्रपी 3 के अनुसार एस. के. मिनरल्स के संबंध बैंक का फार्म आर्टिकल प्रपी 3जे है, जो 05 पृष्ठो पर है और अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जप्तीपत्रक प्रपी 7 के अनुसार जप्त आर्टिकल प्रपी 7ए के एच.डी.एफ.सी. बैंक के खाता नंबर 7322560000537 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। फार्म के साथ संलग्न स्टेटमेंट की फोटोकॉपी के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त फार्म के साथ संलग्न कस्टमर अण्डरटेकिंग फार्म पर लगी श्रीमिनरल्स प्रोपा. की सील के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जप्तीपत्रक प्रपी 5 के अनुसार जप्तशुदा आर्टिकल बी खाता नंबर 317010200009324 खुलने का फार्म है। उसने उक्त खाता खोला है। प्रपी 5 के आर्टिकल बी के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जप्तीपत्रक प्रपी 19 के अनुसार जप्तशुदा आर्टिकल ए खाता नंबर 317010200010007 खुलने का फार्म है। उसने उक्त खाता खोला है। प्रपी 19 के आर्टिकल ए के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

83. फरियादी रजनीश तिवारी (अ.सा.04) ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह

भी स्वीकार किया है कि उसने प्रपी 2 का चैक संजय मिश्रा के नाम से जारी किया था. जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तीपत्रक प्रपी 3 के अनुसार जप्त चैक आर्टिकल प्रपी 3ए के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तीपत्रक प्रपी 3 के अनुसार जप्त चैक आर्टिकल प्रपी 3बी के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जप्तीपत्रक प्रपी 3 के अनुसार जप्त चैक आर्टिकल प्रपी 3सी के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जप्तीपत्रक प्रपी 3 के अनुसार जप्त चौक आर्टिकल प्रपी 3डी के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जप्तीपत्रक प्रपी 3 के अनुसार जप्त चैक आर्टिकल प्रपी 3ई के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जप्तीपत्रक प्रपी 3 के अनुसार जप्त चैक आर्टिकल प्रपी 3एफ के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जप्तीपत्रक प्रपी 3 के अनुसार शाखा प्रबंधक को प्रेषित पत्र आर्टिकल प्रपी 3एच के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जप्ती पत्रक प्रपी 3 के अनुसार नमूना हस्ताक्षर प्रपी 3आई के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जप्तीपत्रक प्रपी 3 के अनुसार जप्त यूको बैंक की जमा पर्ची आर्टिकल प्रपी 3के है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रपी 118–सी के नोटिस में रजनीश तिवारी का नाम लेख है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आयकर विभाग के कार्ड की फोटोप्रति प्रपी 54 व डाईविंग लाईसेंस की फोटोप्रति प्रपी 55 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

84. **जहां तक ज्ञान का प्रश्न है,** रजनीश तिवारी (अ.सा.4) ने लोक अभियोजक द्वारा पूंछे गये प्रश्न के उत्तर में इस सुझाव से इंकार किया है कि खाता नंबर 317010200009324 एवं खाता नंबर 317010200010007 उसके द्वारा नहीं खोले गये थे। उक्त दोनों खाता फार्म उसके द्वारा नहीं भरे गये हैं। स्वतः कथन में स्पष्ट किया है कि उसके सामने भरे गये हैं। इस साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि प्र.पी. 5 के आर्टिकल बी एवं प्र.पी. 19 के आर्टिकल ए के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। फरियादी रजनीश तिवारी (अ.सा.04) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 34 में भी यह स्वीकार किया है कि उसका मोबाईल नंबर 9575881960 था। उसने उक्त मोबाईल नंबर अपने सभी बैंक के खातो में, जो उसके नाम पर खोले गये थे में, दर्ज कराया था। उसने बैंक के खाता खोलने के फार्म पर जब हस्ताक्षर किये थे उस समय उसे यह मालुम था कि वह बैंक का खाता खुलवा रहा है, खाता खोलने के लिये वह बैंक भी जाता था और कई बार बैंक के कर्मचारी भी खाता खोलने के लिये उसके पास आते थे। **खाता खोलने के सभी फार्म बैंक के कर्मचारी द्वारा ही भरा जाता था और उसके बाद में वह हस्ताक्षर कर देता था।** कंडिका 36 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक (प्र.पी.3) के क्रमांक 26 का जप्तशुदा (आर्टिकल–एच) जो खाता बंद करने का आवेदन है, पर उसके हस्ताक्षर हैं, उसने खाता बंद करवाने का आवेदन लिखवाकर अपने हस्ताक्षर किये थे और इसके पश्चात् खाता बंद करवाया था। बैंक खाते से प्राप्त चैक बुक में जिन

लोगों को पैसा देना होता था, उस पर वह अपने हस्ताक्षर कर देता था।

85. फरियादी रजनीश तिवारी (अ.सा.04) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 37 में यह स्वीकार किया है कि इस प्रकरण की शिकायत के दौरान पुलिस ने उससे कई कागजों पर हस्ताक्षर कराये थे, वह अपने हस्ताक्षर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में कर लेता है, प्रकरण में प्रस्तुत सभी बैंक खाते जिनमें उसने आर.के. तिवारी के नाम से हस्ताक्षर किये हैं वे सभी उसके द्वारा ही खोले गये हैं, हस्ताक्षर करते समय उसे यह मालूम था कि वह अपने नाम पर व फर्म के नाम पर खाता खोल रहा है। कंडिका 39 में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने (प्र.पी.48, 49, 50) के दस्तावेजों पर अलग अलग समय पर व अलग अलग दिनांको पर हस्ताक्षर किये थे। यह हस्ताक्षर कभी उसने बैठकर किये, कभी खड़े खड़े ही कर दिये थे। फरियादी रजनीश तिवारी (अ.सा.04) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 66 में यह स्वीकार किया है कि बैंक में जो भी खाते खोले गये थे, वह सभी बैंक जाकर बैंक अधिकारियों द्वारा मांगे गये सभी दस्तावेजों को देकर खोले थे। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह कोयले के कमीशन का जो कार्य करता था, उसमें व्यापारियों के द्वारा नगद रूपये दिये जाते थे, उन रूपयों को नगद बैंक में जमा कर, अपना कमीशन काटकर चैक देता था। फरियादी रजनीश तिवारी (अ.सा.04) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 67 में यह भी स्वीकार किया है कि 10–12 साल पुरानी बात होने के कारण उसे कंपनियों के नाम, बैंक खातों के नंबर एवं लेनदेन की रकम याद नहीं है।

86. फरियादी रजनीश तिवारी (अ.सा.04) से **तत्कालीन मान्नीय प्रधान सत्र न्यायाधीश महोदय कटनी द्वारा स्वंय लगभग 18 न्यायालयीन प्रश्न पूछे गये परंतु** उक्त साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह उत्तर दिया है कि उसके नाम से करीब 30 खाते एक्सिस बैंक, एच.डी.एफ.सी., यूको बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में थे। एस.के. मिनरल्स का ही नाम उसे याद है, बाकी कंपनियों के नाम, जिनके खाते थे, उसे नहीं पता। उक्त कंपनियां जिनके नाम से उसका खाता था, वह दमोह, कटनी और सतना में रजिस्टर्ड हुई थी। एक महीने में उसके पास 30–40 चैक आ जाते थे। उक्त चैक करीब 02 लाख, 2.5 लाख और 04 लाख के रहते थे। उसका करीब 30–40 हजार रूपये कमीशन बन जाता था। उसने उक्त संबंध में कोई टैक्स कभी नहीं दिया। उसका बैंक में अक्सर आना जाता होता था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 66 में यह स्वीकार किया है कि उसे आयकर विभाग का टैक्स जमा करने का नोटिस मिला था, उसकी अपील कमिश्नर जबलपुर कार्यालय में की है, जो वर्तमान में लंबित है।

87. इस प्रकार फरियादी रजनीश तिवारी (अ.सा.04) से तत्कालीन

मान्नीय प्रधान सत्र न्यायाधीश महोदय कटनी द्वारा पूछे गये न्यायालयीन प्रश्न में भी स्वंय एक्सिस बैंक, एच.डी.एफ.सी., यूको बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में खाते खोलने, उक्त कंपनियां रजिस्टर्ड कराने, उसके पास चैक आने तथा अभियोजन की ओर प्रस्तुत उससे संबधित सभी दस्तावेजों एंव **प्रकरण में प्रस्तुत सभी बैंक खातों पर अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है। जिससे उपरोक्त समस्त दस्तावेजों पर फरियादी रजनीश तिवारी (अ.सा.04) के कूटरचित हस्ताक्षर होने का आरोप स्वंयमेव ही अप्रमाणित है।** इस संबध में न्यायदृष्टांत **Rajendra Sharma vs The State Of Madhya Pradesh on 18 September, 2025** NEUTRAL CITATION NO. 2025:MPHC-GWL:22794 अवलोकनीय है जिसमें अवधारित किया गया है कि–

The executant of the agreement, late Chandan Singh, in his written statement in civil proceedings, admitted the execution of the agreement. Once the original party to the transaction has accepted its genuineness, allegations of forgery raised by third parties lose their substratum. In such circumstances, the essential ingredients of Sections 467 and 468 IPC are not attracted.

88. फरियादी रजनीश तिवारी (अ.सा.04) ने कंडिका 52 में पुलिस कथन (प्र.पी.58) एंव पुलिस कथन (प्र.पी.153) को पुलिस को दिये जाने से भी इंकार किया है तथा कंडिका 38 में स्वीकार किया है कि (प्र.पी.52) में मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष हुय कथनों में उसने जो भी बातें बताई थी, वह पुलिस के कहने पर बताई थी। फरियादी रजनीश तिवारी (अ.सा.04) द्वारा प्रस्तुत (प्र.पी.51) की लिखित शिकायत को स्वंय फरियादी ने ही संदेहास्पद बना दिया है। उक्त साक्षी ने कंडिका 52 में इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने लिखित शिकायत में एक्सिस बैंक कटनी में खाता खोलकर, पैसा ट्रांस्फर कर रहे तथा एस.के.मिनरल्स के नाम से व्यवसाय कर रहे व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही हेतु लिखा था। उक्त साक्षी ने (प्र.पी.51) की शिकायत के द से द एंव ई से ई का अंशभाग को पुलिस को दिये जाने से इंकार किया है। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन (प्र.पी.58) एंव पुलिस कथन (प्र.पी.153) को पुलिस को दिये जाने से भी इंकार किया है।

89. प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करने वाले साक्षी दिनेश कुरोसिया (अ.सा.33) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 5 में यह स्वीकार किया है कि प्र.पी. 51 का पत्र कम्प्यूटर से टाईप है, जिस पर प्रार्थी के टाईपुशदा नाम के उपर उसके हस्ताक्षर नहीं है, बल्कि नीचे अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर अंकित हैं। प्र.पी. 51 के आवेदन पत्र पर आवेदक रजनीश तिवारी के द्वारा कोई तारीख अंकित नहीं की गई है कि उक्त आवेदन किस तारीख को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिया गया था या उक्त आवेदन किस तारीख को लेख किया

गया था।

90. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने भी प्रतिपरीक्षण की कंडिका 195 में यह स्वीकार किया है कि जिस प्र.पी. 51 की लिखित शिकायत के आधार पर इस प्रकरण से संबंधित कार्यवाही प्रारंभ हुई थी, उक्त शिकायत पर जहां प्रार्थी लिखा है, वहां प्रार्थी के स्थान पर हस्ताक्षर नहीं है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 196 में यह भी स्वीकार किया है कि प्र.पी. 51 की लिखित शिकायत में दिनांक का उल्लेख नहीं है कि उक्त शिकायत किस तारीख को तैयार की गई थी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 197 में भी स्वीकार किया है कि प्र.पी. 51 की लिखित शिकायत एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 92 में एस.के. मिनरल्स किसके द्वारा संचालित की जा रही है, इस बात का भी उल्लेख नहीं है। प्र.पी. 51 की लिखित शिकायत एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 92 में इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि एक्सेस बैंक में किसके द्वारा खाता संचालित किया जा रहा है। प्र.पी. 51 की लिखित शिकायत में इस बात का भी उल्लेख नहीं है रजनीश तिवारी क्या काम करता है। उक्त शिकायत में इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि रजनीश तिवारी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है और उसका पिता गोविंद तिवारी विकलांग है और भिक्षा मांग कर जीवन यापन करता है। फरियादी रजनीश तिवारी (अ.सा.04) ने कंडिका 52 में लिखित शिकायत (प्र.पी.51) में एक्सिस बैंक कटनी में खाता खोलने, पैसा ट्रांस्फर करने एंव एस.के.मिनरल्स के नाम से व्यवसाय कर रहे व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही हेतु लिखने से इंकार किया है।

91. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 198 में यह स्वीकार किया है कि प्र.पी. 92 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराते समय फरियादी रजनीश तिवारी से कोई पूंछतांछ नहीं की गई थी और न ही उसको बुलाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर लिये गये और न ही उसे पढकर सुनाये गयी थी। प्र.पी. 51 की शिकायत एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 92 में इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि रजनीश तिवारी मंगल नगर राजू गुप्ता केटर्स के यहां मजदूरी का कार्य करता था और वहीं एक कमरे में रहता था। रजनीश तिवारी के राजू गुप्ता केटर्स के यहां मजदूरी का कार्य करने और वहीं एक कमरे में रहने के संबंध में उसने राजू गुप्ता से कोई पूंछतांछ नहीं की थी और न ही कोई दस्तावेज राजू गुप्ता से प्राप्त किये। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 200 में यह भी स्वीकार किया है कि प्र.पी. 51 की लिखित शिकायत के क से क भाग पर दिनांक 04.04.16 शिकायत क्रमांक 129/16 दर्ज है और ख से ख भाग पर दिनांक 02.04.16 को निरीक्षक माधव नगर को जांच कर वैधानिक कार्यवाही करने का निर्देश है, परंतु उक्त हस्ताक्षर के नीचे किसी का नाम व सील अंकित नहीं है जिससे (प्र.पी.51) की शिकायत पर प्रश्नचिहन लग रहा है।

परिचय पत्र/फोटो/चालन अनुज्ञप्ति/बैंक खाता फार्म आदि दस्तावेजों पर संजय तिवारी के कूटरचित हस्ताक्षर के संबंध में विश्लेषणः–

92. आरोपपत्र में उल्लेखित अन्य व्यथित व्यक्ति **संजय तिवारी (अ.सा. 24) (जोकि आरोप में दूसरे काउंट में सम्मलित है)** ने भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया है और अपने मुख्य परीक्षण में ही लोक अभियोजक द्वारा पूंछे गये, प्रश्नों के उत्तर में इस बात से इंकार किया है कि उसने गरीबी रेखा से नीचे के राशन कार्ड नंबर 95564 की फोटो कापी, इंकम टैक्स का नोटिस, स्टेट बैंक मार्केट ब्रांच में 10 हजार रूपये का चालान जमा करने की पावती, उसके द्वारा लिखे गये शिकायत प्रतिवेदन 1 से 18 तक एवं ड्राईविंग लाईसेंस की फोटोकापी पुलिस को दिया था और दिनांक 04.08.2016 को पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र दिया था और शिकायत क्रमांक 1 से 28 तक की शिकायतें संबंधित अधिकारियों को दिया था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसने धारा 164 के कथनों में सतीश सरावगी एवं नरेश बर्मन के बारे में बताया था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि नरेश बर्मन ने उसके दस्तावेज पेन कार्ड, वोटर आई.डी. व फोटो कंप्यूटर से स्केन कर लिया था। उक्त साक्षी ने एक्सिस बैंक में बहुत से फर्जी खाते खुलने की बात से भी इंकार किया है और इस बात से भी इंकार किया है कि प्र.पी. 26ए के क्रमांक 1 से 18 तक की सभी शिकायतें उसने की थी। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि वह संदीप, मानवेन्द्र, दस्सू व नरेश बर्मन को जानता है।

93. व्यथित **संजय तिवारी (अ.सा.24)** ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसने प्र.पी. 26 का दस्तावेज पुलिस के तैयार करने के बाद उसे पढ़कर अपने हस्ताक्षर किया था। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 20 में यह स्पष्टीकरण दिया है कि पुलिस उसे घर से कई बार लेकर जाती थी और थाने में बैठाती थी। उसने कोई भी दस्तावेज पुलिस को नहीं दिया था और न ही जप्त कराया था। पुलिस ने उससे थाने में कई कागजों पर हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे थे और हस्ताक्षर कराये थे। पुलिस वाले उसे धमकी देते थी कि तुम्हें बंद कर देंगे और इसी डर के कारण उसने इन सभी कागजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये थे। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 21 में पुनः इस बात को दोहराया है कि आर्टिकल (प्र.पी.26ए) के अनुसार कमांक 1 से 18 के शिकायत पत्र पुलिस वालो ने लिखकर दिया था और कहा था कि ऐसा लिख दो तो उसने उनके डर के कारण उक्त क्रं.1 से 18 तक के दस्तावेज लेख कर दिय थे।

94. व्यथित व्यक्ति संजय तिवारी (अ.सा.24) ने प्रकरण में **अभियोजन के कूटरचना के आरोपपत्र को भी ध्वस्त करते हुये अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका** 22 में स्पष्ट कर दिया है कि वह स्वयं का व्यापार कार्य करने लगा था,

उसने अपना पेन कार्ड स्वयं बनवाया था। उसने अपने बैंक खाते भी स्वयं खोले थे, वह आई.डी.बी.आई. बैंक से अपनी पत्नी के नाम पर लोन लेकर स्वयं का व्यापार करने लगा था, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई थी। उसे इंकम टैक्स से जो भी नोटिस प्राप्त हुये थे वह इंकम टैक्स का रिटर्न नहीं भरने के कारण प्राप्त हुये थे और बाद में उसने उक्त रिटर्न अपने वकील साहब से भरवा दिये थे। इस प्रकार संजय तिवारी के साथ छल कारित करने के आशय से उसके विभिन्न दस्तावेज परिचय पत्र/फोटो/चालन अनुज्ञप्ति में कूट रचना कर एवं अन्य कूट रचित दस्तावेजो का उपयोग कर छल पूर्वक विभिन्न फर्जी फर्मों (एस. के. मिनरल्स, रामा इंटरप्राइजेज आदि) का गठन किया और उक्त फर्जी फर्मों के नाम से विभिन्न बैंकों (एक्सिस बैंक आदि) में फर्जी खाते खोलकर उनके माध्यम से पैसों का लेनदेन कर उसके साथ छल कारित करने का आरोप भी प्रमाणित नहीं हो रहा है।

अन्य दस्तावेजों पर कूटरचित हस्ताक्षर के संबंध में विश्लेषणः–

95. **प्रकरण में अभियोजन ने अमित अधिकारी (अ.सा.37)** की साक्ष्य भी लेखबद्ध कराई गई है, परंतु अभियोजन की ओर से उक्त **साक्षी से संबंधित आंध्रा बैंक में खोले गये खाते का मूल फार्म या उसके नाम से पंजीबद्ध किसी फर्म के मूल दस्तावेज अथवा छायाप्रतियां प्रस्तुत नहीं की गई हैं** और दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में उक्त साक्षी की साक्ष्य अभियोजन के मामले को कोई बल प्रदान नहीं करती है। अब यदि उक्त साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षण में दी गई साक्ष्य एवं शिकायत (प्र.पी.36) एवं धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन (प्र.पी.93) की विश्वसनीयता पर विचार किया जाये, तो उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8 में यह स्वीकार किया है कि उसने मोटरसाईकिल फाईनेंस कराने के लिये आंध्रा बैंक कटनी में खाता खोला था। खाता खोलते समय उसने खाता खोलने के फार्म पर हस्ताक्षर किये थे और अपनी फोटो व आई.डी. दी थी। बैंक से फाईनेंस होते ही मोटरसाईकिल मिल गई थी, उसे 1800/–रूपये प्रतिमाह किस्त जमा करना होता था, जिसे वह बैंक की पर्ची भरकर जमा करता था। उसे काउंटर रसीद मिलती थी, लेकिन उसने पुलिस को नहीं दी थी। इस प्रकार उक्त साक्षी की स्वीकारोक्ति से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त साक्षी ने स्वयं ही आंध्रा बैंक में अपना खाता खोला था।

96. अब यदि **अमित अधिकारी (अ.सा.37)** द्वारा दी गई लिखित शिकायत (प्र.पी.36) पर विचार किया जाये तो उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 9 में यह स्वीकार किया है कि प्र.पी. 36 की शिकायत उसके वकील विजय सिंह ने बनवाई थी, जो आज न्यायालय में उपस्थित हैं। न्यायालय परिसर में मिलने के बाद उसके वकील विजय सिंह न्यायालय कक्ष तक आये हैं। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 में भी यह स्पष्ट किया है

कि वर्ष 2009—10 में उसे मोटरसाईकिल की आवश्यकता थी। उस समय उसके पास पैसे कम थे। तब उसकी मानवेन्द्र मिस्त्री से बात हुई थी, तो उसने कहा था कि वह फाईनेंस करवा देगा, तुम अपना पैन कार्ड बनवा लो। उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण की साक्ष्य का खण्डन करते हुये प्रतिपरीक्षण की कंडिका 12 में यह स्वीकार किया है कि (प्र.पी.36) में यह लेख नहीं है कि विजय सिंह वकील साहब के मोबाईल में मानवेन्द्र मिस्त्री की फोटो थी, जिसे उन्होंने आयकर विभाग को दिखाया था, तो आयकर विभाग के अधिकारी ने बताया था कि यही अमित है और यह व्यक्ति ही अमित अधिकारी के नोटिस लेकर जाता था। इसके बाद भी उसे आयकर विभाग के नोटिस प्राप्त होते रहे। अपने वकील साहब के साथ आयकर विभाग जाने के पश्चात कभी भी किसी विभाग में कोई शिकायत नहीं किया। विजय सिंह वकील साहब के द्वारा आयकर विभाग में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी और न ही कोई अपील की थी। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 13 में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि उसकी शिकायत की जांच के दौरान उसने पुलिस को कोई भी दस्तोवज नहीं दिये थे। **उसने अपनी (प्र.पी.36) की शिकायत में उल्लेखित खाता नंबरों के संबंध में कभी भी कोई बैंक संबंधी या लेनदेन संबंधी दस्तावेज पुलिस को नहीं दिये थे**। उसने आर.टी.आई. संबंधी कोई दस्तावेज पुलिस को नहीं दिया था, उसने मोटरसाईकिल फाईनेंस होने के संबंध में मोटरसाईकिल के दस्तावेज, बैंक संबंधी फाईनेंस दस्तोवज, बैंक जमा पर्ची पुलिस को नहीं दी थी।

97. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत एक अन्य पीड़ित साक्षी **अनिल सिंह (अ.सा.38) से संबंधित मूल दस्तावेज अथवा छायाप्रतियां प्रस्तुत नहीं की गई हैं** और दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में उक्त साक्षी की साक्ष्य अभियोजन के मामले को कोई बल प्रदान नहीं करती है। अब यदि उक्त साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षण में दी गई साक्ष्य एवं शिकायत (प्र.पी.36) एवं धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन (प्र.पी.93) की विश्वसनीयता पर विचार किया जाये, तो उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 में यह स्वीकार किया है कि उसने एक्सिस बैंक में खाता खुलवाते समय फार्म में दस्तखत किये थे। फार्म में उसकी फोटो और पहचान संबंधी दस्तावेज लगे थे, बैंक में जाकर उसने हस्ताक्षर करवाकर खाते खुलवाये थे। उसने 68 हजार व 69 हजार रूपये के चैक जो उसके पास आये थे, उन्हें उसने खाते में जमा कर दिये थे। फिर उसने उक्त चैक की राशि बैंक से निकालकर प्राप्त कर ली थी। उक्त चैकों में दर्शित रकम बंगाली दादा या मानवेन्द्र मिस्त्री को नहीं दी थी। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि **पेन कार्ड बनवाते समय उसने हस्ताक्षर किया था और फोटो चस्पा की थी**। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6 में भी यह स्वीकार किया है कि उसके पास वर्तमान में मूल वोटर आई.डी. है। कभी कभी नगद एवं कभी खाते में उसका वेतन जमा होता था, जो भी रकम उसे मिलती थी, वह सद्भावना अर्थमूवर्स के खाते में मिलती थी। वह चैक बुक में स्वयं हस्ताक्षर करता था,

उसने इंकम टैक्स का कोई भी नोटिस पुलिस को नहीं दिया था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने सद्भावना अर्थमूवर्स के नाम से खाता खोलने संबंधी कोई दस्तावेज या एकाउंट स्टेटमेंट नहीं निकलवाया था और न ही उसके पास है।

98. **विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2)** ने दिनांक 13.08.2016 को 12.40 बजे स्थान थाना कोतवाली कटनी में संजय मिश्रा (अ.सा.7) के पेश करने पर रजनीश तिवारी के नाम का भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चैक क्रमांक 126813 जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 1 समक्ष गवाह अजय सिंह उपनिरीक्षक एवं सहायक उपनिरीक्षक दिनेश करोसिया के समक्ष बनाये का कथन किया है परंतु संजय मिश्रा (अ.सा.7) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 में विरोधभाषी कथन दिया है कि पुलिस वालों ने उसे इस मामले में तीन चार बुलाया था और उस पर दबाव डाल रहे थे इस चैक में रजनीश तिवारी के हस्ताक्षर नहीं हैं बल्कि किसी और का नाम होने के लिये कह रहे थे। पुलिस वाले बार बार कह रहे थे कि किसी सरावगी का नाम लो। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 5 में भी इस बात को स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे प्र.पी. 2 का चैक ले लिया था लेकिन उसके संबंध में कोई लिखा पढ़ी उसके सामने नहीं की गई थी केवल हस्ताक्षर करा लिये गये थे।

99. **विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2)** ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 155 में स्वीकार किया है कि फरियादी रजनीश तिवारी ने अपने मूल एवं पूरक कथन में संजय मिश्रा के संबंध में उसके चैक एवं मोटरसाईकिल क्रय करने बाबत् कोई कथन उसे नहीं दिये थे। उक्त विवेचक साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 158 में स्वीकार किया है कि वह साक्षी संजय मिश्रा के घर नहीं गया, इसलिये वह उसके घर व उसमे रहने वाले लोगों के बारे में नही बता सकता।

100. प्रकरण में फरियादी रजनीश तिवारी एवं व्यथित व्यक्ति संजय तिवारी से संबंधित **विभिन्न दस्तावेज परिचय पत्र/फोटो/चालन अनुज्ञप्ति/बैंक खाता फार्म आदि में कूटरचना अथवा फरियादी रजनीश तिवारी एवं व्यथित व्यक्ति संजय तिवारी के कूटरचित हस्ताक्षर के संबंध में** यदि अन्य स्वत्रंत साक्षीगण की साक्ष्य पर विचार किया जाये तो अभियोजन साक्षी **श्रीमती सरस्वती पटेल उर्फ मनीषा (अ.सा.9)** को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित किया गया है। उक्त साक्षी ने अभियोजन की सभी बातों को अस्वीकार करते हुये, पुलिस कथन (प्र.पी.68) को दिये जाने से भी इंकार किया है। साक्षी **श्रीमती राधा बर्मन (अ.सा.11)** एवं श्रीमती **रंजना बर्मन (अ.सा.12)** को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित किया गया है। उक्त साक्षीगण ने अभियोजन की सभी बातों को अस्वीकार करते हुये, अपने अपने पुलिस कथन (प्र.पी.69) एंव (प्र.पी.70) को

पुलिस को दिये जाने से इंकार किया है। श्रीमती रंजना बर्मन अ.सा. 12 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8 में स्वीकार किया है कि उसके पति नरेश बर्मन घटना के 8–10 साल पहले से खुद का व्यापार करते थे। वहं स्वयं साड़ी बेंचने का काम करती थी। हमारा घर अच्छे से चलता था।

101. अभियोजन साक्षी **जगबंधु बेहरा (अ.सा.20)** को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित किया गया है। उक्त साक्षी ने अभियोजन की सभी बातों को अस्वीकार करते हुये, पुलिस कथन (प्र.पी.83) एंव धारा 164 द.प्र.सं. के न्यायालयीन कथन (प्र.पी.82) को दिये जाने से भी इंकार किया है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी नावेद अख्तर (अ.सा.21) को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित किया गया है। उक्त साक्षी ने अभियोजन की सभी बातों को अस्वीकार करते हुये, पुलिस कथन (प्र.पी.68) को दिये जाने से भी इंकार किया है। उक्त साक्षी ने अस्वीकार किया है कि उसने अपने धारा 164 द.प्र.सं. के न्यायालयीन कथन (प्र.पी.84) में उल्लखित बातें पुलिस को बतायी थी। अभियोजन साक्षी **कबली प्रसाद पटेल (अ.सा.25)** को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित किया गया है। उक्त साक्षी ने अभियोजन की सभी बातों को अस्वीकार करते हुये, पुलिस कथन (प्र.पी.86) को दिये जाने से भी इंकार किया है।

102. अभियोजन साक्षी **पप्पू उर्फ प्रहलाद अग्रवाल (अ.सा.27)** को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित किया गया है। उक्त साक्षी ने अभियोजन के विरूध कथन किया है और अभियोजन की सभी बातों को अस्वीकार करते हुये, पुलिस कथन (प्र.पी.87) को दिये जाने से इंकार किया है। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसकी फर्म का नाम प्रहलाद इंटरप्राइजेस है, उसने पांच–छः साल पहले मानवेन्द्र को बस स्टेण्ड में देखा था, इसके पहले मानवेन्द्र को सतीश सरावगी के आफिस में देखा था, सतीश का ऑफिस गुरूनानक लोहे वाली दुकान के बाजू में है, मोबाईल नंबर 7009332999 से उसे फोन आया था, उक्त फोन नंबर से अपने आप को सतीश सरावगी बताते हुये मानवेन्द्र मिस्त्री से मिलकर 50 लाख रूपये की मांग की थी, जिसकी उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उक्त साक्षी ने लोक अभियोजक द्वारा दिये गये इन सुझावों से भी इंकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन में बताया था कि मानवेन्द्र मिस्त्री हवाला काण्ड में उसका नाम क्यों ले रहा था, उसे इसकी जानकारी नहीं है जबकि उक्त साक्षी के संबध में विवेचक शैलेष मिश्रा (अ.सा. 44) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8 में यह स्वीकार किया है कि उसने साक्षी पप्पू अग्रवाल का कथन इसलिये लेख किया था कि पूर्व की विवेचना में उसका नाम इस मामले में संलिप्त होने के संबंध में आया था। उसने इस प्रकरण में पप्पू अग्रवाल को आरोपी नहीं बनाया है।

103. इस संबध में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण के

विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 199 में यह स्वीकार किया है कि **प्र.पी. 51 की लिखित शिकायत एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 92 में इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि इस प्रकरण के अभियुक्तगण द्वारा फरीयादी रजनीश के फोटो आई डी कार्ड व पहचान संबंधित दस्तावेजों को उससे लिया है और उनकी कूट रचना की गई**। उक्त विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 209 में पुनः यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा जो भी प्रकरण में जप्तियां की गई हैं, वो **पहचान संबंधित दस्तावेज (परिचय पत्र, फोटो, चालान अनुज्ञप्ति, राशन कार्ड, पहचान पत्र) फर्जी या कूटरचित नहीं पाये गये।** अब इस संबध में इस प्रकार स्वंय विवेचक की स्वीकारोक्ति से भी अभियुक्तगण की कूटरचना के अपराध में संलिप्तता संदिग्ध हो गयी है।

<u>अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से फर्जी फर्म तैयार करने और बैंकों में खाता खोलकर छल एवं कूटरचना का अपराध कारित करने के संबध में विश्लेषणः—</u>

104. प्रकरण में अभियुक्तगण पर इस बात का भी आरोप है कि अभियुक्तगण द्वारा फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से फर्जी फर्म तैयार की और बैंकों में खाता खोलकर छल एवं कूटरचना का अपराध कारित किया है। उक्त आरोप के संबध में बैंक अधिकारीगण/कर्मचारीगण की साक्ष्य ही अभियोजन के मामले की नींव तैयार करती है और उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य ही प्रकरण में उक्त आरोप साबित करने के लिये साबित होना आवश्यक है। अतः अब न्यायालय द्वारा उक्त संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत बैंक अधिकारीगण/कर्मचारीगण की साक्ष्य का विशलेषण किया जा रहा है।

105. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत शाखा प्रबंधक एक्सिस बैंक, कटनी **शैलेन्द्र ताम्रकार (अ.सा.3)** ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8 में इस बात की पुष्टि की है कि बैंक में खाता खुलवाने हेतु आर.बी.आई. द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार खाताधारक का पहचान पत्र, फोटो, मोबाईल नंबर व उसके बाद जब वह स्वयं बैंक में खुद आता है, तब उसका खाता खोला जाता है और तब बैंक मैनेजर स्वयं जाकर इस बात की तस्दीक करता है कि वह फर्म वहां स्थित है या नहीं तब खाता खोला जाता है। खाता खुलने के पहले बैंक के 7—8 अधिकारियों के पास खाता खुलने के दस्तावेज व सत्यापन के दस्तावेज जाते हैं और वह अपनी टीप लगाते हैं, इसके बाद खाता खुलता है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 26 में स्पष्ट किया है कि खाता खोलने के पूर्व फार्म भरने के पश्चात बैंक मैनेजर के द्वारा वेरीफिकेशन के बाद खाता संबंधित व्यक्ति की उपस्थिति में तथा उसके हस्ताक्षर कराने के बाद खोला जाता था। उसके पश्चात ब्रांच मैनेजर द्वारा अपने हस्ताक्षर किये जाते थे। उक्त साक्षी ने अपने

प्रतिपरीक्षण की कंडिका 27 में भी इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि प्र.पी. 131 एवं 132 के खाते में वेरीफिकेशन होने का उल्लेख है तथा तत्कालीन ब्रांच मैनेजर के हस्ताक्षर व सील अ से अ भाग पर अंकित है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 32 में पुनः इस बात की पुष्टि की है कि जब किसी फर्म के नाम से खाता खोला जाता है, तब इस बात की तस्दीक बैंक मैनेजर द्वारा स्वयं जाकर की जाती है कि उक्त फर्म दर्शित स्थल पर स्थित है या नहीं है। के.वाय.सी. का वेरीफिकेशन बैंक मैनेजर द्वारा स्वयं जाकर करने के पश्चात ही उक्त फर्म का खाता खोला जाता है।

106. इस प्रकार बैंक में खाता खुलवाने हेतु आर.बी.आई. द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार खाताधारक का पहचान पत्र, फोटो, मोबाईल नंबर व उसके बाद जब वह स्वयं बैंक में खुद आता है, तब उसका खाता बैंक मैनेजर की स्वयं की तस्दीक/पुष्टी के बाद ही खुलता है। यदि प्रकरण में वास्तव में **अभियुक्तगण .द्वारा फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से फर्जी फर्म तैयार की और बैंकों में खाता खोला है तो इसके संबध में बैंक खातों में उल्लेखित** बैंक अधिकारीगण एंव कर्मचारीगण भी अपराध के लिये मुख्य रूप से उत्तरदायी है।

107. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत बैंक खातों एवं दस्तावेजो पर विचार किया जाये तो जप्ती पत्रक प्र.पी. 5 के अनुसार जप्त दस्तावेज **आर्टिकल ए** मेसर्स शुभम ट्रेडिंग कंपनी का मूल बैंक खाता फार्म है, जो रजनीश कुमार तिवारी द्वारा खोला जाना बताया गया है, जिस पर बैंक अधिकारी, कर्मचारी के रूप में Sanjay Khanwakar SS No. 323 के नाम की सील व सिग्नेचर हैं, आर्टिकल बी का दस्तावेज श्री मिनरल्स के नाम का बैंक खाता है, जो कि रजनीश कुमार तिवारी द्वारा खोला जाना बताया गया है, जिस पर बैंक अधिकारी, कर्मचारी के रूप में Vikram Goyal Emp. Code No. 1307 UTI Bank Ltd. Katni 317 के द्वारा प्रमाणीकरण की सील व सिग्नेचर हैं।

108. इसी प्रकार जप्ती पत्रक प्र.पी. 7 के द्वारा जप्त किये गये दस्तावेज **आर्टिकल ए** एच.डी.एफ.सी. बैंक में श्री मिनरल्स फर्म के नाम से रजनीश कुमार तिवारी द्वारा खोले गये खाते का मूल फार्म है, जिस पर बैंक अधिकारी, कर्मचारी के रूप में Kshitij Shukla, Ananad Dubey, Deepa Nayak & Nitin kaul के नाम की सील और सिग्नेचर के साथ प्रमाणित किया गया है, जप्ती पत्रक प्र.पी. 10/आर्टिकल आई. श्वेता इंटरप्राईजेस फर्म का बैंक खाता खोलने का मूल फार्म है, जो कि रजनीश कुमार तिवारी द्वारा खोला जाना बताया गया है, जिसे बैंक अधिकारी Anubhav Bairwan S.S. No. 4694 ने वेरीफाई किया है, जप्ती पत्रक प्र.पी. 18 के माध्यम से जप्त दस्तावेज आर्टिकल ए एक्सिस बैंक मेसर्स एस.के. मिनरल्स फर्म के नाम से रजनीश कुमार

तिवारी द्वारा खोले गये बैंक खाते का मूल फार्म है, जिस पर बैंक अधिकारी Ashish Dalvi S.S. No. 4020 ने वेरीफाई किया है। उक्त खाते से संबंधित दस्तावेजों का प्रमाणीकरण Ajit Kumar Saini H.No. 106 Civil Line Katni के द्वारा किया गया है।

109. इसी प्रकार जप्ती पत्रक प्र.पी. 19 के माध्यम से जप्त **आर्टिकल ए** का दस्तावेज एस.के. मिनरल्स फर्म के नाम से रजनीश कुमार तिवारी द्वारा एक्सिस बैंक में खोले गये बैंक खाते का मूल फार्म है, जिस पर बैंक कर्मचारी Ananad shrivastava S.S. No. 2949 एवं Ashish Dalvi Dypty Branch Manager द्वारा वेरीफाई किया गया है, आर्टिकल बी का दस्तावेज रजनीश कुमार तिवारी स्वयं के नाम पर एक्सिस बैंक में खोले गये बैंक खाते का मूल फार्म है, जिस पर बैंक अधिकारी Ananad shrivastava S.S. No. 2949 ने वेरीफाई किया है, विवेचक द्वारा जप्त प्र.पी. 53 का दस्तावेज प्र.पी. 53 श्वेता इंटरप्राईजेस फर्म के नाम से रजनीश तिवारी द्वारा एच.डी.एफ.सी. बैंक में खाले गये बैंक खाते का मूल फार्म है,जिस पर बैंक कर्मचारी Gulzar Kachhwaha, Bharat Kumar Jagyashi, Vishal Kumar, Sandeep sharma के सील सिग्नेचर हैं तथा उसके संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज प्र.पी. 54 व 55 का प्रमाणीकरण Gulzar Kachhwaha द्वारा किया गया है।

110. इसी प्रकार **जप्ती पत्रक प्र.पी. 27/आर्टिकल बी** का दस्तावेज शिव आराधना इंटरप्राईजेस फर्म से संबंधित है, जो संदीप बर्मन द्वारा खोला जाना दर्शाया गया है। उक्त खाते को भी Anubhav Bairwan S.S. No. 4694 ने प्रमाणित किया है, **आर्टिकल सी** का दस्तावेज प्रभूवंदना इंटरप्राईजेस फर्म से संबंधित है, जो दस्सू पटेल द्वारा खोला जाना दर्शाया गया है। उक्त खाते को भी Anubhav Bairwan S.S. No. 4694 ने वेरीफाई किया है। उक्त खाते से संबंधित दस्तावेजों का प्रमाणीकरण Somesh Mishra 982778089 W1095 के द्वारा किया गया है, जिसकी सील भी अंकित की गई है, **आर्टिकल एफ** का दस्तावेज बाहुबली ट्रेडिंग कंपनी से संबंधित है, जो दस्सू पटेल द्वारा खोला जाना दर्शाया गया है। उक्त खाते को Ananad shrivastava S.S. No. 2949 ने वेरीफाई किया है। उक्त खाते से संबंधित दस्तावेजों का प्रमाणीकरण Ajit Kumar Saini के द्वारा किया गया, सील भी अंकित की गई है, **आर्टिकल एच** का दस्तावेज व्यापार ट्रेडिंग कंपनी से संबंधित है, जो नरेश बर्मन द्वारा खोला जाना दर्शाया गया है। उक्त खाते को भी Anubhav Bairwan S.S. No. 4694 ने वेरीफाई किया है, **आर्टिकल आई** का दस्तावेज यूनिक ट्रेडिंग कंपनी से संबंधित है, जो नरेश बर्मन द्वारा खोला जाना दर्शाया गया है। उक्त खाते को भी Anubhav Bairwan S.S. No. 4694 ने वेरीफाई किया है। उक्त खाते से

संबंधित दस्तावेजों का प्रमाणीकरण Somesh Mishra 982778089 W1095 के द्वारा किया गया, सील भी अंकित की गई है, **आर्टिकल जे** का दस्तावेज लक्ष्मी इंटरप्राईजेस से संबंधित है, जो नरेश बर्मन द्वारा खोला जाना दर्शाया गया है। उक्त खाते को Ananad shrivastava S.S. No. 2949 ने वेरीफाई किया है। उक्त खाते से संबंधित दस्तावेजों का प्रमाणीकरण Ajit Kumar Saini के द्वारा किया गया है, जिसकी सील भी अंकित की गई है।

111. इसी प्रकार **जप्ती पत्रक प्र.पी. 10/आर्टिकल ई** का दस्तावेज मेसर्स श्री लक्ष्मी लक्ष्मी इंटरप्राईजेस फार्म के बैंक खाते का मूल फार्म है, जो कि अभियुक्त नरेश बर्मन द्वारा खोला जाना बताया गया है, जिस पर बैंक कर्मचारी के रूप में Ananad shrivastava S.S. No. 2949 द्वारा वेरीफाई/प्रमाणित किया गया है एवं दस्तोवजों को Ajit Kumar Saini H.No. 106 Civil Line Katni के द्वारा सत्यापित किया गया है, **आर्टिकल एफ** का दस्तावेज हरिओम इंटरप्राईजेस फर्म का खाता खोलने का मूल फार्म है, जिसे Vikram Goyal Emp. Code No. 1307 UTI Bank Ltd. Katni 317 द्वारा वेरीफाई एवं प्रमाणित किया गया है, **आर्टिकल जी** का दस्तावेज मेसर्स अंकुर इंटरप्राईजेस का मूल बैंक खाता का फार्म है, जो अभियुक्त नरेश पोद्दार द्वारा खोला जाना बताया गया है, जिस पर बैंक कर्मचारी Ananad shrivastava S.S. No. 2949 ने वेरीफाई किया है। उक्त खाते से संबंधित दस्तावेजों का प्रमाणीकरण Ajit Kumar Saini H.No. 106 Civil Line Katni के द्वारा किया गया है, जिसकी सील भी अंकित की गई है, आर्टिकल 7ए–1 अभियुक्त मानवेन्द्र मिस्त्री का एस.डी.एफ.सी. बैंक में खोले गये खाते का मूल फार्म है, जिसे बैंक कर्मचारी Bhawana Negi, Swapnil Joshi, Prakash chandra Kelodia के सील और सिग्नेचर के साथ प्रमाणित किया गया है, **आर्टिकल ए** जो कि अभियुक्त मानवेन्द्र मिस्त्री द्वारा यू.टी.आई. बैंक में खोले गये बैंक खाता की मूल प्रति है। उक्त बैंक खाता को संबंधित बैंक कर्मचारी Vikram Goyal Emp. Code No. 1307 UTI Bank Ltd. Katni 317 द्वारा वेरीफाई एवं प्रमाणित किया गया है।

112. इसी प्रकार **आर्टिकल बी** राधास्वामी इंटरप्राईजेस फर्म का खाता खोलने से संबंधित दस्तावेज है, जो कि अभियुक्त मानवेन्द्र मिस्त्री द्वारा उक्त खाता एक्सिस बैंक में खोला गया है, जिसे एक्सिस बैंक के कर्मचारी Ananad shrivastava S.S. No. 2949 द्वारा वेरीफाई/प्रमाणित किया गया है एवं दस्तावेजों को Somesh Mishra 982778089 W1095 के द्वारा सत्यापित किया गया है। **आर्टिकल सी** का दस्तावेज श्वेता इंटरप्राईजेस फर्म के खाता खोलने का मूल फार्म है, जो अभियुक्त मानवेन्द्र मिस्त्री द्वारा उक्त खाता एक्सिस बैंक में खोला गया है, जिसे एक्सिस बैंक के कर्मचारी Ananad shrivastava S.S. No. 2949 द्वारा वेरीफाई किया गया है एवं दस्तावेजों को Somesh Mishra

982778089 W1095 के द्वारा सत्यापित किया गया है, **आर्टिकल डी** का दस्तावेज अभियुक्त मानवेन्द्र मिस्त्री के द्वारा उक्त खाता एक्सिस बैंक में खोला गया है, जिसे एक्सिस बैंक के कर्मचारी Ananad shrivastava S.S. No. 2949 द्वारा वेरीफाई/प्रमाणित किया गया है एवं दस्तोवजों को Somesh Mishra 982778089 W1095 के द्वारा सत्यापित किया गया है। इसी प्रकार **जप्ती पत्रक प्र.पी. 10/आर्टिकल एच** मेसर्स आदिनाथ सर्विसेस फर्म का मूल बैंक खाता है, जो कि राकेश यादव द्वारा खोला जाना बताया गया है। जिस पर बैंक कर्मचारी Ananad shrivastava S.S. No. 2949 ने वेरीफाई किया है। उक्त खाते से संबंधित दस्तावेजों का प्रमाणीकरण Ajit Kumar Saini H.No. 106 Civil Line Katni के द्वारा किया गया है, जिसकी सील भी अंकित की गई है।

113. इसी प्रकार **जप्ती पत्रक प्र.पी. 27/आर्टिकल ए,** वीना ट्रेडिंग कंपनी फर्म के एक्सिस बैंक में खाता खोलने का फार्म है, जिस पर बैंक कर्मचारी Anubhav Bairwan S.S. No. 4694 ने खाते का प्रमाणिकरण किया है। उक्त खाता सुरेश कुमार प्रजापति द्वारा खोला गया है। उक्त खाते से संबंधित दस्तावेजों का प्रमाणीकरण Somesh Mishra 982778089 W1095 के द्वारा किया गया है, जिसकी सील भी अंकित की गई है, **आर्टिकल डी** का दस्तावेज सियाराम मिनरल्स फर्म से संबंधित है, जो सुरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा खोला गया है। उक्त खाते को Ashish Dalvi S.S. No. 4020 ने वेरीफाई किया है। उक्त खाते से संबंधित दस्तावेजों का प्रमाणीकरण Ajit Kumar Saini H.No. 106 Civil Line Katni के द्वारा किया गया है, जिसकी सील भी अंकित की गई है, **आर्टिकल ई** का दस्तावेज प्रजापति इंटरप्राईजेज फर्म से संबंधित है, जो रमेश पटेल द्वारा खोला गया है। उक्त खाते को Ashish Dalvi S.S. No. 4020 ने वेरीफाई किया है। उक्त खाते से संबंधित दस्तावेजों का प्रमाणीकरण Ajit Kumar Saini H.No. 106 Civil Line Katni के द्वारा किया गया है, जिसकी सील भी अंकित की गई है, **आर्टिकल जी** का दस्तावेज गणपति ट्रेडिंग कंपनी से संबंधित है, जो राकेश कुमार पटेल द्वारा खोला गया है। उक्त खाते को Ananad shrivastava S.S. No. 2949 ने वेरीफाई किया है। उक्त खाते से संबंधित दस्तावेजों का प्रमाणीकरण Ajit Kumar Saini H.No. 106 Civil Line Katni द्वारा किया गया है, जिसकी सील भी अंकित की गई है।

114. इस प्रकार वास्तव में अपराध की विषयवस्तु से संबधित बैक खातों को वेरीफाई/प्रमाणित करने वाले एंव दस्तोवजों को सत्यापित करने वाले **बैंक** अधिकारी एंव कर्मचारीगण Sanjay Khanwakar SS No. 323, Vikram Goyal Emp. Code No. 1307 UTI Bank Ltd. Katni 317, Kshitij Shukla, Ananad Dubey, Deepa Nayak & Nitin kaul, Anubhav Bairwan S.S. No. 4694, Ashish Dalvi S.S. No. 4020, Ajit Kumar Saini H.No. 106 Civil Line

Katni, Ananad shrivastava S.S. No. 2949, Ashish Dalvi Dypty Branch Manager, Gulzar Kachhwaha, Bharat Kumar Jagyashi, Vishal Kumar, Sandeep sharma, Bhawana Negi, Swapnil Joshi, Prakash chandra Kelodia, Somesh Mishra 982778089 W1095 को अभियुक्त के रूप में संयोजित नहीं किया गया है। इस तथ्य की पुष्टी विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ. सा.2) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 210 में की है कि **प्र.पी. 36** की शिकायत में उल्लेखित आंध्रा बैंक के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को प्रकरण में आरोपी के रूप में संयोजित कर अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस कारण से भी अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो गया है।

115. प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत बैंक खाते एवं दस्तावेजों के संबध में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि स्वंय अभियोजन की ओर से प्रस्तुत **बैंक** अधिकारी/कर्मचारी ने ही अपनी साक्ष्य में बैंक खातों को सही प्रक्रिया से खुले होने की साक्ष्य दी है। **शैलेन्द्र ताम्रकार (अ.सा.3)** ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 11 में स्पष्ट रूप से इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि किसी भी बैंक में कोई भी व्यक्ति किसी और के नाम से न तो खाता खोल सकता है और न ही खाता संचालित कर सकता है और उसके बैंक में भी ऐसी ही व्यवस्था है। एक्सिस बैंक शाखा कटनी में शाखा प्रबंधक **रामकुमार (अ.सा.6)** ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 19 में इस बात को स्वीकार किया है कि प्रकरण से संबंधित मुख्य परीक्षण में वर्णित जितने भी बैंक खातों का विवरण उसने बताया है, वे सभी खाते नियमानुसार ही उसके बैंक द्वारा खोले गये हैं। उपरोक्त सभी खातों में जो भी लेनदेन हुआ है, वह नियमों के अनुसार हुआ है। कोई भी व्यक्ति उनके बैंक में कभी भी खाता खोल सकता है और कभी भी खोले गये खातों को बंद कर सकता है। उनके बैंक में खोले गये उपरोक्त वर्णित सभी खातों में या अन्य किसी खाते में राशि का लेनदेन किये जाने के संबंध में कोई रोक नहीं होती है। खाताधारक कितनी भी राशि का लेनदेन अपने खाते में कर सकता है और कोई भी व्यक्ति बैंक में एक से अधिक खाते खोल सकता है।

116. रामकुमार सिंह (अ.सा.6) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 25 में यह भी स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र.पी. 18 एवं प्र.पी. 19 के अनुसार रजनीश तिवारी के उनके बैंक में जो खाते खोले गये थे, वह रजनीश तिवारी के बैंक में उपस्थित होकर कार्यवाही करने पर नियमानुसार खोले गये थे। उसके द्वारा प्र.पी. 62 के द्वारा रजनीश तिवारी से संबंधित जिन बैंक खातों की जानकारी दी गई है, वे सभी खाते रजनीश तिवारी द्वारा खोले गये थे और उसी के द्वारा उन्हें संचालित किया गया था। बैंक द्वारा खोले गये खातों से संबंधित चैक बुक खाताधारक को या अन्य किसी व्यक्ति को स्वयं उपस्थित होने पर नहीं दी जाती है, बल्कि बैंक के नियमानुसार खाताधारक द्वारा चैक बुक/ए. टी.एम. कार्ड की मांग किये जाने पर चैक बुक खाताधारक के रजिस्टर्ड पते पर

डाक द्वारा भेजी जाती है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 46 में स्पष्ट किया है कि प्र.पी. 5बी के दस्तावेज के साथ लगे पैन कार्ड, एकाउंट स्टेटमेंट, स्थापना पंजीयन के दस्तावेज लगे हैं, जो नियमानुसार दर्शित होता हैं।

117. एच.डी.एफ.सी. बैंक कटनी के ब्रांच मैनेजर के पद पर पदस्थ **दीपक तिवारी (अ.सा.18)** ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 में यह स्वीकार किया है कि प्र.पी. 7 के आर्टिकल ए से ए एवं प्र.पी. 9 के आर्टिल प्र.पी. 53 के जो भी बैंक खाते खोले गये हैं, वे सभी खाते विधिवत खाताधारक के नाम से मूल दस्तावेजों को देखने के बाद सत्यापित करने के उपरांत नियमानुसार बैंक के कर्मचारियों के द्वारा खोले गये थे और जिस व्यक्ति के नाम का खाता खोला गया है, वह उसके स्वयं बैंक पर उपस्थित होने पर हस्ताक्षर करने के उपरांत सत्यापन पश्चात खोले गये हैं। यूनियन बैंक कटनी में उप शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ **सत्यप्रकाश जाटव (अ.सा.22)** ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 5 में यह स्वीकार किया है कि रजनीश तिवारी के नाम से जप्ती पत्रक प्र.पी. 11 के आर्टिकल ए एवं प्र.पी. 12 के आर्टिकल ए के दोनों खाते बैंक के नियमानुसार विधिवत खोले गये थे। बैंक खाता खोलने के संबंध में जो भी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, वह सभी दस्तावेज इन बैंक खातों के साथ संलग्न हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6 में भी यह स्वीकार किया है कि उपरोक्त दोनों बैंक खाते रजनीश तिवारी के द्वारा स्वयं बैंक में आकर संपूर्ण खानापूर्ति के उपरांत खोले गये हैं। इस प्रकार साक्षीगण ने बैंकों में फर्जी खाते खोलने के संबध साक्ष्य नही दी है।

118. सुनील कुमार (अ.सा.28) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 14 में यह स्वीकार किया है कि उनके बैंक में एस.के. मिनरल्स का जो खाता नंबर 272 खोला गया था, वह नियमानुसार खोला गया था और मौके पर जाकर उक्त फर्म का वेरीफिकेशन भी किया था। उक्त साक्षी ने कंडिका 15 में यह स्वीकार किया है कि प्र.पी. 3 के जप्ती पत्रक के अनुसार एस.के. मिनरल्स के नाम के जितने भी चैक उसके द्वारा जप्त कराये गये हैं, उन सभी चैक में खाताधारक के हस्ताक्षर बैंक में उपलब्ध उसके नमूना हस्ताक्षर से विधिवत मिलान करने एवं खाताधारक की पहचान करने के उपरांत राशि का नियमानुसार भुगतान किया गया है। उक्त जप्तीपत्रक प्र.पी. 3 में जितने भी एस. के. मिनरल्स के नाम की जमा पर्चियां उपलब्ध हैं, वह सभी राशि एस.के. मिनरल्स के उनके बैंक के उक्त खाते में नियमानुसार विधिवत लेनदेन हुआ है। किसी भी प्रकार की अनियमितत्ता नहीं की गई है और न ही किसी प्रकार की कोई विसंगति पाई गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा कटनी के चीफ मैनेजर **कपिल कुमार (अ.सा.49)** ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 7 में यह स्वीकार किया है कि प्र.पी. 14ए एवं प्र.पी. 14 बी से संबंधित मूल दस्तावेज उनके बैंक से संबंधित

हैं। उक्त बैंक खाता नियमानुसार उनकी बैंक में संचालित था। उक्त बैंक खाता नियमानुसार बैंक के नियम के मुताबिक खोला गया था।

119. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा कटनी के प्रबंधक **गोविंद प्रसाद डेहरिया (अ.सा.50)** ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 19 में यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपने मुख्य परीक्षण में आंध्रा बैंक के जिन खातों का विवरण बतलाया है, उक्त सभी खाते नियमानुसार खोले गये हैं और उन सभी खातों में नियमानुसार ही लेनदेन किया गया होगा। एच.डी.एफ.सी. बैंक कटनी के ब्रांच मैनेजर **अभिजीत तिवारी (अ.सा.51)** ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8 में यह स्वीकार किया है कि उपरोक्त वर्णित जिन बैंक खातों के विषय में उसके द्वारा बतलाया गया है, वह सभी बैंक खाते उसके द्वारा नहीं खोले गये हैं और न ही उसके कार्यकाल में खुले हैं। उपरोक्त सभी बैंक खाते, बैंक के तत्कालीन पदस्थ कर्मचारी द्वारा आर.बी.आई. के के.वाई.सी. नार्म्स के मुताबिक नियमानुसार खोले गये हैं। स्वतः कहा है कि खाता खोलने के फार्म के साथ के.वाई.सी. संबंधी दस्तावेज भी संलग्न है।

120. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 202 एंव 203 में यह स्वीकार किया है कि **प्र.पी. 7** के जप्ती पत्रक में उल्लेखित दस्तावेजों में जप्ती कराने वाले बैंक के अधिकारी दीपक तिवारी ने उक्त दस्तावेजों के संबंध में फर्जी व कूटरचित होने की कोई शिकायत नहीं की थी और न ही उन्हें कूटरचित होना बताया था। उक्त विवेचक ने यह भी स्वीकार किया है कि **प्र.पी. 8** के जप्ती पत्रक में उल्लेखित दस्तावेजों में जप्ती कराने वाले बैंक के अधिकारी अरविंद कुमार ने उक्त दस्तावेजों के संबंध में फर्जी व कूटरचित होने की कोई शिकायत नहीं की थी और न ही उन्हें कूटरचित होना बताया था। उक्त विवेचक ने यह भी स्वीकार किया है कि **प्र.पी. 9** के जप्ती पत्रक में उल्लेखित दस्तावेजों में जप्ती कराने वाले बैंक के अधिकारी दीपक तिवारी ने उक्त दस्तावेजों के संबंध में फर्जी व कूटरचित होने की कोई शिकायत नहीं की थी और न ही उन्हें कूटरचित होना बताया था।

121. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 204 एंव 205 में यह स्पष्ट कर दिया है कि **प्र.पी. 13** के जप्ती पत्रक में उल्लेखित दस्तावेजों में जप्ती कराने वाले बैंक के अधिकारी के. मोहन बाबू ने उक्त दस्तावेजों के संबंध में फर्जी व कूटरचित होने की कोई शिकायत नहीं की थी और न ही उन्हें कूटरचित होना बताया था। उक्त विवेचक ने यह भी स्वीकार किया है कि **प्र.पी. 14** के जप्ती पत्रक में उल्लेखित दस्तावेजों में जप्ती कराने वाले बैंक के अधिकारी अरविंद कुमार ने उक्त दस्तावेजों के संबंध में फर्जी व कूटरचित होने की कोई शिकायत नहीं की थी और न ही उन्हें कूटरचित होना बताया था। उक्त विवेचक ने यह भी स्वीकार किया है कि **प्र.पी.**

03 के जप्ती पत्रक में उल्लेखित दस्तावेजों में जप्ती कराने वाले यूको बैंक के अधिकारी सुनील कुमार ने उक्त दस्तावेजों के संबंध में फर्जी व कूटरचित होने की कोई शिकायत नहीं की थी और न ही उन्हें कूटरचित होना बताया था। विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह भी स्वीकार किया है कि **प्र.पी. 05, 10, 18, 19 व 27** के जप्ती पत्रक में उल्लेखित दस्तावेजों में जप्ती कराने वाले एक्सिस बैंक के अधिकारी रामकुमार ने उक्त दस्तावेजों के संबंध में फर्जी व कूटरचित होने की कोई शिकायत नहीं की थी और न ही उन्हें कूटरचित होना बताया था।

122. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 216 एंव 219 में यह स्वीकार किया है कि **विवेचना के दौरान या उसके पूर्व किसी भी बैंक ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की है कि** अभियुक्तगण द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी फर्म शिव आराधना इंटरप्राईजेस, प्रभु वंदना इंटरप्राईजेस, बाहुबली ट्रेडिंग कंपनी, मेंसर्स व्यापार ट्रेडिंग, यूनिक ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स लक्ष्मी इंटरप्राईजेस, मेसर्स हरिओम इंटरप्राईजेस, मेसर्स अंकुर इंटरप्राईजेस, मेसर्स आदिनाथ सर्विसेस, रामा इंटरप्राईसेस, एस.के. मिनरल्स, शुभम ट्रेडिंग कंपनी, श्री मिनरल्स, मेसर्स श्वेता इंटरप्राईजेस, मां शारदा इंटरप्राईजेस, राधा स्वामी इंटरप्राईजेस आदि का गठन किया गया हो। आंध्रा बैंक कटनी, एच.डी.एफ.सी. बैंक, बैंक ऑफ बडौदा, एक्सिस बैंक की ओर से भी या उसके किसी अधिकारी द्वारा ऐसी कोई शिकायत नहीं की है कि अभियुक्तगण द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी फर्म शिव आराधना इंटरप्राईजेस, प्रभु वंदना इंटरप्राईजेस, बाहुबली ट्रेडिंग कंपनी, मेंसर्स व्यपार ट्रेडिंग, यूनिक ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स लक्ष्मी इंटरप्राईजेस, मेसर्स हरिओम इंटरप्राईजेस, मेसर्स अंकुर इंटरप्राईजेस, मेसर्स आदिनाथ सर्विसेस, रामा इंटरप्राईजेस, एस.के. मिनरल्स, शुभम ट्रेडिंग कंपनी, श्री मिनरल्स, मेसर्स श्वेता इंटरप्राईजेस, मां शारदा इंटरप्राईजेस, राधास्वामी इंटरप्राईजेस आदि का गठन किया गया हो।

123. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 220 में यह स्वीकार किया है कि **बैंक, द्वारा ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई है कि उपरोक्त अपराध से संबंधित कंपनी द्वारा उनके साथ कोई छल किया गया।** उक्त विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 221 एंव 214 में यह भी स्वीकार किया है कि **किसी भी बैंक द्वारा इस बात की भी शिकायत नहीं की गई थी कि जिन चैकों को प्रकरण में जप्त किया गया है या जिनके संबंध में बैंक स्टेटमेंट या अन्य दस्तावेज हैं, वह कूटरचित चैक हैं या उन चैकों के द्वारा छल किया गया है या उन चैकों का ट्रांजेक्सन कूटरचित है।** विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह भी स्वीकार किया है

कि इस प्रकरण में जो भी बैंकों के स्टेटमेंट जप्त किये गये हैं, उनके संबंध में किसी भी बैंक द्वारा कूटरचित नहीं बताया है। एक्सिस बैंक द्वारा दी गई जानकारी एवं स्टेटमेंट प्र.पी. 64, लगायत प्र.पी. 67 में अभियुक्तगण के नाम का उल्लेख नहीं है। एक्सिस बैंक द्वारा उपरोक्त स्टेटमेंट को फर्जी व कूटरचित होना भी नहीं बताया है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से उपरोक्त तथ्य भी प्रमाणित नहीं है।

अभियुक्तगण के विरूध आरोप पत्र में उल्लेखित फर्मों से संबधित श्रम विभाग के कूटरचित प्रमाण पत्र अथवा शिकायत एंव कार्यवाही के संबंध में विश्लेषणः—

124. अब यदि आरोप पत्र में उल्लेखित फर्मों के श्रम विभाग द्वारा जारी कूटरचित प्रमाण पत्रों के संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार किया जाये तो अभियोजन ने अजय सिंह (अ.सा.1), श्रम विभाग के वरिष्ठ श्रेणी लिपिक अवतार सिंह दाहिया (अ.सा.17) एवं सहायक श्रम अधिकारी मनोज कुमार मिश्रा (अ.सा.35) की साक्ष्य अभिलिखित कराई है, परंतु **श्रम विभाग के अधिकारी मनोज कुमार मिश्रा (अ.सा.35)** ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8 में यह स्वीकार किया है कि **प्र.पी. 4 के आर्टिकल ए से एफ तक के विभाग में दर्ज सभी रजिस्ट्रेशन नियमानुसार ही जारी किये गये हैं**। उक्त साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुलिस ने उसके विभाग से उपरोक्त फर्म से संबंधित अन्य दस्तावेज नहीं मंगाये थे, इसलिये उसने उपरोक्त फर्म से संबंधित अन्य कोई दस्तावेज नहीं दिये थे।

125. जप्तीकर्ता अजय सिंह (अ.सा.1) द्वारा श्री एम.के. मिश्रा अ.सा.35 के प्रस्तुत करने पर श्रम कार्यालय कटनी में दिनांक 06.02.2017 के 16.05 बजे साक्षी अवतार सिंह (अ.सा.17) एवं प्रदीप गुप्ता (अ.सा.23) के समक्ष फर्मों से संबंधित दस्तावेज जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया है परंतु **अवतार सिंह दाहिया (अ.सा.17)** ने अपने मुख्यपरीक्षण में ही अभियोजन का समर्थन नहीं किया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस के द्वारा उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सुझाव दिये जाने पर उक्त साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि दिनांक 06.02.2017 को पुलिस ने सियाराम मिनरल्स, लक्ष्मी इंटरप्राईजेस, व्यापार ट्रेडिंग कंपनी, बाहुबली इंटरप्राईजेस, शिव आराधना इंटरप्राईजेस, हरिओम इंटरप्राईजेस से संबंधित दस्तावेज एम.के. मिश्रा सहायक श्रम पदाधिकारी से जप्त कर जप्तीपत्रक प्र.पी. 4 तैयार किया था। उक्त साक्षी ने इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि पुलिस के द्वारा उपरोक्त सभी दस्तावेज उसके सामने जप्त किये गये थे और प्र.पी. 4 के दस्तावेज की लिखापढ़ी के उपरांत उसने ब से ब भाग पर हस्ताक्षर किया था।

126. अभियोजन की ओर से श्रम विभाग में ही कार्यरत **प्रदीप कुमार गुप्ता (अ.सा.23)** की भी साक्ष्य कराई है, परंतु उक्त साक्षी ने भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया है और लोक अभियोजक द्वारा दिये गये सुझावों से इंकार किया है कि सियाराम मिनरल्स मालिक सुरेन्द्र शर्मा रजिस्ट्रेशन नंबर 4889 दिनांक24.02.2009, लक्ष्मी इंटरप्राईजेस मालिक नरेश बर्मन रजिस्ट्रेशन नंबर 12264 दिनांक 10.09.2008 एवं राशन कार्ड की फोटोप्रति, व्यापार ट्रेडिंग कंपनी मालिक नरेश बर्मन रजिस्ट्रेशन नंबर 12533 दिनांक 09.03.2009 एवं राशन कार्ड की प्रति, बाहुबली ट्रेडिंग कंपनी मालिक दस्सू पटेल रजिस्ट्रेशन नंबर 12262 दिनांक 10.09.2008 एवं राशन कार्ड की छायाप्रति, शिव आराधना मालिक संदीप बर्मन रजिस्ट्रेशन नंबर 12532 दिनांक 09.03.2009 एवं राशन कार्ड, हरिओम इंटरप्राईजेस मालिक नरेश बर्मन रजिस्ट्रेशन नंबर 12263 दिनांक 10.09.2008 राशन कार्ड की छायाप्रति पुलिस को दी गई थी। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि एम.के. मिश्रा सहायक श्रम पदाधिकारी के द्वारा 6 फर्मों के मूल रजिस्ट्रेशन फार्म आर्टिकल ए लगायत एफ पुलिस को दिये थे, जिसे पुलिस ने जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 4 तैयार किया था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 7 में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि एम.के. मिश्रा उसके उच्च अधिकारी थे और उनके कहने पर प्र.पी. 4 पर हस्ताक्षर कर दिये थे। प्र.पी. 4 में क्या लिखा था उसे बताया नहीं गया था।

127. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 181, 182 एंव 183 में यह भी स्वीकार किया है कि उक्त दस्तावेजों के अवलोकन अनुसार, जो भी फर्म के रजिस्ट्रेशन जप्त किये गये थे, उनमें दर्ज स्वामियों के नाम पर रजिस्टर्ड थी। उक्त विवेचक ने यह भी स्वीकार किया है कि जप्तीपत्रक प्रपी 4 के अनुसार जप्तशुदा सियाराम मिनरल्स, जो सुरेन्द्र शर्मा के नाम पर दर्ज थी, उस व्यक्ति से उसने पूंछतांछ नहीं की और न ही उसका कथन लेखबद्ध किया था। उसके द्वारा मनोज कुमार मिश्रा से इस संबंध में भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं की गई थी कि जिन कंपनियों के रजिस्ट्रेशन जप्त किये गये हैं, वे सही हैं या नहीं, या किसके द्वारा रजिस्ट्रेशन जारी किया गया है। उक्त रजिस्ट्रेशन में फर्म के पते लेख किये गये हैं। उसके द्वारा वहाँ पर जाकर जांच की गई थी, उस स्थल का पंचनामा नही बनाया गया था। आसपास के किसी व्यक्तियों के भी बयान नहीं लिये थे।

128. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 217 में यह भी स्वीकार किया है कि विवेचना के दौरान या उसके पूर्व **फर्म या कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा** या उसके किसी अधिकारी द्वारा ऐसी कोई शिकायत नहीं की है कि जिसमें यह उल्लेख हो कि अभियुक्तगण द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी फर्म शिव आराधना इंटरप्राईजेस, प्रभु

वंदना इंटरप्राईजेस, बाहुबली ट्रेडिंग कंपनी, मेंसर्स व्यपार ट्रेडिंग, यूनिक ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स लक्ष्मी इंटरप्राईजेस,मेसर्स हरिओम इंटरप्राईजेस, मेसर्स अंकुर इंटरप्राईजेस, मेसर्स आदिनाथ सर्विसेस, रामा इंटरप्राईजेस, एस.के. मिनरल्स, शुभम ट्रेडिंग कंपनी, श्री मिनरल्स, मेसर्स श्वेता इंटरप्राईजेस, मां शारदा इंटरप्राईजेस, राधास्वामी इंटरप्राईजेस आदि का गठन किया गया हो। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 220 में यह भी स्वीकार किया है कि फर्म रजिस्ट्रार विभाग द्वारा ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई है कि उपरोक्त अपराध से संबंधित कंपनी द्वारा उनके साथ कोई छल किया गया।

अभियुक्तगण के विरूध आरोप पत्र में उल्लेखित फर्मों से संबधित वाणिज्य विभाग के कूटरचित प्रमाण पत्र अथवा शिकायत एंव कार्यवाही के संबंध में विश्लेषणः–

129. अब यदि आरोप पत्र में उल्लेखित फर्मो के संबध में वाणिज्य विभाग से संबधित साक्ष्य पर विचार किया जाये तो अभियोजन द्वारा प्रस्तुत **वाणिज्य विभाग की अधिकारी चन्द्राकुमारी सिंह (अ.सा.41)** ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 7 में यह स्वीकार किया है कि वाणिज्य कर विभाग में सेंट्रल सेल टैक्स एवं स्टेट सेल टैक्स एवं प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत फर्मों का रजिस्ट्रेशन होता है। अधिनियम के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने व्यवसाय से संबंधित फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने के लिये विधिवत आवेदन करता है एवं चाहे गये सभी दस्तावेज प्रस्तुत करता है, तो उनके भौतिक सत्यापन के पश्चात सही पाये जाने पर विभाग द्वारा पंजीयन जारी कर दिया जाता है। यह भी स्वीकार किया है कि उनके विभाग में पंजीकृत फर्म यदि अपना पंजीयन निरस्त कराने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, तो विभाग द्वारा जांच किये जाने पर कि उसके विरूद्ध विभाग का कोई कर बकाया नहीं है तथा व्यवसाय बंद कर दिया जाता है, तो विभाग द्वारा उस फर्म का पंजीयन जांच उपरांत बंद कर दिया जाता है।

130. **चन्द्राकुमारी सिंह (अ.सा.41)** ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8 में भी यह स्वीकार किया है कि प्र.पी. 41 और प्र.पी. 42 की जानकारी उसके द्वारा थाना कोतवाली को नहीं दी गई थी। प्र.पी. 41 और प्र.पी. 42 के अ से अ भाग पर उसने तत्कालीन वाणिज्य कर अधिकारी के हस्ताक्षर होना बताया है, उसने उनके साथ कार्य नहीं किया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 9 में भी यह स्वीकार किया है कि प्र.पी. 41 और प्र.पी. 42 पर अ से अ भाग पर बी.के. मिश्रा के हस्ताक्षर के नीचे उनका नाम नहीं लिखा है। प्र.पी. 41 में ब से ब स्थान पर यह उल्लेख है कि संभागीय उपायुक्त के निर्देश के पालन में बी.के. अग्रवाल सहायक वाणिज्य कर अधिकारी के साथ थाना कोतवाली में उपस्थित होकर रिपोर्ट तैयार की थी। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 में यह स्वीकार किया है कि जिन फर्मों की जानकारी चाही गई थी, वह क्या–क्या

व्यवसाय करती थी, कितनी आमदनी करती थी, वह नहीं बता सकती। उसे जानकारी नहीं है कि जो फर्में उनके विभाग में पंजीयन नहीं थी उनके संबंध में उनके विभाग ने कोई कार्यवाही की थी या नहीं। उसे जानकारी नहीं है कि बी. के मिश्रा के द्वारा धारा 65 बी भा.सा.वि. के तहत कोई प्रमाण पत्र प्र.पी. 41, प्र. पी. 42 एवं प्र.पी. 99 के संबंध में दिया गया था या नहीं और राजेन्द्र मर्सकोले के द्वारा धारा 65बी भा.सा.वि. के तहत कोई प्रमाण पत्र प्र.पी. 98 के संबंध में दिया गया था या नहीं।

131. प्रकरण के विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने भी प्रतिपरीक्षण की कंडिका 209 में इस बात की पुष्टी की है कि **जो वाणिज्य विभाग के दस्तावेज जप्त किये गये है वह भी फर्जी या कूटरचित नहीं पाये गये है**। उक्त साक्षी ने भी प्रतिपरीक्षण की कंडिका 218 में यह भी स्वीकार किया है कि विवेचना के दौरान या उसके पूर्व वाणिज्य विभाग द्वारा या उसके किसी अधिकारी द्वारा ऐसी कोई शिकायत नहीं की है कि जिसमें यह उल्लेख हो कि अभियुक्तगण द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी फर्म शिव आराधना इंटरप्राईजेस, प्रभु वंदना इंटरप्राईजेस, बाहुबली ट्रेडिंग कंपनी, मेंसर्स व्यपार ट्रेडिंग, यूनिक ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स लक्ष्मी इंटरप्राईजेस, मेसर्स हरिओम इंटरप्राईजेस, मेसर्स अंकुर इंटरप्राईजेस, मेसर्स आदिनाथ सर्विसेस, रामा इंटरप्राईजेस, एस.के. मिनरल्स, शुभम ट्रेडिंग कंपनी, श्री मिनरल्स, मेसर्स श्वेता इंटरप्राईजेस, मां शारदा इंटरप्राईजेस, राधा स्वामी इंटरप्राईजेस आदि का गठन किया गया हो। उक्त साक्षी ने अपने ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 220 में पुनः इस बात को दोहराया है कि **वाणिज्य विभाग द्वारा ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई है कि उपरोक्त अपराध से संबंधित कंपनी द्वारा उनके साथ कोई छल किया गया**।

<u>अभियुक्तगण के विरूध आरोप पत्र में उल्लेखित फर्मों से संबधित आयकर विभाग के कूटरचित पेनकार्ड अथवा शिकायत एंव कार्यवाही के संबंध में विश्लेषणः—</u>

132. अब यदि आरोप पत्र में उल्लेखित फर्मो के संव्यवहार के संबध में आयकर विभाग से संबधित साक्ष्य पर विचार किया जाये तो अभियोजन द्वारा प्रस्तुत **आयकर अधिकारी अनिल कुमार तिवारी (अ.सा.47)** ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्र.पी.116 का नोटिस सहायक आयकर निदेशक (इन्वेस्टीगेशन) जबलपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर जारी किया गया था। उसके द्वारा स्वयं उक्त संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच कार्यवाही नहीं की गई थी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 11 में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा मनीष सरावगी, नरेश पोद्दार एवं नरेश बर्मन के यहां की गई सर्च कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया था और न ही इससे संबंधित कोई दस्तावेज उसके पास उपलब्ध है। उक्त साक्षी ने

प्रतिपरीक्षण की कंडिका 12 में यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा मनीष सरावगी, नरेश पोद्दार एवं नरेश बर्मन के यहां की गई सर्च कार्यवाही की बात सहायक आयकर निदेशक (इन्वेस्टीगेशन) जबलपुर से प्राप्त सूचना दिनांक 28. 03.2016 के आधार पर बताई गई है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 13 में यह भी स्वीकार किया है कि प्र.पी. 116 का पत्र मूल पत्र नहीं है। फोटोकॉपी प्र.पी. 116 के रूप में चिन्हित किया गया है। प्र.पी. 116 के प्राप्त पत्र में वर्णित मनीष सरावगी, नरेश पोद्दार एवं नरेश बर्मन के संबंध में क्या कार्यवाही हुई, वह नहीं बता सकता है। चूंकि कार्यवाही जबलपुर विंग के द्वारा की गई है।

133. अनिल कुमार तिवारी (अ.सा.47) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 13 में यह भी स्वीकार किया है कि प्र.पी. 118 का जो नोटिस उसके द्वारा रजनीश तिवारी को जारी किया गया था, उसके संबंध में उसके द्वारा रजनीश तिवारी के कथन लेखबद्ध नहीं किये गये हैं न ही उससे कोई दस्तावेज जप्त किये गये हैं। अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 15 में भी उक्त साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने खाते में नगद राशि जमा करता है और उसका स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो उसके विरूद्ध आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपराध बनता है और उक्त प्रावधानों के मुताबिक उसके विरूद्ध जमा की गई अस्पष्टीकृत राशि का टैक्स तथा पेनाल्टी वसूली योग्य होती है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 16 में यह भी स्वीकार किया है कि प्र.पी. 120 का एसेसमेंट आर्डर तथा प्र.पी. 121 पेनाल्टी का आर्डर उसके द्वारा नहीं किया गया है। श्री अनिल जार के द्वारा की गई है। प्र.पी. 120 व प्र.पी. 121 की कार्यवाही उसके समक्ष नहीं हुई थी, वह नहीं बता सकता कि श्री अनिल जार के द्वारा उपरोक्त कार्यवाही किस आधार पर की गई है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 17 में यह भी स्वकार किया है कि श्री अनिल जार के साथ उसने कभी भी एक साथ कार्य नहीं किया है और न ही उसकी पूर्व में व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी।

134. आयकर अधिकारी **डी.के. सिंह (अ.सा.48)** ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 12 में इस बात को स्वीकार किया है कि प्र.पी. 116 का पत्र मूल नहीं है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्र.पी. 116 से प्राप्त पत्र में वर्णित मनीष सरावगी, नरेश पोद्दार एवं नरेश बर्मन के संबंध में क्या कार्यवाही हुई वह नहीं बता सकता। चूंकि कार्यवाही जबलपुर विंग के द्वारा की गई है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्र.पी. 118 का जो नोटिस उसके. द्वारा संजय तिवारी को जारी किया गया था उसके संबंध में उसके द्वारा संजय तिवारी के कथन लेखबद्ध नहीं किये गये न ही उससे कोई दस्तावेज जप्त किया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 14 में यह भी स्वीकार किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने खाते में नगद राशि जमा करता है तथा

उसका स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो उसके विरूद्ध केवल आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपराध बनता है और उक्त प्रावधानों के मुताबिक उसके विरूद्ध जमा की हुई अस्पष्टीकृत राशि का टैक्स तथा पेनाल्टी वसूली योग्य होती है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 16 में यह भी स्वीकार किया है कि उसने मुख्यपरीक्षण में बताई गई बात कि प्र.पी. 116 की सूचना के अनुसार मनीष सरावगी, नरेश पोद्दार एवं नरेश बर्मन तथा उनके सहयोगियों के द्वारा एकमोडेशन रैकेट चलाये जाने व नगद संव्यवहार किये जाने की बात जबलपुर विंग द्वारा भेजी गई प्र.पी. 116 की सूचना में लिखे होने के आधार पर बताई है, इस संबंध में स्वयं उसने कोई जांच या कार्यवाही नहीं किया है। उसे जानकारी नहीं है कि उक्त प्र.पी.116 के संबंध में जबलपुर विंग के द्वारा क्या कार्यवाही की गई थी।

135. आयकर अधिकारी **आशीष चटर्जी (अ.सा.53)** ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि रजनीश तिवारी को नोटिस जारी किये जाने की कार्यवाही के समय वह कटनी जिले में पदस्थ नहीं था, इसलिये उक्त संबंध में उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। यह भी स्वीकार किया है कि रजनीश तिवारी को नोटिस जारी किये जाने के संबंध में किस आधार पर कार्यवाही की गई थी, इसके संबंध में उस समय पदस्थ अधिकारी ही बता सकते हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6 में यह भी स्पष्ट किया है कि पुलिस ने उससे पत्र की जानकारी के साथ कोई दस्तावेज नहीं मांगे थे, इसलिये उसने केवल जानकारी दी थी, कोई दस्तावेज नहीं दिये थे। विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 209 में इस बात की पुष्टी की है कि जो आयकर विभाग के दस्तावेज जप्त किये गये हैं वह भी फर्जी या कूटरचित नहीं पाये गये हैं। उक्त विवेचक ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 220 में पुनः इस बात को दोहराया है कि आयकर विभाग द्वारा ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई है कि उपरोक्त अपराध से संबंधित कंपनी द्वारा उनके साथ कोई छल किया गया।

136. प्रकरण के विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 167 में यह स्वीकार किया है कि उसने सेल टैक्स के पी.एन. तिवारी और आर.के. तिवारी से इस प्रकरण के संबंध में कोई पूछतांछ नही की और न ही उनके कथन दर्ज किये। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 194 में यह भी स्वीकार किया है कि जप्ती पत्र प्रदर्श पी–20 से संबंधित दस्तावेजों में उल्लेखित इन्कम टैक्स ऑफिसर डी.एस. राजपूत, एस.एस. मूर्ति एवं मानस चौधरी से उसके द्वारा कोई पूंछतांछ नहीं की गई और ना ही उनके कोई कथन लेखबद्ध किये। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 209 में यह भी स्वीकार किया है कि रजनीश तिवारी के पेन कार्ड के फर्जी तौर से तैयार किये जाने संबंधित आयकर विभाग का कोई प्रमाण पत्र अथवा आयकर

अधिकारी द्वारा दिये गये कथन प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है। पेन कार्ड के फर्जी होने या नहीं होने के संबंध में आयकर विभाग द्वारा ही प्रमाण पत्र या शिकायत की जा सकती है।

137. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 218 में यह भी स्वीकार किया है कि विवेचना के दौरान या उसके पूर्व आयकर विभाग द्वारा या उसके किसी अधिकारी द्वारा ऐसी कोई शिकायत नहीं की है कि जिसमें यह उल्लेख हो कि अभियुक्तगण द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी फर्म शिव आराधना इंटरप्राईजेस, प्रभु वंदना इंटरप्राईजेस, बाहुबली ट्रेडिंग कंपनी, मेंसर्स व्यपार ट्रेडिंग, यूनिक ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स लक्ष्मी इंटरप्राईजेस, मेसर्स हरिओम इंटरप्राईजेस, मेसर्स अंकुर इंटरप्राईजेस, मेसर्स आदिनाथ सर्विसेस, रामा इंटरप्राईसेस, एस.के. मिनरल्स, शुभम ट्रेडिंग कंपनी, श्री मिनरल्स, मेसर्स श्वेता इंटरप्राईजेस, मां शारदा इंटरप्राईजेस, राधा स्वामी इंटरप्राईजेस आदि का गठन किया गया हो। जबकि प्रकरण के पश्चातवर्ती विवेचक निरीक्षक शैलेष मिश्रा (अ.सा.44) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 7 में यह स्वीकार किया है कि अंतिम प्रतिवेदन में लेख की गई यह बात की अभियुक्तगण द्वारा फर्जी फर्म खोलकर लेनदेन किये जाने की जो बता उसने बताई है, वह पूर्व के विवेचना अधिकारी के द्वारा की गई विवेचना के आधार पर बताई है। उक्त शैलेष मिश्रा (अ.सा.44) ने यह भी स्वीकार किया है कि उसंने अपने मुख्यपरीक्षण में जो विवेचना और कार्यवाही बताई है उसके अतिरिक्त उसने प्रकरण में अन्य कोई विवेचना और कार्यवाही नहीं की है।

प्रथम सूचना रिर्पोट के विलंब से पंजीबद्ध किये जाने के संबंध में विश्लेषणः—

138. अभियुक्तगण की ओर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 92 के विलंब से पंजीबद्ध किये जाने पर भी आपत्ति की है। उक्त संबध में प्रकरण का अवलोकन किये जाने पर दर्शित होता है कि प्रकरण के मुख्य विवेचक अभियोजन साक्षी **एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2)** ने अपनी साक्ष्य में व्यक्त किया है कि आवेदक रजनीश कुमार तिवारी द्वारा पुलिस अधीक्षक कटनी के समक्ष एक शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। आवेदन पत्र के साथ आयकर विभाग के नोटिस दिनांक 30.03.2016 की फोटोकॉपी भी संलग्न की गई थी। आवेदन पत्र पर थाना कोतवाली कटनी में अपराध कमांक 738/2016 धारा 420, 467, 468, 471 भा.द.वि. के तहत सहायक उपनिरीक्षक दिनेश कुरोसिया के द्वारा दिनांक 12.10.2016 को मामला कायम किया गया था।

139. प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करने वाले अभियोजन साक्षी दिनेश कूरोसिया (अ.सा.33) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 5 में यह स्वीकार किया है कि प्र.पी. 51 के आवेदन पत्र पर आवेदक रजनीश तिवारी के द्वारा कोई तारीख

अंकित नहीं की गई है कि उक्त आवेदन किस तारीख को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिया गया था या उक्त आवेदन किस तारीख को लेख किया गया था। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6 में यह स्वीकार किया है कि **दिनांक 04.04.2016 को आवेदन पत्र थाना कोतवाली में उसे प्राप्त होने के पश्चात तीन माह से अधिक दिनांक 12.07.2016 को उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 92 लेख की गई थी**। इस दौरान उसके द्वारा कोई भी जांच नहीं की गई थी। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 में पुनः इसी को दोहराया है कि शिकायत प्र.पी. 51 प्राप्त होने के करीब तीन माह पश्चात उसके द्वारा प्र.पी. 92 की एफ.आई.आर. लेख की गई थी। **एफ.आई.आर. प्र.पी. 92 में क्रमांक 8 पर एफ.आई.आर. लिखने के विलंब के कारण में कुछ भी लेख नहीं किया है**। उसने वरिष्ठ अधिकारियों के कहने पर बिना किसी आधार के प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 92 लेख कर ली थी।

140. फरियादी रजनीश कुमार तिवारी (अ.सा.1) ने इंकम टैक्स विभाग द्वारा जारी नोटिस से व्यथित होकर शिकायत प्र.पी. 51 की शिकायत प्रस्तुत की है, परंतु उक्त नोटिस दिनांक 30.03.2016 का है और प्र.पी. 51 की शिकायत दिनांक **04.04.2016** की है। विवेचक 02 एस.पी. सिंह बघेल (अ.सा.2) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 133 में यह स्वीकार किया है कि रजनीश तिवारी का आवेदन पत्र, कार्यालय पुलिस अधीक्षक कटनी के पत्र के माध्यम से शिकायत क्रमांक 129/16 दिनांक 04.04.2016. थाना कोतवाली कटनी में दिनांक 05.04.2016 को प्राप्त हुआ था। उसके द्वारा उक्त आवेदन की जांच नहीं की गई थी।

141. अभियोजन की ओर से रजनीश कुमार तिवारी (अ.सा.1) द्वारा उक्त देरी के संबंध में कोई सारवान स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है अपितु अभियोजन के विपरित कथन किया है। इसी प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करने वाले अभियोजन साक्षी दिनेश कूरोसिया (अ.सा.33) ने भी **तीन माह की देरी** के पश्चात प्रथम सूचना रिर्पोट पंजीबद्ध होने के संबध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसी प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट करने में हुआ विलम्ब भी संदेह पैदा करता है। प्रकरण की स्थितिया ऐसी है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुए विलम्ब को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता जबकि इस विलम्ब के संबध में अभियोजन की ओर से कोई स्पष्टिकरण भी नहीं दिया गया है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निम्न न्यायिक दृष्टांत "Banshilal v. State of Madhya Pradesh" 1990 Supreme(MP) 706, "State of Madhya Pradesh v. Shaikh Mohammad" (D.B.) 1997 (II) M.P.W.N. 5 अवलोकनीय है, जिनमें यह निर्धारित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुए विलम्ब ऐसी परिस्थितियां अभियोजन के लिये घातक सिद्ध होती है और अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाती है।

<u>प्रकरण में की गयी विवेचना की विश्वसनीयता के संबंध में विश्लेषणः</u>—

142. अब यदि प्रकरण में की गई विवेचना के संबंध में विचार किया जाए **तो रजनीश तिवारी के साथ छल कारित करने के आशय से उसके विभिन्न दस्तावेज परिचय पत्र/फोटो/चालन अनुज्ञप्ति आदि रजनीश तिवारी से निक्की डेविड, एवं सुमेश महेश्वरी ने** प्राप्त किये परंतु प्रकरण में निक्की डेविड, एंव सुमेश महेश्वरी को अभियुक्त के रूप में संयोजित नहीं किया गया है। इसी प्रकार मेसर्स आदिनाथ सर्विसेस फर्म का मूल बैंक खाता (प्र.पी. 10/आर्टिकल—एच) है, जो कि राकेश यादव द्वारा खोला जाना बताया गया है। वीना ट्रेडिंग कंपनी फर्म के एक्सिस बैंक में खाता खोलने का फार्म (प्र.पी.27/आर्टिकल—ए) सुरेश कुमार प्रजापति द्वारा खोला जाना बताया गया है। सियाराम मिनरल्स फर्म (प्र.पी.27/आर्टिकल—डी) से संबंधित है, जो सुरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा खोला जाना बताया गया है। प्रजापति इंटरप्राईजेस फर्म (प्र.पी.27/आर्टिकल—ई) से संबंधित है, जो द्वारा खोला जाना बताया गया है। रमेश पटेल द्वारा खोला जाना बताया गया है। गणपति ट्रेडिंग कंपनी (प्र.पी.27/आर्टिकल—जी) से संबंधित है, जो राकेश कुमार पटेल द्वारा द्वारा खोला जाना बताया गया है और आर्टिकल—बी, रीता मिस्त्री से संबंधित एच.डी.एफ.सी. बैंक में खाता खोलने का फार्म आर्टिकल—सी, रीता मिस्त्री बैंक में खाता खोलने का फार्म आर्टिकल—डी, शिवांसी मिस्त्री से संबंधित एच.डी.एफ.सी. बैंक में खाता खोलने का फार्म आर्टिकल—ई, पूर्णिमा मिस्त्री से संबंधित एच.डी.एफ.सी. बैंक में खाता खोलने का फार्म जप्त किया है, को भी प्रकरण में अभियुक्त के रूप में संयोजित नहीं किया गया है और नाही उनसे कोई पूछताछ की गयी है। विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि जप्तीपत्रक प्रपी 4 के अनुसार जप्तशुदा सियाराम मिनरल्स, जो सुरेन्द्र शर्मा के नाम पर दर्ज थी, उस व्यक्ति से उसने पूंछतांछ नहीं की और न ही उसका कथन लेखबद्ध किया था। विवेचक ने उक्त दस्तावेजों की सभी अभियुक्तगण से संबंधता के संबध में कोई विवेचना नहीं की है और नाहीं उक्त दस्तावेजों के हस्ताक्षरों की पुष्टी हस्ताक्षर विशेषज्ञ से करायी है।

143. इसी प्रकार विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने वीना ट्रेडिंग कंपनी, खाता नंबर 317010200014304 शिव आराधना इंटरप्राईजेस, खाता नंबर 317010200013970 प्रभु वंदना इंटरप्राईजेस, खाता नंबर 317010 200013396 श्याम मिनरल्स, खाता नंबर 317010200013369 प्रजापति इंटरप्राईजेस, खाता नंबर 317010200011088 बाहुबली ट्रेडिंग कंपनी, खाता नंबर 3170 10200011741 गणपति ट्रेडिंग कंपनी, खाता नंबर 317010 200014298 व्यापार ट्रेडिंग कंपनी, खाता नंबर 317010 200014146 यूनिक ट्रेडिंग कंपनी, खाता नंबर 317010200011556 लक्ष्मी इंटरप्राईजेस, वीना ट्रेडिंग कंपनी के दस्तावेज(प्र. पी.27ए), क्रं.2 के अनुसार शिव आराधना के दस्तावेज (प्र.पी.27बी), प्रभु वंदना

इंटरप्राईजेज के दस्तावेज (प्र.पी.27सी), श्याम मिनरल्स के दस्तावेज (प्र.पी.27डी), प्रजापति इंटरप्राईजेस के दस्तावेज(प्र.पी.27ई), बाहुबली ट्रेडिंग कंपनी के दस्तावेज (प्र.पी.27एफ), गणपति ट्रेडिंग कंपनी के दस्तावेज (प्र.पी.27जी), व्यापार ट्रेडिंग कंपनी के दस्तावेज (प्र.पी.27एच), यूनिक ट्रेडिंग कंपनी के दस्तावेज (प्र. पी.27आई) एंव लक्ष्मी इंटरप्राईजेज के दस्तावेज (प्र.पी.27जे) एंव अभियुक्तगण के नाम के विभिन्न बैंकों के चैक, चैक बुक, बाउचर, जमा पर्चीयां, खाता बंद करने के आवेदन, खाता खोलने के समय के नमूना हस्ताक्षर फार्म, फोटो व हस्ताक्षर जप्त करने का कथन किया है परंतु विवेचक ने उक्त दस्तावेजों की सभी अभियुक्तगण से संबंधता के संबध में कोई विवेचना नहीं की है और नाहीं उक्त दस्तावेजों के हस्ताक्षरों की पुष्टी हस्ताक्षर विशेषज्ञ से करायी है।

144. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में नीरनिधि मार्केटिंग सुगम एल.डी.गंग कंपनी, क्लॉक टॉवर कार्पोरेशन, मित्रा एस.के. पावर लिमिटेड, आनंद माईनिंग कार्पोरेशन, फास्ट लारजिस्टिक्स, मिश्रा एस.के. फर्म, समरिया इंटरप्राईजेस, सहारा स्टील प्राईवेट लिमिटेड, पप्पू अग्रवाल, महाराष्ट्र स्मार्ट स्केल इंडस्ट्रीज, मनीष सरावगी, श्री वर्धमान रोड कैरियर, सूरज दीप इंटरप्राईजेस, अमर प्राईवेट रोड लाईस, सांवरिया इंटरप्राईजेस, अनटैक्स्ट मैरी माईस कार्पोरेशन, ग्लाक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी, श्रीओम शांति इंटरप्राईजेस कंपनी, चंदिया इंटरप्राईजेस, बालाजी इंटरप्राईजेस, गाताजी इंटरप्राईजेस, यूरो प्रतीक स्पात, राजा सरावगी सतीश सरावगी, महाकालेश्वर माईस मिनरल्स, श्रीबजरंग पावर ट्रासपोर्ट, अमरशक्ति रोड लाईस, महाप्रातेश्वर माईंस मिनरल्स, महाकालेश्वर माईंस, एस. के. शिपिंग छत्तीसगढ़, बुंदेलखण्ड इंटरप्राईजेस, श्री सांई ट्रांसपोर्ट कंपनी, कान्हा कमर्शियल साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स, श्रीबजरंग पावर एण्ड स्पात, बालाजी कोल, ओम आटोमोबाईल, शांति उद्योग, आंकाक्षा मिनरल्स, सांईनाथ इंटरप्राईजेस, चीआर मेटालिक्स के संबंध में भी कथन किया है परंतु उक्त कंपनियों की सभी अभियुक्तगण से संबंधता के संबध में कोई विवेचना नहीं की है और नाहीं उनसे संबधित मूल दस्तावेज जप्त किये हैं।

145. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियुक्तगण ों द्वारा फर्जी तरीके से स्टेटमेंट प्रदर्श पी–66 के अनुसार कुल 4,83,05,034.44 .रूपये का लेन–देन, स्टेटमेंट प्रदर्श पी–67 के अनुसार आठ करोड़ इन्क्यान्वे लाख अठहत्तर हजार सात सौ रूपये का लेन–देन, स्टेटमेंट डिटेल (प्र.पी.47ए) के अनुसार उक्त खाते में कुल लेनदेन 5,33,89,695 रूपये का लेनदेन एंव स्टेटमेंट डिटेल **(प्र.पी.107)** के अनुसार विभिन्न फर्मों में कुल 18,13,49,670/– रूपये का लेनदेन एंव **(प्र.पी.110)** के अनुसार कुल 30,92,543. 24 रूपये का लेनदेन किये जाने का कथन किया है और यह भी कथन किया है कि विभिन्न बैंको द्वारा दी गयी जानकारी अभियुक्तगण के बैंक खातों से करोड़ों रूपयों का लेनदेन हुआ परंतु उक्त खाते एंव कंपनियों की सभी

अभियुक्तगण से संबंधता के संबध में कोई विवेचना नहीं की है और नाहीं उनसे संबधित मूल दस्तावेज जप्त किये हैं।

146. इसी प्रकार विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने दिनांक 25.01.2017 को समय 17.15 बजे यूको बैंक के शाखा प्रबंधक सुनील कुमार (अ.सा.28) के पेश करने पर स्थान थाना कोतवाली कटनी में दस्तावेज जप्त कर जप्तीपत्रक प्र.पी. 3 गवाह अजय सिंह (अ.सा.1) एवं दीपक तिवारी (अ.सा.18) के समक्ष तैयार करने का कथन किया है जिसकी पुष्टि उपनिरीक्षक अजय सिंह (अ.सा.1) ने भी अपने मुख्य परीक्षण में की है परंतु **सुनील कुमार (अ.सा.28)** ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 12 में विरोधभाषी कथन दिया है कि प्र.पी. 3 के अनुसार सभी दस्तावेज उसके द्वारा पुलिस को बैंक में दिये गये थे और प्र.पी. 3 के द से द भाग पर पुलिस ने उसके हस्ताक्षर बैंक में कराये थे। **आरक्षक दीपक तिवारी (अ.सा. 32)** ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 17 में जप्तीकर्ता की साक्ष्य के विपरित यह स्वीकार किया है कि वह यूको बैंक शाखा कटनी में थाना प्रभारी के साथ गया था वहां उसके सामने बैंक मैनेजर के द्वारा टी.आई. साहब को दस्तावेज दिये थे। प्र.पी. 3 पर उसने यूको बैंक में ही हस्ताक्षर किये थे। उसने जप्त सभी दस्तावेजों को पढ़ा नहीं था।

147. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने दिनांक 09.03.17 को समय 19.05 बजे स्थान थाना कोतवाली कटनी में रामकुमार सिंह (अ.सा.6) के पेश करने पर जप्ती पत्रक प्र.पी. 5 गवाह अजय सिंह (अ.सा.1) एवं शैलेन्द्र ताम्रकार (अ.सा.8) के समक्ष बनाया था, परंतु शैलेन्द्र ताम्रकार अ.सा.8 ने इसके विरोधाभासी कथन करते हुये अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 में स्पष्ट रूप से इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि उसे बैंक बैनेजर ने कहा था कि दस्तावेज बैंक से पुलिस ले जा रही है, इसलिये जप्ती पत्रक में हस्ताक्षर कर दो तो, उसने कर दिये थे। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि दस्तावेज पुलिस क्यों ले गई थी और किस केस से संबंधित हैं। जप्ती पत्रक उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया था और उसने पढ़ा भी नहीं था।

148. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने दिनांक 30.03.2017 को समय निरंक स्थान थाना कोतवाली कटनी में कृष्ण कुमार शर्मा (अ.सा.15) के पेश करने पर जप्ती पत्रक प्र.पी. 6 समक्ष गवाह अजय सिंह (अ.सा.1) ने एवं उदयपाल सिंह के समक्ष तैयार करने का कथन किया है, अभियोजन ने **उदयपाल सिंह को परीक्षित नहीं कराया है** जबकि **कृष्ण कुमार शर्मा (अ.सा.15)** ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है और लोक अभियोजक द्वारा उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सुझाव दिये जाने पर उक्त साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने पुलिस कथन प्र.पी. 76 में पुलिस को बताया था कि उसने संदीप बर्मन, राकेश यादव और संजय तिवारी, नरेश पोद्दार, जगबंधू

बेहरा के आयकर स्टेटमेंट सरावगी के कहने पर तैयार किये थे। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्र.पी. 76 एवं धारा 164 के कथन प्र.पी. 75 को दिये जाने से भी इंकार किया है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8 में यह भी स्पष्ट किया है कि वह पुलिस थाने कोई पेपर लेकर नहीं गया था। प्र.पी. 6 के आर्टिकल ए से एफ के आयकर गणना पत्रक से संबंधित दस्तावेज पुलिस उसके कार्यालय से लेकर आई थी।

149. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने दीपक तिवारी (अ.सा.18) के पेश करने पर दिनांक 19.04.2017 समय 17.30 बजे स्थान थाना कोतवाली कटनी में जप्ती पत्रक प्र.पी. 7 एंव दिनांक 01.05.2017 को समय 17.05 बजे स्थान थाना कोतवाली में जप्ती पत्रक प्र.पी. 9 गवाह अजय सिंह (अ.सा.1) एवं **अभिषेक मिश्रा** के समक्ष **तैयार किये जाने का कथन किया है।** जप्ती पत्रक प्र. पी. 7 पर **16 का 17 बनाये जाने की ओवरराटिंग दर्शित है।** अभियोजन ने **अभिषेक मिश्रा को परीक्षित नहीं कराया है।** जबकि **दीपक तिवारी (अ.सा.18)** ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 7 में यह स्वीकार किया है कि उसने अपने मुख्य परीक्षण में प्र.पी. 7 .एवं प्र.पी. 9 से संबंधित जो भी बैंक खातों का विवरण बताया है, वह सभी खाते वर्ष 2007 से 2011 के बीच में खोले गये थे। उस समय वह बैंक की सर्विस में नहीं था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 11 में भी यह स्वीकार किया है कि उपरोक्त प्र.पी. 7 के आर्टिकल ए से ई एवं प्र.पी. 9 के आर्टिकल प्र.पी. 53 के दस्तावेज उसके द्वारा स्वयं हस्ताक्षर करके एवं सत्यापित करके नहीं दिये गये। मुख्य परीक्षण में बताये गये डिपाजिक्ट एकाउंट से संबंधित फोटो कापी की डिटेल की उसे जानकारी नहीं है और न ही उसके द्वारा उक्त कापी दी गई है इसलिये वह उक्त दस्तावेज की सत्यता के बारे में नहीं बता सकता है।

150. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने दिनांक 24.06.2017 को समय 15.00 बजे स्थान बैंक ऑफ बड़ौदा परिसर कटनी में **अरविंद कुमार** के पेश करने पर जप्तीपत्रक प्र.पी. 8 गवाह अजय सिंह (अ.सा.1) एवं एस.पी. पांडे अ.सा. 40 के समक्ष बनाया था, **परंतु अरविंद कुमार जोकि उक्त जप्ती पत्रक के दस्तावेज को प्रमाणित करने का सर्वोत्तम साक्षी था, को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत ही नहीं किया है।** जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा में शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ साक्षी **एस.के. पाण्डेय (अ.सा.40)** ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 3 व 4 में यह स्वीकार किया है कि आर्टिकल 8ए का दस्तावेज उसने पुलिस को नहीं दिया था और न ही उक्त दस्तावेजों को उसने देखा था। पुलिस ने उससे प्र.पी. 8 के जप्ती पत्रक पर मात्र हस्ताक्षर कराये थे। उस समय उक्त दस्तावेज पर कुछ लिखा नहीं था, उन्होंने कहा था कि इस पर वे लिखा पढ़ी कर लेंगे। आर्टिल 8ए का खाता उसके कार्यकाल में नहीं खोला गया है।

151. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने दिनांक 01.05.2017 को समय 12.15 बजे स्थान थाना कोतवाली कटनी में रामकुमार सिंह (अ.सा.6) के पेश करने पर जप्ती पत्रक प्र.पी. 10 गवाह अजय सिंह (अ.सा.1) एवं आरक्षक उदयपाल के समक्ष बनाया था, परंतु रामकुमार सिंह (अ.सा.6) ने इसके विरोधाभासी कथन करते हुये अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 21 में स्पष्ट रूप से इस बात का कथन किया है कि उसने जप्ती पत्रक प्र.पी. 5, प्र.पी. 10, प्र.पी. 18, प्र.पी. 19 एवं प्र.पी. 27 से संबंधित जप्तशुदा बैंक खाता खोलने के मूल फार्म पुलिस को अपने बैंक में ही दिया था, वह उपरोक्त बैंक खातों के फार्म संबंधी दस्तावेज को देने थाने नहीं गया था। जबकि प्रकरण में संलग्न जप्ती पत्रक प्र.पी. 5, प्र.पी. 10 एवं प्र.पी. 27 थाना कोतवाली कटनी में निरीक्षक श्री एस.पी. बघेल (अ.सा.2) द्वारा तैयार किये जाने का उल्लेख है, जिससे उक्त जप्ती पत्रक की कार्यवाहियां भी विरोधाभासी दर्शित हो रही हैं।

152. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यूनियन बैंक कटनी में उप शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ सत्यप्रकाश जाटव (अ.सा.22) के पेश करने पर दिनांक 02.05.2017 को समय 14.05 बजे जप्ती पत्रक प्र.पी. 11 एंव दिनाक 12. 05.17 को समय 15.00 बजे थाना कोतवाली कटनी में जप्ती पत्रक प्र.पी. 12 साक्षी अजय सिंह (अ.सा.1) एवं विनोद सोनकुसले के समक्ष बनाने का कथन किया है। जप्ती पत्रक प्र.पी. 12 पर **16 का 17 बनाये जाने की ओवरराटिंग दर्शित है।** विनोद सोनकुसले को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। **सत्यप्रकाश जाटव (अ.सा.22)** ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6 में दस्तावेजों को पुलिस द्वारा उससे बैंक में लिये जाने और वहीं पर हस्ताक्षर कराये जाने का कथन किया है। जबकि जप्ती पत्रक प्र.पी. 11 में जप्ती का स्थान थाना कोतवाली दर्शाया गया है।

153. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने दिनांक 02.05.2017 को समय 15.15 बजे स्थान थाना कोतवाली कटनी में के. मोहन बाबू (अ.सा.34) के पेश करने पर जप्ती पत्रक प्र.पी. 13 गवाह अजय सिंह (अ.सा.1) एवं निखिल सेठिया (अ.सा.31) के समक्ष बनाया था परंतु के. मोहन बाबू (अ.सा.34) ने इसके विरोधाभासी कथन करते हुये अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 5 में यह स्वीकार किया है कि हस्तगत दस्तावेजों में खाता खोलने का दिनांक व स्थान नहीं लिखा है। यह बैंक की गलती है, उसे लिखवाना चाहिये थे। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6 में यह भी स्वीकार किया है कि आर्टिकल 13ए के अ से अ भाग पर किसके हस्ताक्षर हैं वह नहीं बता सकता, परंतु बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर हैं, जिसके द्वारा बैंक में आरोपी मानवेन्द्र मिस्त्री का खाता खुलवाया गया था।

154. आंध्रा बैंक शाखा कटनी के चपरासी के पद पर पदस्थ **निखिल सेठिया (अ.सा.31)** ने अपने मुख्य परीक्षण में ही अभियोजन के विपरीत यह कथन किया है कि उक्त दस्तावेज आर्टिकल 13ए के जप्त करने की लिखा पढ़ी उसके सामने नहीं हुई थी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 3 में भी इस बात को स्वीकार किया है कि जो दस्तावेज के. मोहन बाबू के द्वारा पुलिस को दिये गये थे, उसने नहीं देखा था और न ही उसे यह बतलाया गया था कि उक्त दस्तावेज किससे संबंधित हैं। प्र.पी. 13 के स से स भाग पर उसने के. मोहन बाबू के कहने पर हस्ताक्षर किया था। प्र.पी. 13 की लिखा पढ़ी उसके सामने नहीं हुई थी। आर्टिकल 13ए को देखकर वह निश्चित रूप से नहीं कह सकता है कि इसी दस्तावेज को के. मोहन बाबू के द्वारा पुलिस को जप्त कराया गया था।

155. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने दिनांक 08.05.2017 को समय 14.15 बजे बैंक ऑफ बड़ौदा कटनी में **अरविंद कुमार** के पेश करने पर जप्ती पत्रक प्र.पी.14 साक्षी अजय सिंह (अ.सा.1) एवं अवस्थी सिंह ठाकुर (अ.सा. 10) के समक्ष बनाया था, परंतु अभियोजन द्वारा अरविंद कुमार को परीक्षित नहीं कराया गया है जबकि अवस्थी सिंह ठाकुर (अ.सा.10) पक्षद्रोही है जिसने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 5 में इस बात को स्वीकार किया है कि उसके सामने कोई खाता खोलने का फार्म जप्त नहीं हुआ था। उसने प्र.पी. 14 पर अपने हस्ताक्षर पुलिस के कहने पर किया था। प्र.पी. 14 पर उस समय कोई लिखा पढी नहीं की गई थी। पुलिस ने उसे यह भी नहीं बताया था कि किस संबंध में उससे हस्ताक्षर करा रहे हैं। उक्त साक्षी ने लोक अभियोजक द्वारा सुझाव दिये जाने पर भी इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि मानवेन्द्र मिस्त्री के नाम का खाता 20011086 से संबंधित खाता खोलने का मूल फार्म, हस्ताक्षर नमूना फार्म, जिसमें मानवेन्द्र मिस्त्री की फोटो लगी थी, ड्राईविंग लाईसेंस की फोटोप्रति, परिवार राशन की फोटोप्रति उसके सामने पुलिस ने जप्त की थी।

156. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने दिनांक 14.07.16 को समय 4.40 बजे स्थान एक्सिस बैंक सिविल लाईन कटनी में बैंक मैनेजर रामकुमार सिंह (अ.सा.6) के पेश करने पर साक्षी नितेश बाजपेयी एवं शैलेन्द्र ताम्रकार अ.सा.3 के समक्ष जप्ती पत्रक प्र.पी. 18 और दिनांक 17.08.16 को समय 13.45 बजे जप्ती पत्रक प्र.पी. 19 और दिनांक 27.01.17 को समय 18.05 बजे स्थान थाना कोतवाली कटनी में राकुमार सिंह (अ.सा.6) के ही पेश करने पर साक्षी शैलेन्द्र (अ.सा.3) एवं गगन सचदेवा के समक्ष जप्ती पत्रक प्र.पी.27 तैयार किये जाने का कथन किया है परंतु अभियोजन द्वारा नितेश बाजपेयी एंव गगन सचदेवा को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया है जबकि रामकुमार (अ.सा.6) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कं. 18 में यह स्वीकार किया है कि उसने मुख्य परीक्षण

में एक्सिस बैंक से संबंधित उपरोक्त जिन खातों की जानकारी बताई है, वह सभी खाते उसके कार्यकाल में नहीं खोले गये थे। उपरोक्त सभी बैंक खाते, बैंक के किन–किन कर्मचारियों व अधिकारियों के द्वारा खोले गये थे, इस संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है एवं मुख्यपरीक्षण में वर्णित उपरोक्त सभी खातों का लेनदेन उसके कार्यकाल में नहीं हुआ था।

157. रामकुमार (अ.सा.6) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 26 में स्वीकार किया है कि प्र.पी. 59 के शिव आराधना इंटरप्राईजेस एवं एस.के. मिनरल्स के बीच हुये लेनदेन से संबंधित बैंक एकाउंट स्टेटमेंट प्रकरण के साथ संलग्न नहीं है। पुलिस द्वारा उसे भेजा गया पत्र दिनांक 30.03.2016 भी प्रकरण के साथ संलग्न नहीं है। प्र.पी. 59 की जानकारी उसके द्वारा पुलिस को किस आधार पर कैसे प्राप्त करके दी गई है, इसका भी उल्लेख प्र.पी. 59 में नहीं है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 27 में इस बात को भी स्वीकार किया है कि प्र.पी. 60 के पत्र के साथ मानवेन्द्र मिस्त्री के खातों से संबंधित स्टेटमेंट या बैंक का रिकॉर्ड पुलिस को नहीं दिया था। उसके द्वारा पुलिस को प्र.पी. 61, प्र.पी. 62 एवं प्र.पी. 63 के पत्र द्वारा संबंधित स्टेटमेंट या बैंक का रिकॉर्ड भी पुलिस को नहीं दिया था। रामकुमार (अ.सा.6) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 28 में भी यह स्वीकार किया है कि प्र.पी. 65, प्र.पी. 66 एवं प्र.पी. 67 के स्टेटमेंट बैंक का कवरिंग लेटर लगाकर पुलिस को दिया था। कवरिंग लेटर प्रकरण के साथ प्रस्तुत नहीं है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्र.पी. 65, प्र.पी. 66 एवं प्र.पी. 67 के स्टेटमेंट पुलिस को दिये जाते समय उसने ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया था कि उक्त स्टेटमेंट किसके द्वारा किस तरीके से प्राप्त किये गये हैं और धारा 65 बी का प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किया है।

158. बैंक ऑफ बड़ौदा कटनी के चीफ मैनेजर **कपिल कुमार (अ.सा.49)** ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 7 में यह स्वीकार किया है कि प्र.पी. 14ए एवं प्र.पी. 14बी के दस्तावेज उसके द्वारा पुलिस को नहीं दिये गये थे। प्र.पी. 14ए व प्र.पी. 14बी के मूल दस्तावेज पुलिस को किसने दिये वह नहीं बता सकता। प्र. पी. 14ए एवं प्र.पी. 14बी के मूल दस्तावेज के साथ बैंक ऑफ बडौदा का कव्हरिंग लेटर नहीं लगा है, जिसमें यह लेख हो कि उक्त दस्तावेज पुलिस को किसके द्वारा दिये गये हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कं. 8 में यह भी स्वीकार किया है कि <u>उसने प्र.पी. 114 से संबंधित जानकारी की सत्यता की जांच नहीं किया था</u>।

159. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा कटनी के प्रबंधक **गोविंद प्रसाद डेहरिया (अ.सा.50)** ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 17 में यह भी स्वीकार किया है कि वह तत्कालीन मुख्य प्रबंधक गजेन्द्रनाथ दास के साथ कार्यरत नहीं

था और न ही उसने कभी उसके साथ कार्य किया है। वह आंध्रा बैंक के मैनेजर सुजीत कुमार दास को भी नहीं जानता है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में प्र.पी. 112 के दस्तावेज में उल्लेखित नाम के आधार पर उनका नाम और हस्ताक्षर होना बतलाया है। एच.डी.एफ.सी. बैंक कटनी के ब्रांच मैनेजर **अभिजीत तिवारी (अ.सा.51)** ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8 में यह स्वीकार किया है कि उपरोक्त वर्णित जिन बैंक खातों के विषय में उसके द्वारा बतलाया गया है, वह सभी बैंक खाते उसके द्वारा नहीं खोले गये हैं और न ही उसके कार्यकाल में खुले हैं।

160. अजय बहादुर सिंह (अ.सा.1) ने भी थाना कोतवाली परिसर कटनी में एक्सिस बैंक शाखा प्रबंधक कटनी द्वारा पेश करने पर प्र.पी. 130 का जप्ती पत्रक तैयार किया जाना बतलाया है, परंतु शैलेन्द्र ताम्रकार (अ.सा.3) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 41 में जप्ती पत्रक प्र.पी. 130 के दस्तावेज एक्सिस बैंक शाखा कटनी में आकर जप्त किये जाने का कथन किया है, जबकि प्रकरण में संलग्न जप्ती पत्रक प्र.पी. 130 पर जप्ती का स्थान थाना कोतवाली परिसर कटनी लेख है, जो स्वयं में विरोधाभासी है। शैलेन्द्र ताम्रकार (अ.सा.3) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 24 में इस बात को भी स्पष्ट किया है कि उसके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह जानकारी हो सके कि आई.डी. डब्लू.ओ. 590 मोहम्मद यासीन को जारी की गई थी। इस प्रकार परस्पर विरोधाभासी बयान के कारण उक्त जप्ती संदेहास्पद दर्शित हो रही है।

161. रामकुमार (अ.सा.6) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 45 में यह स्वीकार किया है कि बैंक खाता फार्म प्र.पी. 5बी में खाता खोलने वाले व्यक्ति के रूप में कहीं भी मोहम्मद यासीन के हस्ताक्षर व नाम का उल्लेख नहीं है। स्वतः कहा है कि उक्त दस्तावेज के नामिनेशन फार्म में बतौर गवाह के रूप में मोहम्मद यासीन के क्यू–4 पर हस्ताक्षर हैं और नाम वाले कॉलम में मोहम्मद यासीन लिखा है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 47 में स्वीकार किया है कि प्र.पी. 19ए के मूल खाता फार्म में कहीं पर भी मोहम्मद यासीन के नाम का उल्लेख नहीं है और न ही उसके कहीं हस्ताक्षर हैं प्रतिपरीक्षण की कंडिका 48 में यह स्वीकार किया है कि प्र.पी. 19बी के मूल खाता फार्म में मोहम्मद यासीन के नाम का उल्लेख नहीं है

162. एक्सिस बैंक शाखा कटनी में ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर पदस्थ साक्षी **नितिन जैन (अ.सा.52)** ने अपने मुख्य परीक्षण में ही प्र.पी.130 के ब से ब भाग पर अपने हस्ताक्षरों से इंकार किया है और यह भी कहा है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि पुलिस ने कौन से दस्तावेज जप्त किये थे। उक्त साक्षी को लोक अभियोजक द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सुझाव दिये

जाने पर उक्त साक्षी ने पुनः इस बात की पुष्टि की है कि प्र.पी.130 की जप्ती पत्रक पर ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उपरोक्त खाता नंबरों से संबंधित दस्तावेजों को उसके सामने पुलिस द्वारा जप्त किया गया था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8 व 9 में यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे जिस कागज पर हस्ताक्षर कराये थे, वह कागज प्रकरण में नहीं हैं। ब्रांच मैनेजर शैलेन्द्र ताम्रकार ने जिन कागजों के संबंध में उससे हस्ताक्षर करने के लिये कहा था, उसने उक्त दस्तावेजों को न पढ़ा था और न ही देखा था। प्र.पी. 131 एवं प्र.पी. 132 के फार्म उसने एक्सिस बैंक के होना इस कारण से बतलाया है, चूंकि उक्त दस्तावेजों पर एक्सिस बैंक लिखा है। उक्त दोनों खाते उसके सामने नहीं खोले गये हैं। स्वतः स्पष्ट किया है कि उस समय वह ब्रांच में पदस्थ नहीं था।

163. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त संदीप बर्मन के मेमोरेंडम कथन प्र.पी. 22 दिनांक 06.01.2017 को समय 17.05 बजे स्थान थाना कोतवाली कटनी में साक्षी महेन्द्र सिंह एवं राजेश श्रीवास के समक्ष तैयार किये जाने का कथन किया है। अभियोजन द्वारा महेन्द्र सिंह (अ.सा.8) तथा राजेश श्रीवास (अ.सा.14) के रूप में परीक्षित कराया है, परंतु उपरोक्त दोनों ही साक्षीगण ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

164. अभियोजन साक्षी **महंत कुमार चौधरी (अ.सा.8) ने** अभियोजन द्वारा दिये इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि पुलिस की लिखा–पढ़ी के उपरांत उसने (प्र.पी.22) पर हस्ताक्षर किये थे। उक्त साक्षी ने स्वतः कहा है कि <u>पुलिस से डरकर कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराये</u>। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि वह वर्ष 2004 से मनीष सरावगी के साथ मिलकर व्यवसायिक लेनदेन करता था तथा सतीश सरावगी द्वारा विभिन्न कंपनियों व आयकर से संबंधित लेनदेन किया करता था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह कॉपी किताब लेने के लिये थाने के पास स्टेशनरी दुकान में गया था, जहां से पुलिस ने उसको बुला कर कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराये थे, उक्त कागज किस कार्यवाही से संबंधित थे, उसे नहीं मालूम है। अभियोजन साक्षी **राजेश श्रीवास (अ.सा.14)** ने भी अभियोजन का समर्थन न करते हुये अभियोजन द्वारा दिये गये सभी सुझावों को अस्वीकार किया है तथा मेमोरेण्डम कथन (प्र.पी.22) की कार्यवाही से भी इंकार किया है।

165. इस संबंध में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि उक्त मेमोरेंडम कथन दिनांक 06.01.2017 को समय 17.05 बजे स्थान थाना कोतवाली कटनी लेखबद्ध किया जाना बताया गया है और उक्त मेमोरेंडम कथन में सारे कागजात सरावगी स्कूल नदीपार कटनी में छिपाकर रखवा देने की बात भी विवेचक द्वारा लेखबद्ध की गई है। परंतु विवेचक द्वारा उक्त अभियुक्त को ले

जाकर मेमोरेंडम में उल्लेखित कागजात की जप्ती के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस संबंध में यह तथ्य भी अवलोकनीय है कि उक्त दिनांक को विवेचक अभियुक्त संदीप बर्मन के साथ थाना कोतवाली कटनी में उपस्थित था और प्र.पी. 71 एवं 77 के अनुसार उपरोक्त दस्तावेज राकेश पटेल (अ.सा. 39) ने जप्त किये हैं। विवेचक द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि जब अभियुक्त संदीप और स्वयं विवेचक थाना कोतवाली में उपस्थित थे, तब उनके द्वारा थाना कोतवाली में ही प्र.पी. 71 एवं प्र.पी. 77 के जप्ती पत्रक में उल्लेखित दस्तावेजों को जप्त क्यों नहीं किया गया।

166. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने दिनांक 04.01.2017 को समय 21.20 बजे स्थान थाना कोतवाली कटनी में आरोपी संदीप बर्मन के पेश करने पर जप्ती पत्रक प्र.पी. 20 एंव गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 21 आरोपी संदीप बर्मन का दिनांक 04.01.2017 को समय 22.00 बजे गवाह दीपक तिवारी (अ.सा. 18) एवं नंद किशोर (अ.सा.5) के समक्ष बनाया था। आरक्षक **नंद किशोर अहिरवार (अ.सा.5) ने** अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 में यह स्वीकार किया है कि वह संदीप बर्मन को पहले नहीं जानता था। आरोपी संदीप बर्मन हवालात के बाहर बैठा था। आरोपी संदीप बर्मन उस समय गिरफ्तार हो चुका था। उसे जानकारी नहीं है कि किस दिनांक को गिरफ्तार हुआ था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 5 में भी यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने दस्तावेज थाने में ले जाकर जप्त कराये थे लेकिन वह दस्तावेज कहां से लाया था इस बात की जानकारी उसे नहीं है। दस्तावेज के संबंध में उसके सामने आरोपी संदीप बर्मन से कोई पूंछतांछ नहीं हुई थी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6 में भी यह स्वीकार किया है कि जो दस्तावेज आरोपी संदीप बर्मन से जप्त हुये थे उन्हें उसने पढ़ा नहीं था। उसे ध्यान नहीं है कि दस्तावेज मूल थे या फोटोकापी थी। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि टी.आई. ने जप्ती पत्रक बना लिया और लिख दिया उसके बाद उसने दस्तख्त कर दिये थे। इसी प्रकार **आरक्षक दीपक तिवारी (अ.सा. 32)** ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 15 में यह स्वीकार किया है कि वह आरोपी संदीप बर्मन को पूर्व से नहीं जानता था। उसके सामने कोई भी पूंछतांछ नहीं की गई थी। जो दस्तावेज जप्त किये गये थे, उन्हें उसने पढ़ा नहीं था।

167. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने सतीश सरावगी के मेमोरेंडम प्र.पी. 23 दिनांक 17.03.17 को समय 9.45 बजे स्थान थाना कोतवाली कटनी में बनाया था। दिनांक 17.03.17 को समय 11.50 बने स्थान सतीश सरावगी का घर सतीश सरावगी के पेश करने पर जप्ती पत्रक प्र.पी. 24 गवाह सत्यम गुप्ता (अ.सा.29) एवं उदयपाल सिंह के समक्ष बनाया था। उक्त जप्तीपत्रकों पर 17 पर ओवर राइटिंग होना दर्शित है। अभियोजन द्वारा उदयपाल सिंह को परीक्षित नहीं **कराया है**, जबकि साक्षी **सत्यम गुप्ता (अ.सा29)**

को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी कर घोषित सुझाव दिये जाने पर उक्त साक्षी ने अस्वीकार किया है कि प्रकरण में दिनांक 17.03.2017 को अभियुक्त सतीश सरावगी से पुलिस ने उसके सामने पूंछतांछ की थी, पूंछतांछ में आरोपी सतीश ने आयकर विभाग से आये हुये कुछ नोटिस उसके घर पर रखे होने, चलकर बरामद कराना बताया था। उक्त साक्षी ने सतीश के बताये अनुसार उसके सामने पुलिस द्वारा (प्र.पी.23) का मेमोरेण्डम लेखबद्ध किये जाने, सतीश सरावगी के घर की तलाशी के दौरान राशन कार्ड क्रं. 14178 उसके सामने जप्त करने, सतीश सरावगी के घर की तलाशी के दौरान आयकर विभाग के नोटिस जो संजय तिवारी, नरेश बर्मन और संदीप से संबंधित थे, को जप्त कर जप्ती पत्रक (प्र.पी.24) उसके सामने तैयार किये जाने, उसके सामने आरोपी सतीश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्र.पी.25) एंव आरोपी मनीष, दस्सू, नरेश पोद्दार, नरेश बर्मन को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्र.पी. 88 से 91) तैयार किये जाने से भी इंकार किया है।

168. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने दिनांक 06.01.2017 को समय 16.55 बजे स्थान थाना कोतवाली कटनी में संजय तिवारी (अ.सा.24) के पेश करने पर जप्तीपत्रक प्र.पी. 26 गवाह गवाह उदयपाल सिंह एवं राजेश चौधरी (अ.सा.36) के समक्ष बनाया था, जिसमें से अभियोजन द्वारा उदयपाल सिंह को परीक्षित नहीं **कराया है**, जबकि **संजय तिवारी (अ.सा.24) ने अपने** प्रतिपरीक्षण की कं. 21 में स्वीकार किया है कि **उसने कोई भी दस्तावेज पुलिस को नहीं दिया था और ना ही जप्त कराया था**। पुलिस वाले उसे धमकाते थे कि उसे बंद कर देगें, इसी डर के कारण उसने उन सभी कागजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये थे। अभियोजन साक्षी राजेश चौधरी (अ.सा.36) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 में यह स्वीकार किया है कि प्र.पी. 26 के जप्ती पत्रक से संबंधित दस्तावेजों को उसने पढा नहीं था।

169. विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने आरोपी मानवेन्द्र मिस्त्री का मेमोरेंडम प्र.पी. 16 दिनांक 11.02.2017 को समय 6.45 बजेएंव मेमोरेंडम प्र.पी. 17 दिनांक 14.02.17 को 11.05 बजे थाना कोतवाली कटनी में लेखबद्ध किया था तथा गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 28 दिनांक 11.02.17 को समय 7.25 बजे बनाया था परंतु स्वत्रंत अभियोजन साक्षी **दुर्गेश कुमार (अ.सा.43)** को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित किया गया है। उक्त साक्षी ने अभियोजन द्वारा सुझाव दिये जाने पर अस्वीकार किया है कि प्रकरण में दिनांक 11.02.2017 को आरोपी मानवेन्द्र से पुलिस ने उसके सामने पूछताछ की थी, और आरोपी मानवेन्द्र को पुलिस ने उसके सामने गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्र.पी.28) तैयार किया था। उक्त साक्षी ने इन सुझावों को भी अस्वीकार किया है कि मानवेन्द्र मिस्त्री के द्वारा आर.के.तिवारी का हस्ताक्षर नमूना पुलिस को लिखकर दिया गया था, जिसका पंचनामा प्र.पी.40 पुलिस ने उसके सामने तैयार किया था। उक्त साक्षी

ने इन सुझावों से भी इंकार किया है कि रजनीश तिवारी के हस्ताक्षर नमूना प्र. पी.48 उसके सामने पुलिस ने लिये थे, आरोपी मानवेन्द्र का मेमोरेण्डम कथन प्र. पी.17 पुलिस ने उसके सामने तैयार किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन (प्र.पी.109) में उल्लखित बातें पुलिस को बतायी थी।

170. अभियोजन साक्षी विवेचक शैलेष मिश्रा (अ.सा.44) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8 में यह स्वीकार किया है कि उसने साक्षी पप्पू अग्रवाल का कथन इसलिये लेख किया था कि पूर्व की विवेचना में उसका नाम इस मामले में संलिप्त होने के संबंध में आया था। उसने इस प्रकरण में पप्पू अग्रवाल को आरोपी नहीं बनाया है। उसे पप्पू अग्रवाल ने प्र.पी. 87 का कथन लेखबद्ध नहीं कराया था। उसने उक्त साक्षी के कथन अपने मत से लेखबद्ध कर लिये थे।

171. अभियोजन साक्षी विजय शंकर गिरी (अ.सा.56) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 9 में यह स्वीकार किया है कि निरीक्षक अजय सिंह के द्वारा किसी स्वतंत्र उक्त कार्यवाही के समय नहीं बुलाया गया था। आरोपी मो. यासीन के साथ पूंछतांछ की कार्यवाही करीब 20 मिनट तक चली थी और 20 मिनट में ही प्र.पी. 152 का मेमोरेंडम तैयार किया था। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 में यह स्वीकार किया है कि मुख्य परीक्षण में उसके द्वारा बताई गई बात उसके सामने रजनीश तिवारी ने फार्म पर हस्ताक्षर नहीं किया था और न ही बैंक मैनेजर ने हस्ताक्षर किये थे का उल्लेख मेमोरेंडम प्र.पी. 152 में नहीं है। उक्त बात मो. यासीन के द्वारा प्र.पी. 152 का मेमोरेंडम लेख कराते समय नहीं बताई थी इस कारण से इसका उल्लेख प्र.पी. 152 में नहीं है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 12 में यह स्वीकार किया है कि उक्त जप्ती की कार्यवाही करते समय किसी भी स्वतंत्र साक्षी को नहीं बुलाया गया था।

172. अभियोजन साक्षी विजय शंकर गिरी (अ.सा.56) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 14 में यह स्वीकार किया है कि आरोपी मो. यासीन के नमूना हस्ताक्षर एवं स्वभाविक लिखावट लिये जाने के समय किसी भी स्वतंत्र साक्षी को नहीं बुलाया गया था। आरोपी मो. यासीन के नमूना हस्ताक्षर एवं स्वभाविक लिखावट संबंधी प्र.पी. 138 व प्र.पी. 145 की कार्यवाही पुलिस थाना कोतवाली में हुई थी। उक्त कार्यवाही उसी कमरे में हुई थी जहां पर मेमोरेंडम लेखबद्ध किया गया था। उक्त प्र.पी. 138 व प्र.पी. 145 की लिखापढ़ी की कार्यवाही, मेमोरेंडम कार्यवाही के दूसरे दिन हुई थी, लेकिन कितने बजे हुई थी, उसे समय ध्यान नहीं है। कंडिका 15 में यह स्वीकार किया है कि उक्त कार्यवाही के समय आरोपी मो. यासीन के द्वारा पूर्व से लिखा गया कोई भी दस्तावेज उसके सामने नहीं मंगाया गया था। कंडिका 16 में यह स्वीकार किया

है कि उस कमरे में कम्प्यूटर नहीं है। फिर कहा कि कम्प्यूटर है। प्र.पी. 138 व प्र.पी. 145 के दस्तावेज कम्प्यूटर से टाईप कर प्रिंट किये गये है।

दस्तावेज परीक्षक(हस्तलेख विशेषज्ञ) की रिर्पोट के संबंध में विश्लेषणः–

173. प्रकरण में तर्क के दौरान अभियोजन ने मुख्यतः दस्तावेज परीक्षक राजेश आहूजा (अ.सा.45) की मौखिक साक्ष्य तथा परीक्षण हेतु भेजे गए दस्तावेजों में अभियुक्त मानवेन्द्र, सतीश सरावगी एंव मो. यासीन की हस्तलिपि एवं हस्ताक्षर के अभिमत **प्र0पी0–(प्र.पी.44) एंव (प्र.पी.104) तथा (प्र.पी. 148)** को आधार बनाया है परंतु उक्त तर्क अभियोजन के मामले को बल प्रदान नहीं करता क्योंकि दस्तावेज परीक्षक राजेश आहूजा (अ.सा.45) की साक्ष्य स्पष्ट नहीं है। राजेश आहूजा (अ.सा.45) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 23 में स्वीकार किया है कि **किसी भी हस्ताक्षर या लेख की तुलना का सर्वोत्तम मानक विवाद के समय के नजदीक किये हुये हस्ताक्षर व लेख सर्वोत्तम मानक होते है**। इस प्रकरण में स्वंय विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 184 एंव 185 में स्वीकार किया है कि रजनीश तिवारी के आयुध निर्माणी कटनी में स्थित भारतीय स्टेट बैंक के खाता नंबर 30733843977 का एकाउण्ट ओपनिंग फार्म की मूल प्रति जो 01 से 17 पृष्ठो में है, जप्त किये गये थे। उक्त बैंक खाता रजनीश तिवारी के द्वारा स्वयं खोला गया था। उक्त बैंक खाते के एकाउण्ट ओपनिग फार्म पर रजनीश तिवारी के मूल हस्ताक्षर थे। उक्त बैंक खाते के एकाउंट ओपनिग फॉर्म में उपलब्ध रजनीश तिवारी के मूल हस्ताक्षर को उसके द्वारा हस्तलिपि विशेषज्ञ भोपाल को जाँच के लिये नहीं भेजे गये थे। इस प्रकार प्रकरण में जप्त हस्ताक्षर या लेख की तुलना का सर्वोत्तम मानक विवाद के समय के नजदीक किये हुये हस्ताक्षर व लेख से नहीं करायी गयी है।

174. दस्तावेज परीक्षक राजेश आहूजा (अ.सा.45) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 22 में यह स्वीकार किया है कि कोई भी व्यक्ति जितनी बार अपने हस्ताक्षर करता है या लिखता है, उसकी स्वभाविक भिन्नता आती है। व्यक्ति के बैठकर, खड़े होकर, अंतराल में लिखने में हर बार उसकी स्वभाविक लिखावट में भिन्नता आती है। व्यक्ति की मनोस्थिति के आधार पर भी जैसे खुश रहने, टेंशन रहने, उत्तेजित होने की दशा में लिखने पर भी लिखावट में स्वभाविक भिन्नता आती है। व्यक्ति की उम्र के अनुसार भी उसकी लिखावट व हस्ताक्षर में भिन्नता आती है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कं. 45 में यह भी स्वीकार किया है कि क्यू–2ए, एस–7/2, लगायत एस–12/2 की लिखावट की जांच करने पर **उसके द्वारा उसके संबंध में कोई निश्चित अभिमत नहीं दिया गया है**। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मूल फार्म क्यू–1 में जो 'एच' अक्षर बना है, वह थोडा तिरछा है तथा नमूने के फार्म में एस–7/1

लगायत एस–7/12 में सीधा बना हुआ है।

175. प्रकरण में दस्तावेज परीक्षक राजेश आहूजा (अ.सा.45) ने अपने मुख्य परीक्षण में ही स्वीकार किया है और प्र0पी0– प्र0पी0–(प्र.पी.44) एंव (प्र.पी. 104 एंव 148) की रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से इस बात का अभिमत दिया गया है कि "लाल घेरे में घेरे गये विवादित हस्ताक्षर जिसे क्यू–22 से चिन्हित किया गया है, में दी गई राय इस शर्त पर है कि क्यू–22 का दस्तावेज असल दस्तावेज की सत्यप्रति हो, तभी अभिमत सही माना जाये। **क्यू–1 से क्यू–21 तक की लिखावटों का मिश्रण के रूप में है, जिसके संबंध में निश्चित अभिमत नही दिया जा सकता है। लाल घेरे में घेरी गई विवादित लिखावटों क्यू–2ए. क्यू–6ए. क्यू–7ए, एवं क्यू–8ए के लेखक के संबंध में, उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कोई निश्चित अभिमत नही दिया जा सका है।"** इस संबध में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि फरियादी रजनीश कुमार तिवारी (अ.सा.4) ने क्यू–1 लगायत क्यू–22 के विवादित हस्ताक्षरों जिसमें जप्तीपत्रक (प्र.पी.18) के (आर्टिकल–18ए) से चिन्हित एक्सिस बैंक के खाता खोलने के फार्म, जप्तीपत्रक (प्र.पी.19) के आर्टिकल 19ए के अनुसार खाता खोलने के फार्म (आर्टिकल 19ए) पर उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। अतः ऐसी स्थिति में सभी अभियुक्तगण के विरूध सम्मिलित रूप से आरोपित कूटरचना का अपराध प्रारंभ से ही संदिग्ध हो जाता है।

176. अब इस संबध में यदि विधिक स्थिति का अवलोकन किया जाये तो न्यायादृष्टांत **स्टेट ऑफ गुजरात बनाम विनय चंद्र ए.आई.आर. 1967 सुप्रीम कोर्ट 778** में अवधारित किया गया है कि हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा जो राय व्यक्त की जाती है व निश्चयक श्रेणी में नहीं आती है। न्यायदृष्टांत **1989 जे.एल.जे. 972 तथा 1962 म.प्र.एल.जे. 910** में अवधारित किया गया है कि हस्तलेख विशेषज्ञ की साक्ष्य पर निर्भरता व्यक्त करने के पूर्व यह देखा जाना चाहिए कि क्या वह प्रत्यक्ष साक्ष्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य से समर्थित है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायदृष्टांत **Magan Bihari Lal v. State of Punjab, (1977) 2 SCC 210** में भी Ram Chandra v. State of U.P. [AIR 1957 SC 381] Ishwari Prasad Mishra v. Md. Isa [AIR 1963 SC 1728] Shashi Kumar Banerjee v. Subodh Kumar Banerjee [AIR 1964 SC 529] Fakhruddin v. State of M.P. [AIR 1967 SC 1326] का अनुसरण करते हुये यह प्रतिपादित किया गया है कि –We think it would be extremely hazardous to condemn the appellant merely on the strength of opinion evidence of a handwriting expert. It is now well settled that expert opinion must always be received with great caution and perhaps none so with more caution than the opinion of a handwriting expert. There is a profusion of precedential authority which holds that

it is unsafe to base a conviction solely on expert opinion without substantial corroboration. This rule has been universally acted upon and it has almost become a rule of law. It was held by this Court in that it is unsafe to treat expert handwriting opinion as sufficient basis for conviction, but it may be relied upon when supported by other items of internal and external evidence. This Court again pointed out in that expert evidence of handwriting can never be conclusive because it is, after all, opinion evidence, and this view was reiterated in where it was pointed out by this Court that experts evidence as to handwriting being opinion evidence can rarely, if ever, take the place of substantive evidence and before acting on such evidence, it would be desirable to consider whether it is corroborated either by clear direct evidence or by circumstantial evidence. This Court had again occasion to consider the evidentiary value of expert opinion in regard to handwriting in and **it uttered a note of caution pointing out that it would be risky to found a conviction solely on the evidence of a handwriting expert** and before acting upon such evidence, the court must always try to see whether it is corroborated by other evidence, direct or circumstantial.

177. इसी प्रकार न्यायदृष्टांत **एस.पी.एस.राठौर बनाम सी.बी.आई. एवं एक अन्य ए.आई.आर. 2016 सुप्रीम कोर्ट 4486**_में निर्णय चरण 27 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि ''हस्तलेख के संबंध में विशेषज्ञ साक्ष्य केवल राय संबंधी साक्ष्य होती है और वह कभी भी निश्चायक नही हो सकता किसी भी विशेषज्ञ के साक्ष्य पर कार्यवाही करते हुये सामान्यतः यही देखना है कि क्या उस साक्ष्य की या तो स्पष्ट प्रत्यक्ष या अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा सम्पुष्टि होती है हस्तलेख विशेषज्ञ का एक मात्र साक्ष्य कतिपय व्यक्ति का लेख है या नही इसके बारे में निश्चित निष्कर्ष अभिलिखित करने के लिए सामान्यतः पर्याप्त नही होता है न्यायालय ऐसे अन्य लोगों से किसी व्यक्ति के विवादित लेख की तुलना करने के लिए सक्षम है जो उसके लेख होना स्वीकृत या साबित है केवल विशेषज्ञ तुलना के आधार पर ही कतिपय दस्तावेज में किसी व्यक्ति के लेख के बारे में निष्कर्ष अभिलिखित करना हो सकता है न्यायालय के लिए सुरक्षित नही हो किन्तु न्यायालय उक्त संबंध में स्वयं के समक्ष पेश किये गये अन्य साक्ष्य का उचित ढंग से मूल्याकंन करने के क्रम में स्वयं लेख की तुलना कर सकता है। हस्तलिपि विशेषज्ञ की राय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत सुसंगत है लेकिन निश्चायक नही है'' तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसी प्रकरण में निर्णय चरण 30 में यह अवधारित किया गया है कि ''हस्तलेख विशेषज्ञ का असम्पुष्ट साक्ष्य

अत्यधिक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और उसी पर या तो दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के लिए विश्वास व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए न्यायालयों को हस्तलेख विशेषज्ञ के साक्ष्य को अत्यधिक महत्व देने के प्रति सावधान होना चाहिए यह विरल ढंग से ही यदि कभी हो सारभूत साक्ष्य का स्थान ग्रहण कर सकता है ऐसे साक्ष्य पर कार्यवाही करने के पूर्व यह देखना प्रायिक है कि क्या उसकी सम्पुष्टि या तो स्पष्ट प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा होती है। हस्तलेख के संबंध में विशेषज्ञ साक्ष्य केवल राय संबंधी साक्ष्य होता है और वह कभी भी निश्चायक नही हो सकता।''

178. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतो के आलोक में उपलब्ध साक्ष्य से पूर्वोक्त विवेचना से यह निष्कर्ष स्थापित है कि अभियोजन द्वारा **प्रकरण के सभी अभियुक्तगण की हस्तलिपि एंव हस्ताक्षर परीक्षण हेतु भेजे ही नहीं गये है।** अभियुक्त मानवेंद्र मिस्त्री के प्रश्नगत बैंक खातों के विवादग्रस्त हस्ताक्षर या हस्तलिपि का भी पुर्ण मिलान नहीं हुआ है जिसकी पुष्टी दस्तावेज परीक्षक राजेश आहूजा (अ.सा.45) ने भी की है ऐसी स्थिति में जबकि समस्त स्वत्रंत साक्षीगण हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट की सम्पुष्टि न करते हुये गंभीर विसंगति कथन कर रहा है, उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतो के आलोक में हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट को ठोस आधारभूत व निश्चायक साक्ष्य माना जाना उचित नही है और निश्चित ही अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाने का हकदार दर्शित होते हैं।

179. इस संबध में यह तथ्य भी अवलोकनीय है कि अभियुक्तगण द्वारा वास्तव में **संजय तिवारी एवं रजनीश तिवारी** आदि के साथ छल कारित करने के आशय से कूटरचित हस्ताक्षर किया जाना एंव साशय एवं ज्ञानपूर्वक कूटरचना करके, उन्हें छल के लिए उपयोग किया जाना, सारवान साक्ष्य से ही प्रमाणित हो सकता था परन्तु पुलिस एंव अभियोजन द्वारा इस संबध में कोई साक्ष्य संकलित करने का प्रयास नहीं किया गया। जिसकी पुष्टी इस बात से होती है कि विवेचना के दौरान जप्त मेसर्स शुभम ट्रेडिंग कंपनी का मूल बैंक खाता फार्म (प्र.पी.5/ आर्टिकल–ए), श्री मिनरल्स के नाम का बैंक खाता (प्र.पी. 5/आर्टिकल–बी), एच.डी.एफ.सी. बैंक में श्री मिनरल्स फर्म के नाम के खाते का मूल फार्म (प्र.पी.7/आर्टिकल–ए), बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक खाते का मूल फार्म (प्र. पी.10/ आर्टिकल–ए1), श्वेता इंटरप्राईजेस फर्म का बैंक खाते का मूल फार्म (प्र.पी.10 / आर्टिकल–आई) मेसर्स श्री मिनरल्स फर्म के नाम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कें बैंक खाते का मूल फार्म है(प्र.पी.11/आर्टिकल–ए) (प्र.पी. 12/आर्टिकल ए) एक्सिस बैंक मेसर्स एस.के. मिनरल्स फर्म के नाम से खोले गये बैंक खाते का मूल फार्म (प्र.पी.18/आर्टिकल–ए), एस.के. मिनरल्स फर्म (प्र. पी.19/ आर्टिकल ए) एक्सिस बैंक में खोले गये बैंक खाते का मूल फार्म (प्र.पी. 19/आर्टिकल–बी) श्वेता इंटरप्राईजेज फर्म के नाम से एच.डी.एफ.सी. बैंक में खोले गये बैंक खाते का मूल फार्म (प्र.पी.53) **जिनके संबध में फरियादी रजनीश**

कुमार तिवारी के नाम एंव हस्ताक्षर की कूटरचना करके खोले जाने का आरोप लगाया गया है, पर उल्लेखित हस्तलिपि, फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षरों की विवेचक/अभियोजन द्वारा कोई जांच नहीं कराई गई है, और नाही **उक्त संबध में अभियुक्तगण की हस्तलिपि एंव हस्ताक्षर परीक्षण हेतु भेजे गये है।** जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वास्तव में उक्त खाता रजनीश कुमार तिवारी द्वारा ही खोला गया था अथवा अभियुक्तगण द्वारा उसके कूटरचित हस्ताक्षर से खोला गया।

180. इसी प्रकार अभियोजन ने श्री मिनरल्स की ओर से आर.के. तिवारी के हस्ताक्षर के सैल्फ के मूल चैक (आर्टिकल–11बी,11सी) एंव राजकुमार गुप्ता पिता स्व. मुन्नालाल गुप्ता आयु लगभग 50 वर्ष निवासी रामकृष्ण परमहंस वार्ड, मंगल नगर कटनी तहसील व जिला कटनी के द्वारा रजनीश कुमार तिवारी पिता गोविंद प्रसाद तिवारी आयु 30 वर्ष, निवासी मंगल नगर, परमहंस वार्ड कटनी तहसील व जिला कटनी के मध्य निष्पादित मूल किराया नामा (प्र.पी. 12/आर्टिकल–बी) प्रस्तुत किया है, जो कि एस.के. गुप्ता एडवोकेट/नोटरी द्वारा प्रमाणित भी किया गया है, परंतु उक्त राजकुमार गुप्ता से विवेचक द्वारा कोई पूंछतांछ नहीं की गई है और न ही उक्त राजकुमार गुप्ता प्रकरण में साक्षी के रूप में सम्मिलित है। इस संबंध में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि उक्त किरायेनामें पर फरियादी रजनीश तिवारी की पत्नी सुनिता का फोटो भी चश्पा है और हस्ताक्षर भी हैं, परंतु विवेचक द्वारा उपरोक्त चैक एंव किरायेनामें में हस्ताक्षर व फोटो की पहचान के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिस कारण से भी स्वंय अभियोजन ने उपरोक्त आरोप को सन्देहास्पद कर दिया है।

181. **प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में** शिव आराधना इंटरप्राईजेज फर्म (प्र.पी.27/आर्टिकल–बी) **अभियुक्त संदीप बर्मन** द्वारा खोला जाना बताया गया है। प्रभूवंदना इंटरप्राईजेज फर्म के बैंक खाते फार्म (प्र.पी. 27/आर्टिकल–सी) एंव बाहुबली ट्रेडिंग कंपनी के बैंक खाते फार्म (प्र.पी. 27/आर्टिकल–एफ) **अभियुक्त दस्सू पटेल** द्वारा खोला जाना बताया गया है। व्यापार ट्रेडिंग कंपनी के बैंक खाते फार्म (प्र.पी.27/आर्टिकल–एच), यूनिक ट्रेडिंग कंपनी के बैंक खाते फार्म (प्र.पी.27/आर्टिकल–आई), लक्ष्मी इंटरप्राईजेज के बैंक खाते फार्म (प्र.पी.27/आर्टिकल–जे) एंव मेसर्स श्री लक्ष्मी इंटरप्राईजेस के बैंक खाते के मूल फार्म(प्र.पी.10/आर्टिकल–ई) **अभियुक्त नरेश बर्मन** द्वारा खोला जाना बताया गया है। मेसर्स अंकुर इंटरप्राईजेज का मूल बैंक खाता का फार्म (प्र.पी.10/आर्टिकल–जी) **अभियुक्त नरेश पोद्दार एंव मनीष कुमार सरावगी** द्वारा खोला जाना बताया गया है। हरिओम इंटरप्राईजेज फर्म का खाता खोलने का मूल फार्म (प्र.पी.10/आर्टिकल–एफ) **नरेश कुमार बर्मन एंव मनीष सरावगी** द्वारा खोला जाना बताया गया है

182. इसी प्रकार एस.डी.एफ.सी. बैंक में खोले गये खाते का मूल फार्म (आर्टिकल–7ए–1), यू.टी.आई. बैंक में खोले गये बैंक खाता की मूल फार्म (प्र.पी. 10/आर्टिकल–ए), राधास्वामी इंटरप्राईजेज फर्म के खाता खोलने का फार्म (प्र. पी.10/आर्टिकल–बी), श्वेता इंटरप्राईजेस फर्म के खाता खोलने का मूल फार्म (प्र.पी.10/आर्टिकल–सी), एक्सिस बैंक में खाता खोलने का फार्म (प्र.पी.10/ आर्टिकल–डी) खोला गया है, आंध्रा बैंक का बैंक एकाउंट खोलने का फार्म (प्र. पी.13/आर्टिकल–ए), बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक खाता खोलने का दस्तावेज(प्र. पी.14/आर्टिकल–ए, बी) पर भी मानवेन्द्र मिस्त्री की फोटो और हस्ताक्षर हैं और उक्त बैंक खाता खोलने के रूप में पहचानकर्ता के रूप में सोमेश माहेश्वरी हनुमानगंज कटनी के नाम का उल्लेख है और उक्त खाते **अभियुक्त मानवेन्द्र मिस्त्री** द्वारा खोला जाना बताया गया है। परंतु उपरोक्त दस्तावेजों पर उल्लेखित हस्तलिपि, फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षरों की विवेचक/अभियोजन द्वारा कोई जांच नहीं कराई गई है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वास्तव में उक्त खाते अभियुक्तगण द्वारा ही खोले गये हैं।

183. इसी प्रकार मेसर्स आदिनाथ सर्विसेस फर्म का मूल बैंक खाता (प्र. पी.10/आर्टिकल–एच) है, जो कि राकेश यादव द्वारा खोला जाना बताया गया है। वीना ट्रेडिंग कंपनी फर्म के एक्सिस बैंक में खाता खोलने का फार्म (प्र.पी. 27/ आर्टिकल–ए) सुरेश कुमार प्रजापति द्वारा खोला जाना बताया गया है। सियाराम मिनरल्स फर्म (प्र.पी.27/आर्टिकल–डी) से संबंधित है, जो सुरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा खोला जाना बताया गया है। प्रजापति इंटरप्राईजेस फर्म (प्र.पी. 27/आर्टिकल–ई) से संबंधित है, जो द्वारा खोला जाना बताया गया है। रमेश पटेल द्वारा खोला जाना बताया गया है। गणपति ट्रेडिंग कंपनी (प्र.पी.27/ आर्टिकल–जी) से संबंधित है, जो राकेश कुमार पटेल द्वारा द्वारा खोला जाना बताया गया है परंतु उपरोक्त दस्तावेजों पर उल्लेखित हस्तलिपि, फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षरों की विवेचक या अभियोजन द्वारा कोई जांच नहीं कराई गई है, और नाही उपरोक्त व्यक्तियों से कोई पूछताछ की गयी है जिससे उपरोक्त खातों एंव व्यक्तियों की प्रकरण में स्थिति स्पष्ट नहीं है।

184. उपरोक्त बैंक खातों को <u>वेरीफाई/प्रमाणित</u> करने वाले एंव दस्तोवजों को सत्यापित करने वाले बैंक अधिकारी एंव कर्मचारीगण Sanjay Khanwakar SS No. 323, Vikram Goyal Emp. Code No. 1307 UTI Bank Ltd. Katni 317, Kshitij Shukla, Ananad Dubey, Deepa Nayak & Nitin kaul, Anubhav Bairwan S.S. No. 4694, Ashish Dalvi S.S. No. 4020, Ajit Kumar Saini H.No. 106 Civil Line Katni, Ananad shrivastava S.S. No. 2949, Ashish Dalvi Dypty Branch Manager, Gulzar Kachhwaha, Bharat Kumar Jagyashi, Vishal Kumar, Sandeep sharma, Bhawana Negi, Swapnil Joshi, Prakash chandra Kelodia, Somesh Mishra

982778089W1095 की हस्तलिपि, .एवं हस्ताक्षरों की विवेचक या अभियोजन द्वारा कोई जांच नहीं कराई गई है, और नाही उपरोक्त व्यक्तियों से कोई पूछताछ की गयी है। विवेचक शैलेष मिश्रा (अ.सा.44) ने भी प्रतिपरीक्षण की कंडिका 11 में स्वीकार किया है कि **उसने विवेचना के दौरान किसी भी बैंक अधिकारी/कर्मचारीगण को अभियुक्त नहीं बनाया था और न ही किसी प्रकार की शिकायत भी बैंक अधिकारी और कर्मचारीगण के संबंध में प्राप्त हुई थी**। जिससे उपरोक्त खातों के कूटरचित होने एंव अभियुक्तगण की प्रकरण में प्रास्थिति स्वंय ही अप्रमाणित हो रही है।

185. इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन साक्षीगण की स्वीकारोक्ति से ही यह स्थापित हो रहा है कि आरोप में उल्लेखित फरियादी के नाम की सभी फर्म एंव मूल बैंक खाता फार्म पर उल्लेखित हस्तलिपि, फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षरों की फरियादी/व्यथित व्यक्तिगण के **हस्तलिपि एंव हस्ताक्षर** की कोई जांच नहीं कराई गई है, और नाही अभियुक्तगण के नाम की सभी फर्म एंव मूल बैंक खाता फार्म पर उल्लेखित हस्तलिपि, फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षरों **के संबध में अभियुक्त संदीप बर्मन अभियुक्त दस्सू पटेल अभियुक्त नरेश बर्मन अभियुक्त नरेश पोद्दार एंव मनीष कुमार सरावगी अभियुक्त मानवेन्द्र मिस्त्री की हस्तलिपि एंव हस्ताक्षर अथवा** उपरोक्त बैंक खातों को वेरीफाई/प्रमाणित करने वाले **बैंक** अधिकारी एंव कर्मचारीगण **की हस्तलिपि एंव हस्ताक्षर परीक्षण हेतु भेजे गये है।** जबकि आरोपित अपराध धारा 467, 468, 471 भा.द.स. के आवश्यक तत्वों एंव कूटरचना का अपराध साबित करने के लिए ''मिथ्या दस्तावेज या उसके भाग की रचना'' कपट पूर्वक एवं बेईमानीपूर्ण आशय से की जाना अपेक्षित है। जब तक दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ जानते हुए, उसमें या उसके किसी भाग में उस व्यक्ति के निष्पादन का द्योतन करने वाला कोई चिन्ह या रचना की जाना साबित न किया जाये, तब तक उक्त अपराध को साबित नहीं माना जा सकता।

186. इस प्रकार धारा 467, 468, 471 भा.द.स. के अंतर्गत कूटरचना के अपराध को साबित करने के लिए धारा 463 एंव 464 भा.द.स. की पूर्ती आवश्यक है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **Sheila Sebastian vs R.Jawaharaj** AIR 2018 SUPREME COURT 2434 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित किया गया है किः–

19. A close scrutiny of the aforesaid provisions makes it clear that, Section 463 defines the offence of forgery, while Section 464 substantiates the same by providing an answer as to when a false document could be said to have been made for the purpose of committing an offence of forgery under Section 463, IPC. Therefore, we can safely deduce that Section 464 defines one of the ingredients of forgery i.e., making of a false document.

Further, Section 465 provides punishment for the commission of the offence of forgery. In order to sustain a conviction under Section 465, first it has to be proved that forgery was committed under Section 463, implying that ingredients under Section 464 should also be satisfied. Therefore unless and untill ingredients under Section 463 are satisfied a person cannot be convicted under Section 465 by solely relying on the ingredients of Section 464, as the offence of forgery would remain incomplete.

20. The key to unfold the present dispute lies in understanding Explanation 2 as given in Section 464 of IPC. As Collin J., puts it precisely in Dickins v. Gill, (1896) 2 QB 310, a case dealing with the possession and making of fictitious stamp wherein he stated that "to make", in itself involves conscious act on the part of the maker. Therefore, an offence of forgery cannot lie against a person who has not created it or signed it.

21. It is observed in the case Md. Ibrahim and Ors. vs. State of Bihar and Anr., (2009) 8 SCC 751 that- "a person is said to have made a `false document', if

(i) he made or executed a document claiming to be someone else or authorised by someone else; or

(ii) he altered or tampered a document; or

(iii) he obtained a document by practicing deception, or from a person not in control of his senses."

22. In Md. Ibrahim (supra), this Court had the occasion to examine forgery of a document purporting to be a valuable security (Section 467, IPC) and using of forged document as genuine (Section 471, IPC). While considering the basic ingredients of both the offences, this Court observed that to attract the offence of forgery as defined under Section 463, IPC depends upon creation of a document as defined under Section 464, IPC. It is further observed that mere execution of a sale deed by claiming that property being sold was executant's property, did not amount to commission of offences punishable under Sections 467 and 471, IPC even if title of property did not vest in the executant.

25. Keeping in view the strict interpretation of penal statute i.e., referring to rule of interpretation wherein natural inferences are preferred, we observe that a charge of forgery cannot be imposed on a person who is not the maker of the same. As held in plethora of cases, making of a document is different than causing it to be made. As Explanation 2 to Section 464 further clarifies that, for constituting an offence under Section 464 it is imperative that a false document is made and the accused person is the maker of the same, otherwise the accused person is not liable for the offence of forgery.

26. The definition of "false document" is a part of the definition of "forgery". Both must be read together. 'Forgery' and 'Fraud' are essentially

matters of evidence which could be proved as a fact by direct evidence or by inferences drawn from proved facts. In the case in hand, there is no finding recorded by the trial Court that the respondents have made any false document or part of the document/record to execute mortgage deed under the guise of that 'false document'. Hence, neither respondent no.1 nor respondent no.2 can be held as makers of the forged documents. It is the imposter who can be said to have made the false document by committing forgery. In such an event the trial court as well as appellate court misguided themselves by convicting the accused. Therefore, the High Court has rightly acquitted the accused based on the settled legal position and we find no reason to interfere with the same.

187. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ही पारित **न्यायदृष्टांत राम नारायण पोपिल विरूद्ध सी.बी.आई ए.आई.आर. 2003 सु.को.2748** मे भी अभिमत दिया गया है कि :–In order to constitute forgery, the first essential is that the accused should have made a false document. किंतु अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य में लेशमात्र भी यह तथ्य नहीं आया है, कि अभियुक्तगण ने किसी दस्तावेज या उसके भाग की रचना कपटपूर्वक या बेईमानीपूर्ण आशय से की थी अपितु जिन बैंक एकाउण्ट व फर्जी कंपनी खोलने में फरियादी रजनीश तिवारी अथवा संजय तिवारी के कूटरचित हस्ताक्षर होने का अभियुक्तगण पर आरोप लगाया गया है उनके संबध में पुर्वोक्त विवेचना के अनुसार स्वंय फरियादी रजनीश तिवारी (अ.सा.04) ने अपने हस्ताक्षर होने की स्वीकारोक्ति की है और संजय तिवारी (अ.सा.24) ने भी अपना पेन कार्ड स्वयं बनवाने और बैंक खाते भी स्वयं खोले जाने स्वीकारोक्ति की है

188. इस प्रकार प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में **संजय तिवारी एवं रजनीश तिवारी** आदि के साथ छल कारित करने के आशय से उनसे कपट पूर्वक उनके विभिन्न दस्तावेज परिचयपत्र, फोटो, चालन अनुज्ञप्ति आदि प्राप्त कर उनके प्रयोग से एवं उनके कूटरचित हस्ताक्षर एंव कूटरचित दस्तावेजों से बैंक एकाउण्ट व फर्जी कंपनी/ **फर्मों** शिव आराधना इंटरप्राईजेस, प्रभु वंदना इंटरप्राइजेस, बाहुबली ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स व्यापार ट्रेडिंग, यूनिक ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स श्री लक्ष्मी इंटरप्राइजेस, मेसर्स हरिओम इंटरप्राइजेस, मेसर्स अंकुर इंटरप्राइजेस, मेसर्स आदिनाथ सर्विसेस, रामा इंटरप्राइजेस, एस.के. मिनरल्स, शुभम ट्रेडिंग कंपनी, श्री मिनरल्स, मेसर्स श्वेता इंटरप्राइजेस, मां शारदा इंटरप्राइजेस, राधास्वामी इंटरप्राइजेस आदि का गठन करके, उनके माध्यम से लाखों करोड़ो रूपये के अवैध संव्यवहार करने तथा विभिन्न बैंकों में विभिन्न फर्जी खाते खोलने एवं उक्त फर्जी बैंक खातों के माध्यम से विभिन्न राशियों के संव्यवहार करने/विभिन्न राशियां प्राप्त करने हेतु विभिन्न मूल्यवान दस्तावेजों (चैक, पे इन स्लिप आदि)

की कूट रचना करने के अपराध के आवश्यक तत्वों को अभियोजन ने सारवान साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया है।

विचारणीय प्रश्न क्र.10

189. **प्रकरण में अभियुक्त सतीश सरावगी पर उक्त** अपराध के किये जाने की साक्ष्य का विलोपन, नदी पार, मरघटाई के पास अपने स्कूल में उक्त अपराध से संबंधित दस्तावेजों को छिपाने एवं दि.06.01.17 को अपने उक्त स्कूल से उक्त दस्तावेजों को लोडर आटो क्रमांक MP-21 M/0522 के माध्यम से हटाये जाने संबधी आरोप पर विचार किया जाये तो उक्त संबध में विवेचक एस. पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने यह साक्ष्य दी है कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उक्त संबंध में (प्र.पी.71) में जप्तशुदा 21 बोरा 03 बोरी दस्तावेजों को सुपुर्दनामे पर संबंधित को प्रदान की गई थी। उक्त संबंध में आदेशानुसार तत्कालीन थाना प्रभारी शैलेष मिश्रा द्वारा उक्त दस्तावेजों को स्कैन कर पेन ड्राईव तैयार कराई गई थी, उक्त पेन ड्राईव आर्टिकल ए है। शैलेष मिश्रा (अ.सा. 44) ने भी प्रतिपरीक्षण की कंडिका 11 में स्वीकार किया है कि लोडर आटो क्रमांक एम.पी. 21 एम/0522 में जप्त दस्तावेज के संबंध में उक्त पैन ड्राईव आर्टिकल ए तैयार की गई थी।

190. मूल प्रकरण के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि तत्कालीन थाना प्रभारी श्री शैलेष मिश्रा दिनांक 04.12.2017 ने तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय कटनी के समक्ष यह लिखित तहरीर दी थी कि उपरोक्त जप्तशुदा दस्तावेज आवश्यक नहीं हैं, जिसके उपरांत न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेज इस निर्देश के साथ सुपुर्दनामे पर दिये गये थे कि पुलिस थाना प्रभारी थाना कोतवाली कटनी उक्त दस्तावेजों को स्कैन कराकर सी.डी या पेन ड्राईव के रूप में स्वयं हस्ताक्षर कराते हुये प्रमाणित करेंगे कि उक्त दस्तावेजों की सही व पूर्ण स्कैनिंग है। सी.डी. अथवा पेन ड्राईव बनाकर उसे चलाकर देख लिया जाये कि रिकॉर्डिंग सही हुई है, जिससे उक्त सी.डी. या पेन ड्राईव के करप्ट होने की संभावना न रहे, उक्त आदेश के पालन उपरांत दस्तावेज सुपुर्दगी पर दे दिये। शैलेष मिश्रा (अ.सा.44) ने भी प्रतिपरीक्षण की कंडिका 11 में स्वीकार किया है कि लोडर आटो क्रमांक एम.पी. 21 एम/0522 में जप्त दस्तावेज ही सुपुर्दगी में दिये गये थे। उक्त जप्त दस्तावेजों की सुपुदर्गी के संबंध में न्यायालय द्वारा थाने से प्रतिवेदन मांगा गया था और उसके कार्यकाल में ही थाने में यह प्रतिवेदन दिया गया था कि उक्त दस्तावेजों की विवेचना में आवश्यकता नहीं है और पुलिस को सुपुर्दगी में दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

191. इस संबंध में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि तत्कालीन थाना

प्रभारी श्री शैलेष मिश्रा द्वारा दस्तावेजों की स्कैनिंग कराकर जो पेन ड्राईव तैयार की गई थी, उसे तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी के समक्ष चलाकर देखा गया था, परंतु पेन ड्राईव में लोडर आटो क्रमांक MP-21 M/0522 में जप्तशुदा 21 बोरा 03 बोरी दस्तावेज नहीं पाये गये, जिसकी पुष्टि उक्त पेन ड्राईव को चलाते समय उपस्थित साक्षी **विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ. सा.2)** ने अपने मुख्यपरीक्षण की कण्डिका 130 में यह स्वीकार किया है कि उक्त आर्टिकल ए की पेन ड्राईव उसके द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कम्प्यूटर पर चलाकर देखी गई है परंतु उसमे आरोपी सतीश सरावगी से संबंधित सत्यापित, बैंक के दस्तावेज, जो अभियोग पत्र के साथ पेश किये गये थे, मूल दस्तावेज प्रकरण की डायरी में विवेचना हेतु संलग्न थे, वह दस्तावेज पेन ड्राईव में उपलब्ध नहीं है। वाणिज्यिक कर अधिकारी कटनी वृत 2 एवं 1 से जिन फाईलों के संबंध में जानकारी ली गई थी उक्त फाईलें भी आर्टिकल ए की पेन ड्राईव में नही है। जबकि शैलेष मिश्रा (अ.सा.44) के समक्ष आर्टिकल ए की पैन ड्राईव न्यायालय के कम्प्यूटर में चलाकर दिखाये जाने पर साक्षी का कहना है कि वह आज नहीं बता सकता कि पैन ड्राईव में संग्रहित वही स्कैन किये दस्तावेज है अथवा नहीं जो सुपुर्दगी में दिये गये थे। इस प्रकार लोडर आटो क्रमांक MP-21 M/0522 में **जप्तशुदा 21 बोरा 03 बोरी दस्तावेजों को अभियोजन द्वारा आवश्यक न होने के आधार पर सुपुर्दगी पर दिया जाना तथा पेन ड्राईव में उन दस्तावेजों का नहीं होने से साक्ष्य विलोपन का उक्त आरोप स्वमेव ही अप्रमाणित हो गया है।**

192. अब यदि तर्क के लिये उक्त विचारणीय प्रश्न पर गुणदोष के आधार पर विचार किया जाये तो जप्तीकर्ता **राकेश पटेल (अ.सा.39)** ने यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 06.01.2017 को उसे मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक लोडर छोटा हाथी क्रमांक एम.पी. 21 एल/0522 में 20 से 22 बोरों में बैंक संबंधी दस्तावेज, फाईलें, कंपनियों व स्कूलों से संबंधित दस्तावेज की फाईलें भरकर, नदी पार से मिशन चौक तरफ लेकर जा रहे हैं, इस सूचना पर उसने आरक्षक दीपक तिवारी और प्रकाश सिंह को रवाना किया था, जो लोडर नंबर एम.पी. 21 एल/0522 में दस्तावेज भरे हुये बोरों में मिशन चौक में मिलने पर थाना लेकर आये थे। उसने उक्त लोडर आटो में बोरों के अंदर बैंक से संबंधित दस्तावेज, कंपनियों से संबंधित बाउचर, खाली व भरे हुये चैक आदि दस्तावेज देखे थे, संदेह होने पर उसने आटो में बैठे लकी तंतुवाय से लोडर में रखे दस्तावेज 21 बोरा और 03 बोरी को समक्ष गवाहन जप्त कर जप्तीपत्रक (प्र.पी.71) तैयार किया। आटो लोडर नंबर एम.पी. 21 एल/0522 मोहम्मद रोशन से जप्त कर जप्तीपत्रक (प्र.पी.77) तैयार किया। रोशन के द्वारा (प्र.पी. 95) की एंव लकी के द्वारा (प्र.पी.96) की शिकायत की गई। मोहम्मद रोशन और लकी तंतुवाय के पुलिस कथन लेखबद्ध किये थे, उक्त सभी कार्यवाही का

विवरण थाने के रोजनामचा सान्हा कमांक 98 दिनांक 07.01.2017 के 04.40 बजे दर्ज की थी, जो (प्र.पी.97) है। उक्त संबंध में इश्तगासा कमांक 01/17 धारा 102 द.प्र.सं. की कायमी कर इश्तगासा जांच में लिया था। **दीपक तिवारी (अ.सा. 32)** ने उक्त साक्षी के कथनों का समर्थन किया है।

193. **विवेचक एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2)** ने यह भी साक्ष्य दी है कि थाना कोतवाली के इश्तगासा कमांक 01/2017 धार 102 द.प्र.सं. के तहत जप्त दस्तावेजों की फाईल से पृष्ठ कमांक 88, 90 93, 97, 103 (प्र.पी.46ए लगायत प्रपी 46ई) निकाले गये, और जप्तीपत्रक (प्र.पी.46) तैयार किया। इश्तगासा कमांक 01/2017 धारा 102 द.प्र.सं. के तहत जप्त दस्तावेजों की फाईल से पृष्ठ कमांक 91, 92, 93, 94 95, 96 (प्र.पी. 47ए) निकाले गये, और जप्तीपत्रक (प्र.पी.47) तैयार किया गया परंतु उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 212 में स्वीकार किय है कि **प्र.पी. 46 एवं 47** में उल्लेखित दस्तावेजों का उसके द्वारा कोई जप्ती पत्रक तैयार नहीं किया गया है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 222 में भी यह स्पष्ट कर दिया है कि इश्तगासा कमांक 1/17 धारा 102 सी.आर.पी.सी. में जप्त लोडर ऑटो कमांक एम.पी. 21 एम 0522 में किसी भी अभियुक्तगण का नहीं है।

194. अभियोजन साक्षी राकेश पटेल (अ.सा.39) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 में यह स्वीकार किया है कि **किसी भी साक्षी ने उसे अपने कथनों में यह नहीं बताया था कि उक्त लोडर में रखे दस्तावेजों को सतीश सरावगी के द्वारा स्वयं लोड कराया गया या उस लोडर को सतीश सरावगी के द्वारा किराये पर लिया गया था**। उक्त जप्तीकर्ता साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8 में यह स्वीकार किया है कि उसने लोडर में रखे उक्त बोरों को खोलने का कोई पंचनामा तैयार नहीं किया था। उसने प्रत्येक बोरे में कितने और क्या दस्तावेज थे इसकी सूची भी तैयार नहीं किया था। रोजनामचा सान्हा प्र.पी. 97 में 20 बोरे लोड किये जाने की बात लेख की है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 9 में यह भी स्वीकार किया है कि साक्षी लकी तंतुवाय ने अपने कथनों में 20 बंडल आटो में लोड करने की बात बताई थी, 20 बोरे और तीन बोरी लोड करने की बात नहीं बताई थी। जिस स्थल से दस्तावेजों को लोड करना बताया गया था, वह वहां पर मौके पर नहीं था। उसने यह जानकारी नहीं लिया था कि जिस स्थल से दस्तावेज जप्त हुये हैं, वह किसका मकान है। उसने आसपास रहने वालों के कथन भी नहीं लिये थे। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। बाद की कार्यवाही थाना प्रभारी के द्वारा की गई थी जबकि थाना प्रभारी एस.पी.एस. बघेल (अ.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 213 में स्वीकार किया है कि उसने **प्र.पी. 46 एवं 47** में उल्लेखित दस्तावेजों की कोई जांच नहीं की है और किसी अन्य के द्वारा प्रकरण के अभियोग पत्र के अनुसार उपरोक्त दस्तावेजों के संबंध में कोई जांच

कर के प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

195. प्रकरण में उपरोक्त जप्ती की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षीगण **लकी तंतुवाय (अ.सा.13)** एंव मोहम्मद रोशन (अ.सा.16) द्वारा अभियोजन का समर्थन नही किया है और लकी तंतुवाय (अ.सा.13) ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र.पी. 71 पर उसने लिखापढी के बाद हस्ताक्षर किये थे। स्वतः कहा कि हस्ताक्षर के समय दस्तावेज खाली था और उसने खाली पर हस्ताक्षर किये थे। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन (प्र.पी.72 एंव 73) तथा धारा 164 द.प्र.सं. के कथनों में यह बताया था कि शंकर सतीश सरावगी का नौकर है, जो लड़के उसके पास कॉपी किताब लोड कराने आये थे, उन्होंने उससे कहा था कि सतीश सरावगी स्कूल वाले घर से कॉपी किताब लेकर जाना है। और उसने अपनी गाड़ी में जो कॉपी किताब और बंडल लोड किये थे, वह सतीश सरावगी के घर से किये थे। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 11 में यह स्वीकार किया है कि प्र. पी. 71 के जप्तीपत्रक और प्र.पी. 73 के कागज पर पुलिस ने कुछ नहीं लिखा था। पुलिस उसे डरा धमका रही थी, जिस कारण से उसने उन कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कर दिये थे। पुलिस उसे डरा धमका कर न्यायालय लेकर आई थी और पुलिस के डर के कारण ही उरसने उस समय न्यायालय में कथन किये थे।

196. इसी प्रकार **मोहम्मद रोशन (अ.सा.16)** ने भी इस बात से इंकार किया है कि उसने पुलिस कथन (प्र.पी.79 एंव 80) पुलिस को दिये थे और धारा 164 द.प्र.सं. के कथनों में उसने यह बताया था कि शंकर सतीश सरावगी का नौकर है, जो लड़के उसके पास कॉपी किताब लोड कराने आये थे, उन्होंने उससे कहा था कि सतीश सरावगी स्कूल वाले घर से कॉपी किताब लेकर जाना है। उक्त साक्षी ने धारा 164 के कथन (प्र.पी.78) भी नहीं दिया जाना बताया है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 9 में यह स्वीकार किया है कि प्र.पी. 77, प्र.पी. 79 एवं प्र.पी. 80 के दस्तावेजों पर पुलिस ने उससे दस्तख्त करा लिये थे। दस्तखत के समय उक्त दस्तावेज खाली थे। पुलिस ने उसे यह नहीं बताया था कि उक्त दस्तावेज किससे संबंधित हैं।

197. अभियोजन साक्षी **सत्यम गुप्ता (अ.सा.29)** द्वारा अभियोजन का समर्थन न किये जाने के कारण अभियोजन द्वारा उसे पक्षविरोधी घोषित कर सुझाव दिये जाने पर उक्त साक्षी ने अस्वीकार किया है दिनांक 06.01.2017 को लकी तंतुवाय से पुलिस ने उसके सामने छोटा हाथी लोडर नंबर एम.पी. 21 एल.0522 में लोड 21 बोरा, 03 बोरी दस्तावेजों को जप्त किया था, जप्ती पत्रक (प्र.पी.71) पुलिस ने उसके सामने तैयार किया था। उक्त साक्षी ने इन

सुझावों से भी इंकार किया है कि वह मोह. रोशन को जानता है, मोह. रोशन से पुलिस ने उसके सामने छोटा हाथी लोडर नं. एम.पी.21 एल 0522 में लोड 21 बोरा, 03 बोरी दस्तावेज को जप्त किया था और जप्ती पत्रक (प्र.पी.77) पुलिस ने उसके सामने तैयार किया था। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 7 में यह स्वीकार किया है कि थाने के पास से निकलते समय पुलिस वालों ने उसे थाने बुलाकर उपरोक्त सभी कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिये थे। हस्ताक्षर के समय उन कागजों पर कुछ नहीं था। उसने पुलिस के डर से उपरोक्त सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

198. अभियोजन साक्षी **विशाल रजक (अ.सा.30)** द्वारा अभियोजन का समर्थन न किये जाने के कारण अभियोजन द्वारा उसे पक्षविरोधी घोषित कर सुझाव दिये जाने पर उक्त साक्षी ने अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने लकी तंतुवाय से (प्र.पी.71) के अनुसार छोटा हाथी लोडर नंबर एम.पी. 21 एल. 0522 में लोड 21 बोरा, 03 बोरी दस्तावेजों को जप्त किया था तथा मोह. रोशन से छोटा हाथी लोडर नंबर एम.पी.21 एल. 0522 में लोड 21 बोरा, 03 बोरी दस्तावेजों को जप्त किया था, (प्र.पी.71 व 77) पर पुलिस ने लिखापढ़ी के उपरांत हस्ताक्षर किये थे। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के दबाव में प्र.पी. 71 व प्र.पी. 77 के कोरे कागजों पर हस्ताक्षर किये थे, जिस समय उसने हस्ताक्षर किये थे, उस समय उन कागजों पर कुछ लिखा नहीं था। उसने पुलिस के डर के कारण हस्ताक्षर कर दिये थे।

199. **इस प्रकार प्रकरण में अभियुक्त सतीश सरावगी पर** आपराधिक षड्यंत्र के अनुसरण में उक्त विभिन्न फर्जी फर्मों के नाम से विभिन्न बैंकों में विभिन्न फर्जी खाते खोलने संबधी एवं उक्त फर्जी बैंक खातों के माध्यम से विभिन्न राशियों के संव्यवहार करने/विभिन्न राशियां प्राप्त करने हेतु विभिन्न मूल्यवान दस्तावेजों (चैक, पे इन स्लिप आदि) की कूट रचना के अपराध के किये जाने की साक्ष्य का विलोपन, नदी पार, मरघटाई के पास अपने स्कूल में उक्त अपराध से संबंधित दस्तावेजों को छिपाने एवं दिनांक 06.01.17 को अपने स्कूल से उक्त दस्तावेजों को लोडर आटो क्रमांक MP-21 M/0522 के माध्यम से हटाये जाने संबधी आरोप भी विधिवत रूप से प्रमाणित नहीं है।

<u>विचारणीय प्रश्न क्र.11</u> दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति

200. अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जानें के संबध में धारा 106 साक्ष्य अधिनियम के आधार पर तर्क दिया गया है कि प्रकरण में राशि का संव्यवहार हुआ है और अभियुक्तगण को ही इस संबध में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिये थी परंतु उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं क्योंकि अभियोजन को

सर्वप्रथम अवपना प्रकरण स्वंय प्रमाणित करना होता है। अभियोजन बचाव पक्ष की दुर्बलता का लाभ नहीं ले सकता है। उक्त संबध में **न्यायदृष्टांत THE STATE OF MADHYA PRADESH vs BALVEER SINGH 2025 Supreme (SC) 391** मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधिक स्थिति स्पष्ट की गयी है कि–

75. Thus, from the aforesaid decisions of this Court, it is evident that the court should apply Section 106 of the Evidence Act in criminal cases with care and caution. It cannot be said that it has no application to criminal cases. The ordinary rule which applies to criminal trials in this country that the onus lies on the prosecution to prove the guilt of the accused is not in any way modified by the provisions contained in Section 106 of the Evidence Act.

76. Section 106 cannot be invoked to make up the inability of the prosecution to produce evidence of circumstances pointing to the guilt of the accused. This section cannot be used to support a conviction unless the prosecution has discharged the onus by proving all the elements necessary to establish the offence. It does not absolve the prosecution from the duty of proving that a crime was committed even though it is a matter specifically within the knowledge of the accused and it does not throw the burden on the accused to show that no crime was committed. To infer the guilt of the accused from absence of reasonable explanation in a case where the other circumstances are not by themselves enough to call for his explanation is to relieve the prosecution of its legitimate burden. So, until a prima facie case is established by such evidence, the onus does not shift to the accused.

201. इस संबध में प्रकरण के सर्वाधिक महत्वपुर्ण तथ्य यह भी है कि **मुख्य अभियुक्त सतीश सरावगी** द्वारा माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका **Satish Saravgi vs The State Of Madhya Pradesh** (CRR) 155/2018 on 20 November, 2018 में यह स्पष्ट रूप यह निष्कर्ष दिया गया है कि– After having heard learned counsel appearing on behalf of both the parties and upon giving an opportunity in reference to the charge sheet to learned Government Advocate to show the connection of opening of the account of Rajneesh Tiwari by the present applicant in the Axis Bank in the name of S.K.Minerals, it appears that there is no transaction in the name and account of the petitioner thereby he has defrauded Rajnesh Tiwari to the allegation as alleged. Considering the documents collected by the prosecution, learned

Government Advocate is not in a position to demonstrate the allegation as alleged in the charge that he either himself or in association with the co-accused persons opened the account. In absence thereto the framing of the charge under Section 420 & 420/34 primarily do not subsist, however, framing of the charge against the petitioner for the said offence as well as for other offence under Sections 467, 468, 471 & 120/34 of the IPC that included Sections 423 & 424/34 of the IPC stands set aside. अभियोजन ने उक्त आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी परंतु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत याचिका **SLP (Criminal)-No. 1012-2019** आदेश दिनांक 08.02.2019 से निरस्त हो चुकी है।

202. प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से विचारणीय प्रश्न क्र. 1 से 10 प्रमाणित होने की श्रेणी में नहीं आते है। इस संबध में न्यायदृष्टांत **के. पुणुस्वामी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु वाय इन्सपेक्टर ऑफ पुलिस डायरेक्टेड ऑफ विजिलेन्स ए.आई.आर. 2001 सु.को. 2464** अवलोकनीय है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ''**प्रमाणित होना**'' को विवेचित करते हुये व्यक्त किया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के प्रावधानो को अवलोकन उपरांत यह कहा जा सकता है कि किसी तथ्य को उस समय प्रमाणित होना कहा जा सकता है जबकि न्यायालय उसके समक्ष होने वाली सामग्री पर विचार करने के उपरांत प्रज्ञावान व्यक्ति के लिए संभाव्य होने के रूप में उसके अस्तित्व को होने वाला पाता है अथवा अस्तित्वयुक्त होने के संबंध में विचार करता है न्यायालय को यह विश्वास विशिष्ठ मामले की परिस्थितियों के अधीन करना होता है विश्वास पर पहुचने में न्यायालय किसी ऐसे तथ्य के अस्तित्व के संबंध में उपधारणा कर सकता है जो कि उसे घटनाओं के स्वाभाविक क्रम, मानवीय आचरण एवं लोक व निजी समव्यवहार को ध्यान में रखते हुये घटित होने वाला प्रतीत होता है वह ऐसा प्रत्येक मामलो के तथ्यों के संदर्भ में कर सकता है। न्यायदृष्टांत **मुसीर खान बनाम स्टेट 2010 (2) जे.एल.जे. 104–2010 (2) सु.को. केसेस 748** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपराध को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण का क्या अभिप्राय है स्पष्ट करते हुये व्यक्त किया गया कि इसको किसी अंकगणितीय फार्मूले की तरह नही समझा जाना चाहिए इसका अभिवाक् इस प्रकृति की साक्ष्य से माना गया जिसके आधार पर एक युक्तियुक्त व्यक्ति निश्चित निष्कर्ष निकालने में समर्थ हो सके।

203. न्यायदृष्टांत **रामदास बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. 2009 क्रीमिनल लॉ रिपोर्टर 395 म.प्र.** में अवधारित किया गया है कि अभियोजन के द्वारा मामले में जो श्रेष्ठ साक्ष्य हो सकती थी उसे प्रस्तुत नही करने पर अपराध संदेह से परे प्रमाणित नही माना जाना चाहिए। उक्त न्यायदृष्टांत में यह भी अवधारित किया

गया है कि अभियोजन पर आरंभिक प्रभार उन्मोचन करने आबद्धता है ऐसा किये जाने पर ही अभियुक्त के कंधो पर भार का उन्मोचन अंतरित होगा। जहॉ अभियोजन आरंभिक भार प्रमाणित करने में विफल है वहॉ अभियुक्त को खंडन में साक्ष्य प्रस्तुत करने की कोई आबद्ध नही है।

204. अब जहॉ तक प्रश्न प्रकरण के प्रार्थी द्वारा लिखायी गयी लिखित शिकायत प्रपी.51 व एफ.आई.आर. प्रपी.92 का प्रश्न है, न्यायदृष्टांत **ममताबाई पाटीदार विरूद्ध इस्माईल खान 2013 (2)एम.पी.एल.जे. 669** में अवधारित किया गया है कि एफ.आई.आर. सारवान साक्ष्य नही है, उसकी विषय वस्तु का उपयोग साक्षी के अंतर्विरोध लोप या सम्पुष्टि के लिए किया जाता है। इसी प्रकार जहॉ तक अभियोजन साक्षीगण के पुलिस कथनों का प्रश्न है, न्यायदृष्टांत **उदय चक्रवर्ती विरूद्ध पश्चिम बंगाल एवं अन्य 2010 (7) एस.सी.सी. 726** में अवधारित किया गया है कि पुलिस द्वारा साक्षीगण के लेखबद्ध धारा 161 दं.प्र.सं. के कथन सारवान साक्ष्य नही है, न्यायालय में साक्ष्य से खंडन कराये जाने के लिए प्रस्तुत किये जा सकते है। उक्त कथन साक्ष्य में ग्राह्य नही है और उन्हें आधार बनाकर आरोपी को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

205. इसी प्रकार साक्षीगण के धारा 164 द.प्र.स. के पुलिस द्वारा अभियोजन साक्षीगण के धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत लेखबद्ध कराये गये कथन भी सारवान साक्ष्य नही है, और केवल उन्हें आधार बनाकर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। इस संबध में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायदृष्टांत **Kanchedilal Thakur Versus State of Madhya Pradesh 2018 Supreme(MP) 204 (D.B.)** में Hon'ble Apex Court in case of R.Shaji Vs. State of Kerala reported in (2013) 14 SCC 266 अका उद्धरण देते हुये अवधारित किया गया है कि–

23. In the aforesaid judgment Hon'ble Supreme Court has considered the earlier judgments of the Apex Court and Privy counsel in which it has been held that the statement recorded under Section 164 of Cr.P.C. is not substantive piece of evidence. The Apex Court has also held that the statement recorded under Section 164 of Cr.P.C. by a witness cannot be treated as substantive piece of evidence and evidence given in a Court under oath has great sanctity that is why the same is called as substantive evidence. Because the witness resiled from their statements recorded under Section 164 of Cr.P.C., in our opinion, the statements cannot be used as substantive piece of evidence and the trial Court has committed an error of law in relying on the statements of Ramratan (PW-1) and Manisha (PW-2) recorded under Section 164 of Cr.P.C.

206. इस संबध में वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **Mahabir & Ors. Versus State Of Haryana 2025 Supreme (SC) 243** में प्रतिपादित निम्न सिद्धांत भी अवलोकनीय है–

81. There is a catena of decisions laying down the principle in law that the material elicited as contradiction by use of Section 145 of the Indian Evidence Act is not substantive evidence. Even in regard to the statement recorded under Section 164 of the CrPC by authorised Magistrate, it has been held accordingly. Therefore, the fact that the contradictions are proved through the investigating officers though the witnesses have denied having made such statements, does not translate the contradictions into substantive evidence. Unless there is substantive evidence, it cannot be acted upon legally particularly to base a conviction.

207. प्रकरण में अभियोजन/विवेचक की ओर से विचारणीय प्रश्न क्र. 1 से 10 के संबध में विवेचना के दौरान कोई भी सारवान साक्ष्य एकत्र करने का प्रयास नहीं किया है। प्रकरण में पुलिस द्वारा की गई उपेक्षा और लापरवाही का ज्वलंत उदाहरण जप्तशुदा दस्तावेजों के हस्ताक्षर एंव हस्तलिपि को अभियुक्तगण की हस्तलिपि एंव हस्ताक्षर से हस्तलेख विशेषज्ञ से परीक्षण एंव प्रमाणित नहीं करवाना है। इसके अतिरिक्त संबधित विभागों से भी सुसंगत दस्तावेज एंव साक्ष्य भी संकलित नहीं की गयी है। यह सभी परिस्थितियां पश्चातवर्ती विवेचना अधिकारी तथा विवेचना को अग्रेषित करने वाले थाना प्रभारी की अनुसंधान के दौरान की गई घोर उपेक्षा को ही परिलक्षित करता है और इतनी महत्वपूर्ण साक्ष्य ऐसे आर्थिक अपराध के मामले में एकत्रित किए जाने की कोई कार्यवाही न करते हुए उसे आवश्यक नहीं मानना आपत्तिजनक है और अनुसंधान अधिकारी/थाना प्रभारी का ऐसा आचरण ऐसे महत्वपूर्ण अपराध के अनुसंधान में पूर्णतः शिथिलता व अक्षमता दर्शाते हुए कार्य किया जाना प्रकट करता है जो न्याय प्रशासन के लिए घातक है।

208. इस प्रकार अभियोजन जिस कथानक के साथ अभियुक्तगण के विरूध अपना प्रकरण लाया है, उसके संबध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के कथनों में तात्विक विरोधाभास है। अभियोजन जिन साक्षियों पर निर्भर करता है वहीं अभियोजन कथा को अपने परीक्षण में नकारते हुये भिन्न–भिन्न कथन कर रहे हैं। जबकि दाण्डिक मामलों में अभियोजन से यह अपेक्षा रहती है कि अभियोजन आरोपी के विरूद्ध उनके द्वारा अपराध कारित किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करे परन्तु उक्त प्रकरण में अभियोजन ना तो प्रथम सूचना रिपोर्ट, एवं विवेचना को विधिनुसार प्रमाणित कर पाया है और ना ही अभियोजन की ओर से अभिलेख में कोई ऐसी मौखिक या

दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है जो आरोपी की उक्त अपराध में स्पष्ट रूप से संलिप्तता को दर्शित कर सके अथवा अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त अपराध को कारित किया जाना प्रमाणित कर सके। इस कारण से अभियुक्तगण संदेह का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है।

–अंतिम निष्कर्ष एवं आदेश–

209. आपराधिक न्याय प्रशासन का यह सर्वमान्य तथा मूल सिद्धांत है कि संदेह कितना भी प्रबल क्यों न हो और न्यायाधीश का कितना भी प्रबल नैतिकविश्वास एवं निश्चय हो परंतु जब तक वैध साक्ष्य तथा अभिलेख की विषय–वस्तु के आधार पर युक्तियुक्त शंका से परे दोषारोप सिद्ध नहीं होता तब तक अभियुक्तगण को दंडित नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण **अभियुक्त संदीप बर्मन, मानवेन्द्र मिस्त्री, मनीष सरवगी, दस्सू पटेल, नरेश पोद्दार एवं नरेश कुमार बर्मन** ने घटना दिनांक 30.03.16 से 12.07.16 के मध्य समय 12 बजे से 23:30 बजे के मध्य स्विस बैंक, फारेस्टर प्लेग्राउंड के सामने सिविल लाईन कटनी में अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर कूटरचना करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसे अग्रसर करते हुये फरियादी रजनीश तिवारी के वोटर आई.डी. ड्राईविंग लाईसेंस के प्रयोग से आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक एकाउण्ट व फर्जी कंपनी खोलने में उसके कूटरचित हस्ताक्षर किये, छल के प्रयोजन से कूटरचना करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसे अग्रसर करते हुये फरियादी रजनीश तिवारी के नाम पर बैंक एकाउण्ट फार्म व फर्जी कंपनी खोलने व संचालित करने संबंधी दस्तावेज इस आशय से कूटरचित किया कि उसे छल के प्रयोजन से उपयोग में लाया जायेगा एंव कूटरचित दस्तावेज का असली के रूप में उपयोग में लाये जाने का सामान्य आशय निर्मित कर उसे अग्रसर करते हुये अभियुक्तगण ने यह जानते हुये कि रजनीश तिवारी के नाम का बैंक अकाउण्ट व खोली गई फर्म व कंपनियां कूटरचित है, को बेईमानीपूर्वक असल के रूप में उपयोग कर पैसो का लेनदेन किया तथा फरियादी रजनीश तिवारी की सहमति के बिना उसके नाम के कूटरचित फर्जी बैंक एकाउण्ट तथा कंपनिया खोलकर अपराधिक षडयंत्र कारित किया।

210. अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि **अभियुक्त सतीश सरावगी एंव मो. यासीन ने** सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अवैध कार्य/अपराध दस्तावेजों की कूटरचना करके कूट रचित दस्तावेजों से फर्जी फर्मों शिव आराधना इंटरप्राईजेस, प्रभु वंदना इंटरप्राइजेस, बाहुबली ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स व्यापार ट्रेडिंग, यूनिक ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स श्री

लक्ष्मी इंटरप्राइजेस, मेसर्स हरिओम इंटरप्राइजेस, मेसर्स अंकुर इंटरप्राइजेस, मेसर्स आदिनाथ सर्विसेस, रामा इंटरप्राइजेस, एस.के. मिनरल्स, शुभम ट्रेडिंग कंपनी, श्री मिनरल्स, मेसर्स श्वेता इंटरप्राइजेस, मां शारदा इंटरप्राइजेज, राधास्वामी इंटरप्राइजेस आदि का गठन किया, विभिन्न बैंकों (एक्सिस बैंक, एच. डी.एफ.सी. बैंक, आंध्रा बैंक आदि) में दस्तावेजों की कूट रचना कर कूट रचित दस्तावेजों से विभिन्न खाते खोले उनके माध्यम से लाखों करोड़ो रूपये के अवैध संव्यवहार किया एंव आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में संजय तिवारी एवं रजनीश तिवारी आदि के साथ छल कारित करने के आशय से उनसे कपट पूर्वक उनके विभिन्न दस्तावेज परिचय पत्र,फोटो,चालन अनुज्ञप्ति आदि प्राप्त किये और उनका दुरूपयोग करके छल पूर्वक विभिन्न फर्जी फर्मों (एस. के. मिनरल्स, रामा इंटरप्राइजेज आदि) का गठन किया और उक्त फर्जी फर्मों के नाम से विभिन्न बैंकों में फर्जी खाते खोलकर उनके माध्यम से पैसों का लेनदेन कर उनके साथ छल कारित किया तथा उस अपराध के किये जाने की साक्ष्य का विलोपन, नदी पार, मरघटाई के पास अपने स्कूल में उक्त अपराध से संबंधित दस्तावेजों को छिपाने एवं उक्त स्कूल से उक्त दस्तावेजों को लोडर आटो क्रमांक MP-21 M/0522 के माध्यम से हटाकर किया।

211. अतः अभियुक्तगण संदीप बर्मन, मानवेन्द्र मिस्त्री, मनीष सरवगी, दस्सू पटेल, नरेश पोद्दार एवं नरेश कुमार बर्मन को धारा 467 या 467/34, 468 या 468/34, 471, 120बी या 120बी/34 भा.दं.सं. के अपराध के आरोप से एंव अभियुक्त सतीश सरावगी को धारा 120बी, 465/120बी, 467/120बी, 468/120बी, 471, 201, भा.दं.सं. के अपराध के आरोप से तथा अभियुक्त मो. यासीन को धारा 120बी (2 काउंट), 467/120बी (2 काउंट), 468/120बी (2 काउंट) एवं 471 (2 काउंट) भा.दं.सं. के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

212. विचारण के दौरान अभियुक्तगण प्रारूप ड के अनुसार जमानत पर रहें है। अतः उनके द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि का धारा 428 द.प्र.सं. /468 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत प्रमाण पत्र उक्त प्रारूप अनुसार बनाकर अभिलेख के संलग्न किया जावे।

213. प्रकरण में अभियुक्तगण के द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति एवं बंधपत्र आगामी छः माह तक प्रभावी रहेंगे तथा अपील होने की दशा में आरोपी अपील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के संबंध में धारा 437–ए द.प्र.सं./481 बीएनएसएस के प्रावधानों के प्रकाश में दायित्वाधीन होंगे।

214. प्रकरण में लोडर आटो क्रमांक एम.पी. 21 एम/0522 में जप्त

दस्तावेज पूर्व से सुपुर्ददार राजू बर्मन एंव सुरेन्द्र पटेल को 2–2 लाख के सुपुर्दनामे एंव 2–2 लाख की जमानत पर है। अपील अवधि पश्चात् उक्त सुपुर्दनामा व जमानत भारमुक्त किये जाते हैं। यदि अपील होती है तो यह आदेश माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के अधीन होगा।

215. जिला दंडाधिकारी जबलपुर को धारा 365 द.प्र.सं/406 भा.ना.सु. सं. के अंतर्गत निर्णय की प्रति प्रेषित की जाए।

216. निर्णय की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु आई0जी0 जबलपुर को भी प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित

इरशाद अहमद
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश
जिला–जबलपुर म0प्र0

इरशाद अहमद
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश
जिला– जबलपुर म0प्र0

प्रारूप–च

<u>अभियोजन साक्षियों की सूची/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची</u>

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी,पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.01	अजय सिंह	जप्ती, मेमोरेंडम एवं विवेचना
अ.सा.02	एस.पी. सिंह बघेल	विवेचक
अ.सा.03	शैलेन्द्र ताम्रकार	बैंक साक्षी
अ.सा.04	रजनीश तिवारी	शिकायतकर्ता
अ.सा.05	नंदकिशोर अहिरवार	जप्ती कार्यवाही का साक्षी
अ.सा.06	रामकुमार सिंह	बैंक का साक्षी

अ.सा.07	संजय मिश्रा	जप्ती कार्यवाही का साक्षी
अ.सा.08	महंत कुमार चौधरी	मेमोरेंडम का साक्षी
अ.सा.9	श्रीमती सरस्वती	स्वतंत्र साक्षी
अ.सा.10	अवस्थी सिंह ठाकुर	जप्ती कार्यवाही का साक्षी
अ.सा.11	श्रीमती राधा बर्मन	स्वतंत्र साक्षी
अ.सा.12	श्रीमती रंजना बर्मन	स्वतंत्र साक्षी
अ.सा.13	लकी तंतुवाय	जप्ती पत्रक प्र.पी.71 का साक्षी
अ.सा.14	राजेश श्रीवास	मेमोरेंडम साक्षी
अ.सा.15	कृष्ण कुमार शर्मा	जप्ती कार्यवाही का साक्षी
अ.सा.16	मोहम्मद रोशन	लोडर वाहन क्र. एम.पी.21 एल.0522 का चालक
अ.सा.17	अवतार सिंह दाहिया	जप्ती कार्यवाही का साक्षी
अ.सा.18	दीपक तिवारी	बैंक का साक्षी
अ.सा.19	गोंविंद प्रसाद तिवारी	शिकायतकर्ता का पिता साक्षी
अ.सा.20	जगबंधू बेहरा	स्वतंत्र साक्षी
अ.सा.21	नावेद अख्तर	स्वतंत्र साक्षी
अ.सा.22	सत्यप्रकाश जाटव	जप्ती कार्यवाही का साक्षी
अ.सा.23	प्रदीप कुमार गुप्ता	जप्ती कार्यवाही का साक्षी
अ.सा.24	संजय तिवारी	जप्ती कार्यवाही का साक्षी
अ.सा.25	कबली प्रसाद पटेल	स्वतंत्र साक्षी
अ.सा.26	शिव कुमार शर्मा	मालिक लोडर वाहन क्र. एम.पी. 21 एल. 0522
अ.सा.27	पप्पू@प्रहलाद अग्रवाल	स्वतंत्र साक्षी
अ.सा.28	सुनील कुमार	बैंक का साक्षी
अ.सा.29	सत्यम गुप्ता	मेमोरेंडम, जप्ती एवं गिरफ्तारी का साक्षी
अ.सा.30	विशाल रजक	जप्ती कार्यवाही का साक्षी
अ.सा.31	निखिल सेठिया	जप्ती कार्यवाही का साक्षी
अ.सा.32	दीपक तिवारी	जप्ती एवं गिरफ्तारी कार्यवाही का साक्षी
अ.सा.33	दिनेश कुमार	प्रथम सूचना लेखक
अ.सा.34	के. मोहन बाबू	बैंक का साक्षी

अ.सा.35	मनोज कुमार मिश्रा	जप्ती कार्यवाही का साक्षी
अ.सा.36	राजेश चौधरी	जप्ती कार्यवाही का साक्षी
अ.सा.37	अमित अधिकारी	शिकायतकर्ता प्र.पी. 36
अ.सा.38	अनिल सिंह	स्वतंत्र साक्षी
अ.सा.39	राकेश पटेल	जप्तीकर्ता
अ.सा.40	एस.पी. पांडे	बैंक का साक्षी
अ.सा.41	चन्द्रकुंवर सिंह	वाणिज्य कर अधिकारी
अ.सा.42	लक्ष्मणप्रसाद खटीक	अधीक्षण यंत्री विद्युत विभाग कटनी
अ.सा.43	दुर्गेश कुमार	मेमोरेंडम एवं गिरफ्तारी का साक्षी
अ.सा.44	शैलेष मिश्रा	विवेचक साक्षी
अ.सा.45	राजेश आहूजा	हस्तलिपि विशेषज्ञ
अ.सा.46	सोमेश महेश्वरी	स्वतंत्र साक्षी
अ.सा.47	अनिल कुमार तिवारी	आयकर अधिकारी
अ.सा.48	डी.के. सिंह	आयकर अधिकारी
अ.सा.49	कपिल कुमार	बैंक का साक्षी
अ.सा.50	गोंविंद प्रसाद डहेरिया	बैंक का साक्षी
अ.सा.51	अभिजीत तिवारी	बैंक का साक्षी
अ.सा.52	नितिन जैन	बैंक का साक्षी
अ.सा.53	आशुतोष चटर्जी	आयकर अधिकारी
अ.सा.54	मोतीलाल गोले	दस्तावेज विशेषज्ञ के पास जमा करने का साक्षी
अ.सा.55	अनिल गौतम	दस्तावेज विशेषज्ञ के पास जमा करने का साक्षी
अ.सा.56	विजय शंकर गिरी	मेमोरेंडम एवं जप्ती का साक्षी

<u>प्रतिरक्षा साक्षियों की सूची</u>

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शो की सूची

क. अभियोजन प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श पी. 1 /(अ.सा.1)	जप्ती पत्रक (चैक)
02	प्रदर्श पी. 2/(अ.सा.1)	चैक
03	प्र.पी. 3/(अ.सा.1)	जप्ती पत्रक यूको बैंक सुनील कुमार
04	प्रदर्श पी. 4/(अ.सा.1)	जप्ती पत्रक श्रम विभाग, एम.के. मिश्रा
05	प्रदर्श पी 4ए /(अ.सा.1)	सियाराम मिनरल्स के रजिस्ट्रेशन क्रमांक 4889 का रजिस्ट्रेशन फार्म
06	प्रदर्श पी 4बी/(अ.सा.1)	श्री लक्ष्मी इंटरप्राईजेस के रजिस्ट्रेशन क्रमांक 12264 का रजिस्ट्रेशन फार्म
07	प्रदर्श पी 4सी/(अ.सा.1)	व्यापार ट्रेडिंग कंपनी के रजिस्ट्रेशन क्रमांक 12533 का रजिस्ट्रेशन फार्म
08	प्रदर्श पी 4डी/(अ.सा.1)	बाहूबली ट्रेडिंग कंपनी के रजिस्ट्रेशन क्रमांक 12262 का रजिस्ट्रेशन फार्म
09	प्रदर्श पी 4ई/(अ.सा.1)	शिव आराधना इंटरप्राईजेस के रजि. क्रमांक 12532 का रजिस्ट्रेशन फार्म
10	प्रदर्श पी 4 एफ/(अ.सा.1)	हरिओम इंटरप्राईजेस के रजिस्ट्रेशन क्रमांक 12263 का रजिस्ट्रेशन फार्म
11	प्रदर्श पी. 5/(अ.सा.1)	जप्ती पत्रक एक्सिस बैंक–रामकुमार
12	प्रदर्श पी. 6/(अ.सा.1)	जप्ती पत्रक इंकम टैक्स–कृष्ण कुमार
13	प्रदर्श पी. 7/(अ.सा.1)	जप्ती पत्रक एच.डी.एफ.सी–दीपक
14	प्रदर्श पी. 8/(अ.सा.1)	जप्ती पत्रक बैंक ऑफ बड़ौदा–अरविंद
15	प्रदर्श पी.9/(अ.सा.1)	जप्ती पत्रक एच.डी.एफ.सी–दीपक
16	प्रदर्श पी 10/(अ.सा.1)	जप्ती पत्रक एक्सिस बैंक–रामकुमार
17	प्रदर्श पी 11/(अ.सा.1)	जप्ती पत्रक यूनियन बैंक–सत्यप्रकाश
18	प्रदर्श पी 12/(अ.सा.1)	जप्ती पत्रक यूनियन बैंक–सत्यप्रकाश
19	प्रदर्श पी 13/(अ.सा.1)	जप्ती पत्रक आंध्रा बैंक–के. मोहन बाबू
20	प्रदर्श पी 14/(अ.सा.1)	जप्ती पत्रक बड़ौदा बैंक–अरविंद

21	प्रदर्श पी 15/(अ.सा.1)	जप्ती पत्रक–मानवेन्द्र
22	प्रदर्श पी 16/(अ.सा.1)	मेमोरेंडम कथन–मानवेन्द्र
23	प्रदर्श पी 17/(अ.सा.1)	मेमोरेंडम कथन–मानवेन्द्र
24	प्रदर्श पी 18/(अ.सा.2)	जप्ती पत्रक, एक्सिस बैंक–रामकुमार
25	प्रदर्श पी 18ए(अ.सा.2)	रजनीश तिवारी के करेंट एकाउंट ओपनिंग फार्म की मूल प्रति
26	प्रदर्श पी 19/(अ.सा.2)	जप्ती पत्रक एक्सिस बैंक–रामकुमार
27	प्रदर्श पी 19ए(अ.सा.2)	एस.के. मिनरल्स के करेंट ओपनिंग फार्म की मूल प्रति
28	प्रदर्श पी 19बी(अ.सा.2)	जप्ती पत्रक 19 के क्रमांक 4 में एकाउंट नंबर से संबंधित मूल प्रति
29	प्रदर्श पी 20/(अ.सा.2)	जप्ती पत्रक–संदीप बर्मन
30	प्रदर्श पी 20ए(अ.सा.1)	दिनांक 28.07.2016 का मूल पत्र
31	प्रदर्श पी 20बी(अ.सा.1)	आयकर विभाग का मूल पत्र क्र. 7891
32	प्रदर्श पी 20ए–1 (अ.सा.1)	दि. 28.07.2016 इंकम टैक्स के नोटिस
33	प्रदर्श पी 20ए–2(अ.सा.1)	संदीप बर्मन को दिया गया इंकम टैक्स का नोटिस
34	प्रदर्श पी 20–सी(अ.सा.1)	जप्ती पत्रक प्र.पी. 20 के अनुसार संदीप बर्मन के एकाउंट स्टेटमेंट की मूल प्रति
35	प्रदर्श पी 20–डी(अ.सा.1)	आयकर नोटिस डिमांड 271ए दिनांक 28.07.2016
36	प्रदर्श पी 20–ई(अ.सा.1)	संदीप बर्मन के नाम से जारी आयकर पेन सेवा ईकाई का पत्र
37	प्रदर्श पी 21/(अ.सा.2)	संदीप बर्मन का गिरफ्तारी पत्रक
38	प्रदर्श पी 22/(अ.सा.2)	संदीप बर्मन का मेमोरेंडम कथन
39	प्रदर्श पी 23/(अ.सा.2)	सतीश सरावगी का मेमोरेंडम कथन
40	प्रदर्श पी 24/(अ.सा.2)	जप्ती पत्रक–सतीश सरावगी
41	प्रदर्श पी 24ए	संदीप बर्मन को इंकम टैक्स का भेजा पत्र
42	प्रदर्श पी 24बी	संजय तिवारी को भेजा गया पत्र

43	प्रदर्श पी–24सी	अभियुक्त नरेश बर्मन को इंकम टैक्स का भेजा गया पत्र
44	प्रदर्श पी–25 / (अ.सा.2)	सतीश सरावगी का गिरफ्तारी पत्रक
45	प्रदर्श पी–26 / (अ.सा.2)	जप्ती पत्रक–संजय तिवारी
46	प्रदर्श पी 26–ए	इंकम टैक्स का भेजा नोटिस
47	प्रदर्श पी–27 / (अ.सा.2)	जप्ती पत्रक एक्सिस बैंक–रामकुमार
48	प्रदर्श पी–27–ए / (अ.सा.2)	वीना ट्रेडिंग कंपनी का बैंक खाता खोलने का फार्म एवं दस्तावेज
49	प्रदर्श पी–27–बी / (अ.सा.2)	शिव आराधना का बैंक खाता खोलने का फार्म एवं दस्तावेज
50	प्रदर्श पी–27–सी / (अ.सा.2)	प्रभूवंदना इंटरप्राईजेस का बैंक खाता खोलने का फार्म एवं दस्तावेज
51	प्रदर्श पी–27–डी / (अ.सा.2)	श्याम मिनरल्स का बैंक खाता खोलने का फार्म एवं दस्तावेज
52	प्रदर्श पी–27–ई / (अ.सा.2)	प्रजापति इंटरप्राईजेस का बैंक खाता खोलने का फार्म एवं दस्तावेज
53	प्रदर्श पी–27–एफ / (अ.सा.2)	बाहूबली ट्रेडिंग का बैंक खाता खोलने का फार्म एवं दस्तावेज
54	प्रदर्श पी–27–जी / (अ.सा. 2)	गणपति ट्रेडिंग का बैंक खाता खोलने का फार्म एवं दस्तावेज
55	प्रदर्श पी–27–एच (अ.सा.2)	व्यापार ट्रेडिंग का बैंक खाता खोलने का फार्म एवं दस्तावेज
56	प्रदर्श पी–27–आई (अ.सा.2)	यूनिक ट्रेडिंग कंपनी का बैंक खाता खोलने का फार्म एवं दस्तावेज
57	प्रदर्श पी–27–आई (अ.सा.2)	लक्ष्मी इंटरप्राईजेस का बैंक खाता खोलने का फार्म एवं दस्तावेज
58	प्रदर्श पी–28 / (अ.सा.2)	मानवेन्द्र मिस्त्री का गिरफ्तारी पत्रक
59	प्रदर्श पी–29 / (अ.सा.2)	इस्तगासा नंबर 01 / 17 में जप्तशुदा मूल दस्तावेज की छाया प्रति
60	प्रदर्श पी–30 / (अ.सा.2)	दिनांक 10.03.2017 को एक्सिस बैंक को प्रेषित पत्र शिव आराधना

		इंटरप्राईजेस
61	प्रदर्श पी–31 / (अ.सा.2)	एस.के. मिनरल्स के खाते नंबर 317010 200010007में हुये संव्यवहार का विवरण
62	प्रदर्श पी–32 / (अ.सा.2)	एस.के. मिनरल्स के खाते नंबर 317010 200010078में हुये संव्यवहार का विवरण
63	प्रदर्श पी–33 / (अ.सा.2)	आई.डी.बी.आई बैंक को सुगम होल्डिंग प्रा.लि. के संबंध में लिखा गया पत्र
64	प्रदर्श पी–34 व 35 (अ.सा.2)	संजय तिवारी एवं कृष्ण कुमार के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन हेतु आवेदन पत्र
65	प्रदर्श पी–36 / (अ.सा.2)	पुलिस अधीक्षक कटनी को अमित कुमार अधिकारी द्वारा भेजा शिकायत आवेदन
66	प्रदर्श पी–37 / (अ.सा.2)	रजनीश तिवारी के एकाउंट के संबंध में बैंक ऑफ बड़ौदा से चाही गई जानकारी
67	प्रदर्श पी–38 / (अ.सा.2)	मानवेन्द्र के नमूना हस्ताक्षर संबंधी प्रपत्र
68	प्रदर्श पी–39 / (अ.सा.2)	सतीश सरावगी के नमूना हस्ताक्षर
69	प्रदर्श पी–40 / (अ.सा.2)	मानवेन्द्र मिस्त्री के नमूना हस्ताक्षर
70	प्रदर्श पी–41 / (अ.सा.2)	वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा दिनांक 10.01.2017 को भेजी गई जानकारी
71	प्रदर्श पी–42 / (अ.सा.2)	वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा दिनांक 09.05.2017 को भेजी गई जानकारी
72	प्रदर्श पी–43 / (अ.सा.2)	पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजा गया ड्राफ्ट
73	प्रदर्श पी–44 / (अ.सा.2)	दस्तावेज विशेषज्ञ भोपाल से प्राप्त रिपोर्ट
74	प्रदर्श पी–44ए / (अ.सा.2)	राज्य परीक्षक का पत्र
75	प्रदर्श पी–45 / (अ.सा.2)	स्टेट एग्जामिनर द्वारा प्रेषित पत्र
76	प्रदर्श पी–46 / (अ.सा.2)	जप्ती पत्रक (इस्तगासा क्र 1 / 17 धारा 102 सी.आर.पी.सी. से जप्त दस्तावेज)
77	प्रदर्श पी–46ए लगायत 46 ई (अ.सा.2)	सतीश सरावगी एवं उनके कर्मचारी के नाम की फर्म से लेनदेन संबंधी दस्तावेज

78	प्रदर्श पी–47 / (अ.सा.2)	इस्तगासा क्र 1 / 17 में जप्त दस्तावेज
79	प्रदर्श पी–47ए / (अ.सा.2)	आरोपी सतीश सरावगी के जप्त दस्तावेज
80	प्रदर्श पी–48 व 49 (अ.सा.2)	फरियादी रजनीश कुमार तिवारी के नमूना हस्ताक्षर (आर.के. तिवारी)
81	प्रदर्श पी–50 / (अ.सा.2)	रजनीश तिवारी की लिखावट नमूना
82	प्रदर्श पी–51 / (अ.सा.4)	रजनीश कुमार तिवारी द्वारा पुलिस अधीक्षक कटनी को की गई शिकायत
83	प्रदर्श पी–52 / (अ.सा.4)	रजनीश कुमार तिवारी के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन
84	प्रदर्श पी–53 / (अ.सा.4)	श्वेता इंटरप्राईजेज से संबंधित एच. डी.एफ.सी.बैंक में खाता खोलने का फार्म
85	प्रदर्श पी–54 / (अ.सा.4)	रजनीश तिवारी के पेन कार्ड की प्रति
86	प्रदर्श पी–55 / (अ.सा.4)	रजनीश तिवारी के ड्राईविंग लाईसेंस की फोटोप्रति
87	प्रदर्श पी–56 / (अ.सा.4)	रजनीश तिवारी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में खाता खुलवाने का फार्म
88	प्रदर्श पी–56ए / (अ.सा.4)	फार्म नंबर 60 पत्रक
89	प्रदर्श पी–57 / (अ.सा.4)	रजनीश तिवारी से संबंधित यूको बैंक का एकाउंट ओपनिंग फार्म
90	प्रदर्श पी–57ए / (अ.सा.4)	फार्म नंबर 60 पत्रक
91	प्रदर्श पी–58 / (अ.सा.4)	पूरक पुलिस कथन–रजनीश तिवारी
92	प्रदर्श पी–59 / (अ.सा.6)	एक्सिस बैंक द्वारा दी गई जानकारी
93	प्रदर्श पी–60 / (अ.सा.6)	एक्सिस बैंक द्वारा मानवेन्द्र मिस्त्री के एकाउंट की दी गई जानकारी
94	प्रदर्श पी–61, 62 व 63 (अ.सा.6)	एक्सिस बैंक द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली कटनी को दी गई जानकारी
95	प्रदश्र पी–64 / (अ.सा.6)	एक्सिस बैंक चैक बुक व ए.टी.एम. संबंधी दी गई जानकारी
96	प्रदर्श पी.–65 / (अ.सा.6)	एक्सिस बैंक के खाता नंबर 317010200010007 का स्टेटमेंट

97	प्रदर्श पी.–66 / (अ.सा.6)	एक्सिस बैंक के खाता नंबर 3170200013378 का स्टेटमेंट
99	प्रदर्श पी.–67 / (अ.सा.6)	एक्सिस बैंक के खाता नंबर 3170200014304 का स्टेटमेंट
99	प्रदर्श पी.–68 / (अ.सा.9)	श्रीमती सरस्वती पटेल का पुलिस कथन
100	प्रदर्श पी–69 / (अ.सा.11)	श्रीमती राधा बर्मन का पुलिस कथन
101	प्रदर्श पी–70 / (अ.सा.12)	श्रीमती रंजना बर्मन का पुलिस कथन
102	प्रदर्श पी–71 / (अ.सा.13)	जप्ती पत्रक लकी तन्तुवाय–छोटा हाथी एवं 21 बोरा, 3 बोरी दस्तावेज
103	प्रदर्श पी–72 / (अ.सा.13)	लकी तंतुवाय का पुलिस कथन दिनांक 26.05.17
104	प्रदर्श पी–73 / (अ.सा.13)	लकी तंतुवाय का पुलिस कथन दिनांक 06.01.17
105	प्रदर्श पी–74 / (अ.सा.13)	लकी तंतुवाय का धारा 164 दं.प्र.सं. का कथन
106	प्रदर्श पी–75 / (अ.सा.15)	कृष्ण कुमार शर्मा का धारा 164 दं.प्र.सं. का कथन
107	प्रदर्श पी–76 / (अ.सा.15)	कृष्ण कुमार शर्मा का पुलिस कथन
108	प्रदर्श पी–77 / (अ.सा.16)	जप्ती पत्रक मो. रोशन से
109	प्रदर्श पी–78 / (अ.सा.16)	मोहम्मद रोशन का धारा 164 दं.प्र.सं. का कथन
110	प्रदर्श पी–79 / (अ.सा.16)	मोहम्मद रोशन का पुलिस कथन दिनांक 06.01.17
111	प्रदर्श पी–80 / (अ.सा.16)	मोहम्मद रोशन का पुलिस कथन दिनांक 26.05.17
112	प्रदर्श पी–81 / (अ.सा.19)	गोविंद प्रसाद तिवारी का पुलिस कथन
113	प्रदर्श पी–82 / (अ.सा.20)	जगबंधू बेहरा का धारा 164 दं.प्र.सं. का कथन
114	प्रदर्श पी–83 / (अ.सा.20)	जगबंधू बेहरा का पुलिस कथन
115	प्रदर्श पी–84 / (अ.सा.21)	नावेद अख्तर का धारा 164 दं.प्र.सं. का कथन

116	प्रदर्श पी–85 / (अ.सा.24)	संजय तिवारी का धारा 164 दं.प्र.सं. का कथन
117	प्रदर्श पी–86 / (अ.सा.25)	कबली प्रसाद पटेल का पुलिस कथन
118	प्रदर्श पी–87 / (अ.सा.27)	पप्पू@प्रहलाद अग्रवाल का पुलिस कथन
119	प्रदर्श पी–88 / (अ.सा.29)	गिरफ्तारी पत्रक
120	प्रदर्श पी–89 / (अ.सा.29)	गिरफ्तारी पत्रक
121	प्रदर्श पी–90 / (अ.सा.29)	गिरफ्तारी पत्रक
122	प्रदर्श पी–91 / (अ.सा.29)	गिरफ्तारी पत्रक
123	प्रदर्श पी–92 / (अ.सा.33)	प्रथम सूचना रिपोर्ट
124	प्रदर्श पी–93 / (अ.सा.37)	साक्षी अमित अधिकारी का धारा 164 दं.प्र.सं. का कथन
125	प्रदर्श पी–94 / (अ.सा.38)	साक्षी अनिल सिंह का धारा 164 दं.प्र.सं. का कथन
126	प्रदर्श पी–95 / (अ.सा.39)	रोशन के द्वारा की गई शिकायत दिनांक 06.01.2017
127	प्रदर्श पी–96 / (अ.सा.39)	लकी के द्वारा की गई शिकायत दिनांक 06.01.2017
128	प्रदर्श पी–97 / (अ.सा.39)	रोजनामचा सान्हा दिनांक 07.01.2017
129	प्रदर्श पी–98 / (अ.सा.41)	सहायक आयुक्त वाणिज्य कर राजेन्द्र मर्सकोले द्वारा दी गई जानकारी
130	प्रदर्श पी–99 / (अ.सा.41)	वाणिज्य कर अधिकारी कटनी वृत द्वारा प्रेषित जानकारी
131	प्रदर्श पी–100 / (अ.सा.42)	थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा विद्युत विभाग कटनी को लिखा गया पत्र
132	प्रदर्श पी–101 / (अ.सा.42)	विद्युत विभाग कटनी द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली कटनी को भेजा गया जवाब
133	प्रदर्श पी–101ए / (अ.सा.42)	बिजली विभाग के द्वारा थाना कोतवाली को दी गई जानकारी
134	प्रदर्श पी–102,103 (अ.सा.44)	मोहम्मद यासीन का फरारी पंचनामा
135	प्रदर्शपी–103ए	अभियोग पत्र

136	प्रदर्श पी–104 / (अ.सा.45)	अति. राज्य परीक्षक राजेश आहूजा द्वारा दिया गया अभिमत
137	प्रदर्श पी–105 / (अ.सा.45)	सतीश सरावगी की नमूना लिखावट
138	प्रदर्श पी–106 / (अ.सा.6)	करंट एकाउंट ओपनिंग फार्म
139	प्रदर्श पी–107 / (अ.सा.6)	एक्सिस बैंक का स्टेटमेंट
140	प्रदर्श पी–108 / (अ.सा.6)	बैंक का स्टेटमेंट
141	प्रदर्श पी–109 / (अ.सा.6)	सोमेश माहेश्वरी का पुलिस कथन
142	प्रदर्श पी–110 / (अ.सा.2)	बैंक का स्टेटमेंट
143	प्रदर्श पी–111 / (अ.सा.2)	मुख्य प्रबंधक यूनियन बैंक द्वारा थाना कोतवाली को दी गई जानकारी
144	प्रदर्श पी–112 / (अ.सा.2)	आंध्रा बैंक के मैनेजर द्वारा थाना कोतवाली कटनी को दी गई जानकारी
145	प्रदर्श पी–113 / (अ.सा.2)	आंध्रा बैंक के मैनेजर द्वारा थाना कोतवाली कटनी को दी गई जानकारी
146	प्रदर्श पी–114 / (अ.सा.2)	बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा खाते में हुये लेनदेन संबंधी दी गई जानकारी एवं पत्र
147	प्रदर्श पी–115 / (अ.सा.2)	एच.डी.एफ.सी.द्वारा थाना कोतवाली कटनी को दी गई जानकारी
148	प्रदर्श पी–116सी / (अ.सा.47)	इंकमटैक्स विभाग का पत्र दि. 28.03.16
149	प्रदर्श पी–117सी / (अ.सा.47)	इंकमटैक्स विभाग का पत्र दि. 29.03.16
150	प्रदर्श पी–118सी / (अ.सा.47)	इंकमटैक्स विभाग का पत्र दि. 30.03.16
151	प्रदर्श पी–119सी / (अ.सा.47)	इंकमटैक्स विभाग के धारा 147 आई.टी. एक्ट में रिओपनिंग के कारण
152	प्रदर्श पी–120सी / (अ.सा.47)	इंकम टैक्स का असेसमेंट आदेश
153	प्रदर्श पी–121सी / (अ.सा.47)	इंकमटैक्स की अधिरोपित पेनाल्टी आदेश
154	प्रदर्श पी–122सी / (अ.सा.48)	प्रकरण की रिओपिनिंग के लिये आयकर आयुक्त 2 जबलपुर का पत्र
155	प्रदर्श पी–123सी / (अ.सा.48)	आयकर अधि. 1961 की धारा 148 के तहत श्री संजय तिवारी को जारी नोटिस

156	प्रदर्श पी–124सी / (अ.सा.48)	आयकर अधि. 1961 की धारा 147 / 144 के तहत निर्धारण हेतु पारित आदेश
157	प्रदर्श पी–125सी / (अ.सा.48)	संशोधित एसेसमेंट आर्डर
158	प्रदर्श पी–126,127, (अ.सा. 48)	आयकर अधि के तहत लगाई गई पेनाल्टी
159	प्रदर्श पी–128 / (अ.सा.3)	एक्सिस बैंक द्वारा दी गई जानकारी
160	प्रदर्श पी–129 / (अ.सा.3)	एक्सिस बैंक द्वारा दी गई जानकारी
161	प्रदर्श पी–130 / (अ.सा.3)	जप्ती पत्रक शैलेन्द्र ताम्रकार
162	प्रदर्श पी–131 एवं 132 / (अ.सा.3)	खाता धारक सुमत बाई एवं तरूण सरकार के खाता की मूल प्रति
163	प्रदर्श पी–133 / (अ.सा.3)	एक्सिस बैंक का स्टेटमेंट
164	प्रदर्श पी–134 / (अ.सा.3)	एक्सिस बैंक का स्टेटमेंट
165	प्रदर्श पी–135 / (अ.सा.53)	रजनीश तिवारी के पेन नंबर पर डिमांड टैक्स बकाया की जानकारी
166	प्रदर्श पी–136 / (अ.सा54)	अपराध क्रमांक 738 / 16 में जप्तशुदा दस्तावेज शीलबंद पैकेट का ड्राफट
167	प्रदर्श पी–137 / (अ.सा.45)	पुलिस अधीक्षक कटनी का दस्तावेज परीक्षण हेतु जारी पत्र
168	प्रदर्श पी–138 / (अ.सा.45)	आरोपी मो. यासीन के नमूना हस्ताक्षर
169	प्रदर्श पी–139 / (अ.सा.45)	आरोपी मो. यासीन के नमूना हस्ताक्षर
170	प्रदर्श पी–140 / (अ.सा.45)	आरोपी मो. यासीन के नमूना हस्ताक्षर
171	प्रदर्श पी–141 / (अ.सा.45)	आरोपी मो. यासीन के नमूना हस्ताक्षर
172	प्रदर्श पी–142 / (अ.सा.45)	आरोपी मो. यासीन के नमूना हस्ताक्षर
173	प्रदर्श पी–143 / (अ.सा.45)	आरोपी मो. यासीन के नमूना हस्ताक्षर
174	प्रदर्श पी–144 / (अ.सा.45)	आरोपी मो. यासीन के नमूना हस्ताक्षर
175	प्रदर्श पी–145 / (अ.सा.45)	आरोपी मो. यासीन के नमूना हस्ताक्षर
176	प्रदर्श पी–146 / (अ.सा.45)	आरोपी मो. यासीन के नमूना हस्ताक्षर
177	प्रदर्श पी–147 / (अ.सा.45)	आरोपी मो. यासीन के नमूना हस्ताक्षर
178	प्रदशी पी–148 / (अ.सा.45)	राज्य परीक्षक द्वारा दिया गया अभिमत

179	प्रदर्श पी–149 / (अ.सा.45)	राज्य परीक्षक द्वारा दिया गया अभिमत
180	प्रदर्श पी–150 / (अ.सा.45)	दस्तावेज परीक्षण हेतु भेजे जाने का पत्र
181	प्रदर्श पी–151 / (अ.सा.55)	दस्तावेज विशेषज्ञ भोपाल में दस्तावेज जमा करने की पावती
182	प्रदर्श पी–152 / (अ.सा.56)	मेमोरेंडम कथन (मो. यासीन)
183	प्रदर्श पी–153 / (अ.सा.4)	रजनीश तिवारी का पूरक कथन
184	प्रदर्श पी–154 / (अ.सा.1)	मो. यासीन का गिरफ्तारी पत्रक
185	प्रदर्श पी–155 / (अ.सा.1)	शाखा प्रबंधक एक्सिस बैंक को जारी पत्र दिनांक 03.03.2023
186	प्रदर्श पी–156 / (अ.सा.1)	एक्सिस बैंक कटनी को धारा 91 दं.प्र.सं. के नोटिस से मो. यासीन के द्वारा खोले गये बैंक खातों की चाही गई जानकारी
187	प्रदर्श पी–157 / (अ.सा.1)	आयकर अधिकारी को रजनीश के टैक्स जमा करने संबंधी जानकारी हेतु पत्र

ख. प्रतिरक्षा प्रदर्श

क्रमांक	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
01	प्रदर्श डी–1	सीम्स हॉस्पिटल का कार्ड
02	प्रदर्श डी–2	सीम्स हॉस्पिटल का बिल
03	प्रदर्श डी–3	रजनीश तिवारी के ईलाज से संबंधित डॉ. सुधीर का पर्चा दिनांक 25.02.1998
04	प्रदर्श डी–4	रजनीश तिवारी के ईलाज से संबंधित डॉ. सुधीर का पर्चा दिनांक 30.03.1998
05	प्रदर्श डी–5	रजनीश तिवारी के ईलाज से संबंधित डॉ. सुधीर का पर्चा दिनांक 25.02.1998
06	प्रदर्श डी–6	मेडिकल ऑफिसर नागपुर से संबंधित ईलाज दस्तावेज
07	प्रदर्श डी–7	डॉ. सुधीर भावे द्वारा जारी पर्चा
08	प्रदर्श डी–8	डॉ. सुधीर के यहां का ईलाज संबंधी पर्चा
09	प्रदर्श डी–9	संजय मिश्रा का पुलिस कथन

ग. न्यायालयीन प्रदर्श

सं.क्र.	प्रदर्श की संख्या	विवरण
1	निरंक	निरंक

घ. आवश्यक वस्तुएं

क्रमांक	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
01	आर्टिकल–ए / (अ.सा.4)	चैक नंबर 120276
02	आर्टिकल–ए–1 / (अ.सा.28)	यूको बैंक की जमा पर्ची
03	आर्टिकल–बी / (अ.सा.4)	चैक नंबर 120280
04	आर्टिकल–सी / (अ.सा.4)	चैक नंबर 120285
05	आर्टिकल–डी / (अ.सा.4)	चैक नंबर 120287
06	आर्टिकल–ई / (अ.सा.4)	चैक नंबर 120293
07	आर्टिकल–एफ / (अ.सा.4)	चैक नंबर 120281
08	आर्टिकल–जी / (अ.सा.4)	चैक नंबर 120298
09	आर्टिकल–एच / (अ.सा.4)	खाता बंद करने बाबत आवेदन
10	आर्टिकल–आई / (अ.सा.4)	नमूना हस्ताक्षर
11	आर्टिकल–जे / (अ.सा.4)	यूको बैंक का फार्म
11	आर्टिकल–के / (अ.सा.4)	यूको बैंक की पर्ची
12	आर्टिकल–एल / (अ.सा.28)	चैक नंबर 120251
13	आर्टिकल–एम / (अ.सा.28)	एस.के. मिनरल्स की पर्ची
14	आर्टिकल–एन / (अ.सा.28)	यूको बैंक की बचत खाता जमा पर्ची
15	आर्टिकल–ओ / (अ.सा.28)	यूको बैंक की बचत खाता जमा पर्ची
16	आर्टिकल–पी / (अ.सा.28)	यूको बैंक की बचत खाता जमा पर्ची
17	आर्टिकल–क्यू / (अ.सा.28)	यूको बैंक की बचत खाता जमा पर्ची
18	आर्टिकल–आर / (अ.सा.28)	चैक नंबर 120279
19	आर्टिकल–एस / (अ.सा.28)	यूको बैंक की बचत खाता जमा पर्ची
20	आर्टिकल–टी / (अ.सा.28)	चैक नंबर 12088

21	आर्टिकल–यू / (अ.सा.28)	यूको बैंक की बचत खाता जमा पर्ची
22	आर्टिकल–व्ही / (अ.सा.28)	यूको बैंक की बचत खाता जमा पर्ची
23	आर्टिकल–डब्लू / (अ.सा.28)	चैक नंबर 120278
24	आर्टिकल–एक्स / (अ.सा.28)	चैक नंबर 120286
25	आर्टिकल–वाय / (अ.सा.28)	यूको बैंक की जमा पर्ची
26	आर्टिकल–जेड / (अ.सा.28)	यूको बैंक की जमा पर्ची
27	आर्टिकल–ए / (अ.सा.1)	सियाराम मिनरल्स का स्थापना पंजीयन के लिये आवेदन पत्र
28	आर्टिकल–बी / (अ.सा.1)	लक्ष्मी इंटरप्राईजेस का स्थापना पंजीयन के लिये दिया आवेदन एवं राशन कार्ड
29	आर्टिकल–सी / (अ.सा.1)	व्यापार ट्रेडिंग कंपनी का स्थापना पंजीयन के लिये दिया आवेदन, राशनकार्ड की प्रति
30	आर्टिकल–डी / (अ.सा.1)	बाहुबली ट्रेडिंग कंपनी का स्थापना पंजीयन के लिये दिया आवेदन, राशनकार्ड की प्रति
31	आर्टिकल–ई / (अ.सा.1)	शिव आराधना कंपनी का सीपना पंजीयन के लिये दिया आवेदन,राशन कार्ड की प्रति
32	आर्टिकल–एफ / (अ.सा.1)	हरिओम इंटरप्राईजेस कंपनी का स्थापना पंजीयन हेतु आवेदन, राशन कार्ड की प्रति
33	आर्टिकल–ए / (अ.सा.1)	शुभम ट्रेडिंग कंपनी खाता नंबर 317010200006989
33	आर्टिकल–बी / (अ.सा.1)	श्री मिनरल्स का खाता नंबर 317010200009324
34	आर्टिकल–ए / (अ.सा.15)	संजय तिवारी से संबंधित इंकम स्टेटमेंट
35	आर्टिकल–बी / (अ.सा.15)	संदीप बर्मन से संबंधित इंकम स्टेटमेंट
36	आर्टिकल–सी / (अ.सा.15)	राकेश यादव से संबंधित इंकम स्टेटमेंट
37	आर्टिकल–डी(अ.सा.15)	जगबंधू बेहरा से संबंधित इंकम स्टेटमेंट
38	आर्टिकल–ई / (अ.सा.15)	मनीष सरावगी से संबंधित इंकम स्टेटमेंट

39	आर्टिकल–एफ / (अ.सा.15)	नरेश पोद्दार से संबंधित इंकम स्टेटमेंट
40	आर्टिकल–ए / (अ.सा.18)	श्री मिनरल्स के संबंध में रजनीश तिवारी द्वारा एच.डी.एफ.सी. बैंक में खाता खोलने का फार्म / दस्तावेज
41	आर्टिकल–ए1 / (अ.सा.18)	मानवेन्द्र मिस्त्री से संबंधित एच.डी.एफ.सी. बैंक में खाता खोलने का फार्म
42	आर्टिकल–बी / (अ.सा.18)	रीता मिस्त्री से संबंधित एच.डी.एफ.सी. बैंक में खाता खोलने का फार्म
43	आर्टिकल–सी / (अ.सा.18)	रीता मिस्त्री बैंक में खाता खोलने का फार्म
44	आर्टिकल–डी / (अ.सा.18)	शिवांसी मिस्त्री से संबंधित एच.डी.एफ.सी. बैंक में खाता खोलने का फार्म
45	आर्टिकल–ई / (अ.सा.18)	पूर्णिमा मिस्त्री से संबंधित एच.डी.एफ.सी. बैंक में खाता खोलने का फार्म
46	आर्टिकल–ए / (अ.सा.4)	रजनीश कुमार तिवारी से संबंधित बैंक ऑफ बड़ोदा में खाता खोलने का फार्म
47	आर्टिकल–ए / (अ.सा.2)	मानवेन्द्र मिस्त्री से संबंधित यू.टी.आई. बैंक कटनी में खाता खोलने का फार्म
48	आर्टिकल–बी / (अ.सा.2)	राधा मिस्त्री इंटरप्राईजेस / मानवेन्द्र मिस्त्री से संबंधित एक्सिस बैंक कटनी में खाता खोलने का फार्म
49	आर्टिकल–सी / (अ.सा.2)	श्वेता इंटरप्राईजेस / मानवेन्द्र मिस्त्री से संबंधित एक्सिस बैंक कटनी में खाता खोलने का फार्म
50	आर्टिकल–डी / (अ.सा.2)	मानवेन्द्र मिस्त्री से संबंधित एक्सिस बैंक कटनी में खाता खोलने का फार्म
51	आर्टिकल–ई / (अ.सा.2)	श्री लक्ष्मी इंटरप्राईजेस से संबंधित एक्सिस बैंक कटनी में खाता खोलने का फार्म
52	आर्टिकल–एफ / (अ.सा.2)	हरिओम इंटरप्राईजेज / नरेश बर्मन, मनीष सरावगी से संबंधित एक्सिस बैंक कटनी में खाता खोलने का फार्म

53	आर्टिकल–जी / (अ.सा.2)	अंकुर इंटरप्राईजेस / नरेश पोद्दार, मनीष सरावगी से संबंधित एक्सिस बैंक कटनी में खाता खोलने का फार्म
54	आर्टिकल–एच / (अ.सा.2)	आदिनाथ सर्विस / राकेश यादव का एक्सिस बैंक में खाता खोलने का फार्म
55	आर्टिकल–आई / (अ.सा.2)	श्वेता इंटरप्राईजेज / रजनीश तिवारी का एक्सिस बैंक में खाता खोलने का फार्म
56	आर्टिकल–ए / (अ.सा.4)	रजनीश तिवारी से संबंधित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में का खाता खोलने का फार्म
57	आर्टिकल–बी / (अ.सा.22)	चैक नंबर 896653
58	आर्टिकल–सी / (अ.सा22)	चैक नंबर 896655
59	आर्टिकल–ए / (अ.सा.12)	रजनीश तिवारी से संबंधित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोलने का फार्म
60	आर्टिकल–बी / (अ.सा.12)	किरायानामा
61	आर्टिकल–ए / (अ.सा.31)	मानवेन्द्र मिस्त्री से संबंधित आंध्रा बैंक में खाता खोलने का फार्म
62	आर्टिकल–ए / (अ.सा.10)	मानवेन्द्र मिस्त्री से संबंधित खाता नंबर 20011086 बाबत हस्ताक्षर नमूना फार्म
63	आर्टिकल–बी / (अ.सा.10)	मानवेन्द्र मिस्त्री का बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता नं. 20011086 खोलने का मूल फार्म
64	आर्टिकल–ए / (अ.सा.45)	मानवेन्द्र मिस्त्री की लिखावट
65	आर्टिकल–ए / (अ.सा.2)	एस.के. मिनरल्स / रजनीश तिवारी से संबंधित एक्सिस बैंक कटनी में खाता खोलने का फार्म
66	आर्टिकल–ए / (अ.सा.2)	एस.के. मिनरल्स से संबंधित एक्सिस बैंक कटनी में खाता खोलने का फार्म एवं उक्त दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि
67	आर्टिकल–बी / (अ.सा.2)	खाता धारक रजनीश तिवारी के एकाउंट नंबर 317010100089511 का मूल

		दस्तावेज
68	आर्टिकल–ए / (अ.सा.2)	इंकम टैक्स विभाग की संदीप बर्मन को जारी दिनांक 28.07.2016
69	आर्टिकल–ए1 / (अ.सा.2)	इंकम टैक्स द्वारा जारी संदीप बर्मन से संबंधित कप्यूटेशन फार्म
70	आर्टिकल–ए2 / (अ.सा.2)	संदीप बर्मन को दिया गया इंकम टैक्स का नोटिस दिनांक 28.07.2016
71	आर्टिकल–बी / (अ.सा.2)	आयकर विभाग का संदीप बर्मन को जारी पत्रक क्रमांक 7891
72	आर्टिकल–सी / (अ.सा.2)	संदीप बर्मन के एक्सिस बैंक के एकाउंट नंबर 3170101000 62019 का स्टेटमेंट
73	आर्टिकल–डी / (अ.सा.2)	आयकर प्रपत्र नोटिस डिमांड
74	आर्टिकल–ई / (अ.सा.2)	संदीप बर्मन के नाम से जारी आयकर पेन सेवा इकाई का पत्र
75	आर्टिकल–ए / (अ.सा.2)	संदीप कुमार बर्मन द्वारा इंकम टैक्स को भेजा गया पत्र दिनांक 26.06.2009
76	आर्टिकल–बी / (अ.सा.2)	संजय तिवारी द्वारा इंकम टैक्स को भेजा गया पत्र दिनांक 26.06.2009
77	आर्टिकल–सी / (अ.सा.2)	नरेश कुमार के द्वारा इंकम टैक्स का भेजा गया पत्र दिनांक 26.06.2009
78	आर्टिकल–डी / (अ.सा.2)	सतीश सरावगी का राशन कार्ड
79	आर्टिकल–ए / (अ.सा.2)	आयकर अधिकारी से संबंधित (संजय तिवारी का ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति)
80	आर्टिकल–ए / (अ.सा.2)	वीना ट्रेडिंग कंपनी / सुरेश प्रजापति का एक्सिस बैंक में खाता खोलने का फार्म
81	आर्टिकल–बी / (अ.सा.2)	शिव आराधना इंटरप्राईजेस / संदीप बर्मन का एक्सिस बैंक में खाता खोलने का फार्म
82	आर्टिकल–सी / (अ.सा.2)	प्रभूवंदना इंटरप्राईजेस / दस्सू पटेल का एक्सिस बैंक में खाता खोलने का फार्म

83	आर्टिकल–डी / (अ.सा.2)	सियाराम मिनरल्स / सुरेन्द्र कुमार शर्मा का एक्सिस बैंक में खाता खोलने का फार्म
84	आर्टिकल–ई / (अ.सा.2)	प्रजापति इंटरप्राईजेस / रमेश कुमार पटेल का एक्सिस बैंक में खाता खोलने का फार्म
85	आर्टिकल–एफ / (अ.सा.2)	बाहूबली ट्रेडिंग कंपनी एक्सिस बैंक कटनी में खाता खोलने का फार्म / दस्तावेज
86	आर्टिकल–जी / (अ.सा.2)	गणपति ट्रेडिंग कंपनी / राकेश कुमार पटेल से संबंधित एक्सिस बैंक कटनी में खाता खोलने का फार्म / दस्तावेज
87	आर्टिकल–एच / (अ.सा.2)	व्यापार ट्रेडिंग कंपनी / नरेश बर्मन से संबंधित एक्सिस बैंक कटनी में खाता खोलने का फार्म / दस्तावेज
88	आर्टिकल–आई / (अ.सा.2)	यूनिक ट्रेडिंग कंपनी / नरेश बर्मन से संबंधित एक्सिस बैंक कटनी में खाता खोलने का फार्म / दस्तावेज
89	आर्टिकल–जे / (अ.सा.2)	लक्ष्मी इंटरप्राईजेस / नरेश बर्मन से संबंधित एक्सिस बैंक कटनी में खाता खोलने का फार्म / दस्तावेज
90	आर्टिकल–ए / (अ.सा.2)	पेन ड्राईव

इरशाद अहमद
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश
जिला– जबलपुर म0प्र0

IRSHAD AHMED
Digitally signed by IRSHAD AHMED
Date: 2026.01.24 17:16:32 +0530